



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का  
प्रतिवेदन  
मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए**

**संघ सरकार  
राजस्व विभाग  
(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)  
वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 25  
(अनुपालन लेखा परीक्षा)**



सत्यमेव जयते

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

## मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर - माल एवं सेवा कर)

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 25

(अनुपालन लेखा परीक्षा)

\_\_\_\_\_ को लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखा गया



## विषयसूची

विषय	पृष्ठ
प्रस्तावना	i
कार्यकारी सारांश	iii
<b>अध्याय I: अप्रत्यक्ष कर प्रशासन एवं राजस्व प्रवृत्ति</b>	<b>1-11</b>
1.1 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति	1
1.2 संगठनात्मक संरचना	2
1.3 राजस्व प्रवृत्ति	3
1.4 निष्कर्ष	10
<b>अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया</b>	<b>13-20</b>
2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश	13
2.2 लेखापरीक्षा समष्टि	14
2.3 लेखापरीक्षा नमूना, लेखापरीक्षा प्रयास और लेखापरीक्षा उत्पाद	16
2.4 केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर विभाग की प्रतिक्रिया	17
2.5 पिछले सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	19
2.6 इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया	20
<b>अध्याय III जीएसटी के अंतर्गत अनुपालन सत्यापन तंत्र की प्रभावशीलता</b>	<b>21-46</b>
3.1 कंपोजिशन लेवी स्कीम (सीएलएस) के अंतर्गत करदाताओं के संबंध में विभागीय निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता	21
3.2 माल एवं सेवा कर के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा	41
3.3 निष्कर्ष	45
<b>अध्याय IV: माल एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी</b>	<b>47-159</b>
4.1 परिचय	47
4.2 कानूनी ढांचा	48
4.3 संदर्भ एवं महत्व	49
4.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य	50

विषय	पृष्ठ
4.5 लेखापरीक्षा पद्धति एवं सीमा	51
4.6 लेखापरीक्षा नमूना	52
4.7 लेखापरीक्षा मानदंड	54
4.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	56
4.9 राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव	153
4.10 निष्कर्ष एवं सिफारिशों का सारांश	154
<b>परिशिष्ट-I: 2022-23 एवं 2023-24 की अवधि के दौरान पाई गई केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ</b>	<b>161</b>
<b>परिशिष्ट-II: राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव</b>	<b>162</b>
<b>शब्दावली</b>	<b>171</b>

## प्रस्तावना

मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं। यह प्रतिवेदन मुख्य रूप से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। अप्रत्यक्ष करों की पूरी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण से संबंधित कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान किये गये परीक्षण/नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गई है।



## कार्यकारी सारांश

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति पर लगाये जाने वाले कर को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। केंद्रीय उत्पाद शुल्क (पाँच पेट्रोलियम एवं तंबाकू उत्पादों को छोड़कर), सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी) एवं राज्यों के अधिकांश अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में समाहित हो गए हैं। यह प्रतिवेदन मुख्य रूप से माल एवं सेवा कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। अप्रत्यक्ष करों की पूरी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण एवं पुराने सेवा कर से संबंधित कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

यह प्रतिवेदन चार अध्यायों में विभाजित है। अध्याय I में अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के संगठनात्मक ढाँचे, अप्रत्यक्ष कर राजस्व में रुझानों एवं अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अध्याय II में राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा क्षेत्र, लेखापरीक्षा प्रतिदर्श एवं लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामों का वर्णन दिया गया है। अध्याय III में कंपोजिशन लेवी योजना के अंतर्गत करदाताओं के संबंध में विभागीय निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में विभाग के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय IV में माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी के विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) के दौरान देखे गए प्रणालीगत एवं अनुपालन मुद्दों पर चर्चा की गई है। विभाग ने ₹ 22,165 करोड़ मूल्य के 2,942 मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया या जाँच शुरू की एवं लेखापरीक्षा के अनुरोध पर 387 मामलों में ₹144 करोड़ की वसूली की सूचना दी। प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

## अध्याय I: अप्रत्यक्ष कर प्रशासन एवं राजस्व प्रवृत्ति

अप्रत्यक्ष कर संग्रह में ₹ 93,612 करोड़ (सात प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2022-23 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए, अप्रत्यक्ष करों का जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 22 के 5.47 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 23 में 5.15 प्रतिशत रह गया। वित्त वर्ष 23 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में यह कमी मुख्य रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में कमी के कारण हुई, जो वित्त वर्ष 22 के ₹ 3,90,808 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 23 में ₹ 3,19,000 करोड़ रह गया, जो 18 प्रतिशत की गिरावट है।

वित्त वर्ष 22 की तुलना में वित्त वर्ष 23 के दौरान केंद्रीय जीएसटी राजस्व में 22 प्रतिशत (₹ 1,51,796 करोड़) की वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 1.3)

## अध्याय III: जीएसटी के अंतर्गत अनुपालन सत्यापन तंत्र की प्रभावशीलता

वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा ने कंपोजिशन लेवी योजना की अनुवर्ती अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। नमूना, पूर्व में किये गये जीएसटीआईएन द्वारा सितम्बर 2022 में उपलब्ध कराये गये सीएलएस करदाताओं के ऑकड़ा विश्लेषण, जिसकी लेखापरीक्षा वित्तीय वर्षों 2019-20 से 2021-22 के लिये 2022-23 में की गई थी और सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7 में प्रतिवेदित की गई, से लिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 5 में निर्धारित कंपोजिशन करदाताओं के लिए निर्धारित शर्तों जैसे कि “कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति, आपूर्ति पर कर एकत्र करने के लिए पात्र नहीं है” शब्दों का उल्लेख करना एवं उसके व्यवसाय के मुख्य स्थान पर एवं व्यवसाय के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान पर प्रमुख स्थान के प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइनबोर्ड पर “कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति” शब्दों का उल्लेख करना के अनुपालन की निगरानी करने की व्यवस्था, अपर्याप्त थी। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किया गया (मार्च 2024)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

(पैराग्राफ 3.1 एवं पैराग्राफ 3.1.6)

लेखापरीक्षा ने विभाग के अनुपालन सत्यापन तंत्र अर्थात् रिटर्न की समीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, कर चोरी बचाव आदि में कंपोजिशन लेवी योजना करदाताओं को अपर्याप्त रूप से आच्छादन किया जाना भी पाया। यह भी पाया गया कि कंपोजिशन लेवी योजना करदाताओं द्वारा अनुपालन न करने के बावजूद, ऐसे मामलों में विभाग की कार्रवाई अपर्याप्त थी। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किया गया (मार्च 2024)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

**(पैराग्राफ 3.1.6.2)**

फॉर्म जीएसटीआर-4ए, पंजीकृत व्यक्तियों से सीएलएस में करदाताओं द्वारा प्राप्त आवक आपूर्ति के विवरण के साथ स्वतः तैयार किया होता है। यह जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-5 एवं जीएसटीआर-7 से स्वतः तैयार होता है एवं इसमें प्रति प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अंतर्गत प्राप्त क्रेडिट एवं स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) सहित आवक आपूर्ति का विवरण सम्मिलित होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीबीआईसी-एसीईएस-जीएसटी प्रणाली में विभाग के क्षेत्र अधिकारियों के लिए चयनित 10 आयुक्तालयों में से किसी में भी जीएसटीआर-4ए विवरणी उपलब्ध नहीं थी। क्षेत्र अधिकारियों के लिए जीएसटीआर-4ए की अनुपलब्धता, प्रति प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अंतर्गत कर का भुगतान न करने, स्रोत पर कर कटौती के क्रेडिट में असंगति या जीएसटीआर-4ए विवरणी से पता लगाने योग्य आवक आपूर्ति के मूल्य से संबंधित अनुपालन न करने का पता लगाने की क्षेत्र अधिकारियों की क्षमता को प्रतिबंधित करती है। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किया गया (मार्च 2024)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

**(पैराग्राफ 3.1.6.3)**

तदनुसार, लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि विभाग के अनुपालन सत्यापन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक सीएलएस डीलर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10(4) एवं सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 5 का अनुपालन कर रहा है एवं यह दर्शा रहा है कि वे कर एकत्र करने के हकदार नहीं हैं; विभाग रिटर्न की समीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा एवं अवंचन-रोधी कार्य में सीएलएस करदाताओं की

व्याप्ति को बढ़ाए; एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटीआर-4ए की तालिका 3बी, यानी प्रतिप्रभार को आकर्षित करने वाली आवक आपूर्ति का विवरण सीएमपी-08 में स्वतः भर जाए।

**(पैराग्राफ 3.1.6 एवं पैराग्राफ 3.1.7)**

आंतरिक लेखापरीक्षा<sup>1</sup> माल और सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के आलोक में करदाताओं द्वारा अनुालन के स्तर का निर्धारण करने में मदद करती है।

वि.व. 21, वि.व. 22 एवं वि.व. 23 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या नियोजित कुल इकाइयों का क्रमशः 26 प्रतिशत, 48 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत थी। यद्यपि वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 23 तक नियोजित इकाइयों की तुलना में लेखापरीक्षित इकाइयों के प्रतिशत में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, तथापि, नियोजित एवं लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या के बीच अभी भी अंतर है।

वर्ष 2021-22 के दौरान मंत्रालय ने, लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में अधिकारियों की कमी की जानकारी दी, विशेष रूप से निरीक्षकों के ग्रेड में, जिनकी कार्यरत संख्या अधिकांश लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में स्वीकृत संख्या के 50 प्रतिशत से भी कम थी। आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान इकाइयों की कम व्याप्ति का यह एक मुख्य कारण था। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा आयुक्तालयों<sup>2</sup> में 33 प्रतिशत श्रमबल की कमी थी। प्रतिशत के संदर्भ में सबसे अधिक कमी उप/सहायक आयुक्त एवं निरीक्षक के पदों पर देखी गई, जहां यह कमी क्रमशः 61 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में श्रमबल की निरंतर कमी है, जिसके कारण आंतरिक लेखापरीक्षा में नियोजित इकाइयों की तुलना में लेखापरीक्षित इकाइयों में अंतर थे।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2025) कि विभाग के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए, आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए संसाधनों का इष्टतम

<sup>1</sup> केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 65।

<sup>2</sup> नवंबर 2023 में डीजी एचआरडी द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार।

उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए थे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सीबीआईसी ने विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों को भरकर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए वास्तविक कदम उठाए हैं।

हालांकि, कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बावजूद, 1 जुलाई 2024 तक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के लेखापरीक्षा कार्यालयों में 38 प्रतिशत पद रिक्त थे। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वित्त वर्ष 2023 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों की संख्या में चार प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है।

(पैराग्राफ 3.2.1)

#### **अध्याय IV: माल एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी**

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की निरंतरता के रूप में की गई थी, जिसमें 2017-18 की अवधि के रिटर्न को शामिल किया गया था, जिसमें कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र एवं नई कर व्यवस्था में विभाग की निगरानी तंत्र के महत्व पर विचार किया गया था। पिछले एसएससीए के निष्कर्षों को सीएजी की 2024 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7 में अध्याय IV विभाग की माल एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न फाइलिंग (डीओआरएफ चरण I) पर निगरानी के रूप में शामिल किया गया था। डीओआरएफ चरण II की यह प्रतिवेदन 2018-19 से 2020-21 की अवधि के रिटर्न विवरण को शामिल करती है।

(पैराग्राफ 4.1)

जैसा कि पूर्व में सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताया गया है, पूर्ण स्वचालन की अनुपस्थिति तथा करदाताओं द्वारा दाखिल स्व-निर्धारित सारांश रिटर्न के आधार पर आईटीसी एवं कर भुगतान की अनुमति देने की व्यवस्था के कारण जोखिम की संभावना बनी हुई है। इसलिए, करदाताओं द्वारा जीएसटी अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा

अपनाए गए अनुपालन जोखिम प्रबंधन का निरंतर मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है।

### (पैराग्राफ 4.3)

आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से, आईटीसी, कर देयता के निर्वहन, पंजीकरण एवं रिटर्न फाइलिंग के क्षेत्रों में 18 विचलनों<sup>3</sup> की पहचान की गई। ऐसे विचलनों का केंद्रीकृत लेखापरीक्षा<sup>4</sup> के माध्यम से अनुवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत इन विचलनों को संबंधित सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं (क्षेत्रीय कार्यालयों) को सूचित किया गया, तथा पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई का पता क्षेत्रीय दौरे के बिना ही लगाया गया। रिटर्न एवं संबंधित संलग्नक तथा सूचना को जांच के लिए विभाग की बैक-एंड प्रणाली सीबीआईसी-एसीईएस- जीएसटी एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त किया गया। केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा के साथ विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय शामिल विस्तृत लेखापरीक्षा में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करदाताओं से प्रासंगिक विस्तृत अभिलेख जैसे बीजक, खाता बही आदि प्राप्त करना सम्मिलित था। केंद्रीकृत एवं विस्तृत लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा अवधि अप्रैल 2018 से मार्च 2021 थी।

---

<sup>3</sup> (i) इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान न होना (जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए), (ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आईटीसी, (iii) सीमा अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी पर प्राप्त आईटीसी, (iv) अतिरिक्त आईएसडी क्रेडिट, (v) आरसीएम पर कर का कम भुगतान, (vi) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में असमाधानित आईटीसी (तालिका 12एफ), (vii) अयोग्य आईटीसी (तालिका 14टी), (viii) पारगमन के दौरान आईटीसी का अधिक/अनियमित लाभ, (ix) न चुकाई गई कर देयता (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9), (x) कर देयता का दमन (ई-वे बिल), (xi) कर का कम भुगतान (तालिका 9आर), (xii) कर का कम भुगतान (टीडीएस/टीसीएस), (xiii) कर योग्य मूल्य का दमन (बिल न किया गया राजस्व), (xiv) असंगत कर योग्य आवर्त (तालिका 7जी), (xv) गलत आवर्त के कारण अनुचित कंपोजिशन उदग्रहण, (xvi) ई-कॉमर्स लाभार्थी कंपोजिशन उदग्रहण के अंतर्गत, (xvii) जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है और (xviii) ब्याज का कम/भुगतान न होना।

<sup>4</sup> केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के विस्तृत अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, संबंधित खाता बही, बीजक, समझौते आदि की मांग शामिल नहीं थी।

इसके अलावा, चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुपालन कार्यों जैसे रिटर्न की संवीक्षा, पंजीकरण रद्द करना, डीजीएआरएम प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई आदि की भी संवीक्षा की गई। चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों की लेखापरीक्षा 2020 एवं 2021 की अवधि को शामिल करती है।

#### (पैराग्राफ 4.5)

#### विवरणी दाखिल करने पर निगरानी कार्य

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि लेखापरीक्षा अवधि 2020-21 के दौरान, कुछ कार्यों को स्वचालित नहीं किया गया था जैसे कि एएसएमटी-13 जारी करना एवं जीएसटीआर-3बी के अलावा अन्य रिटर्न के लिए विवरण दाखिल न करने वालों की रिपोर्ट देखना। संबंधित एमआईएस रिपोर्ट या तो उपलब्ध नहीं कराई गई थी या आंशिक रूप से उपलब्ध कराई गई थी। इनमें जीएसटीआर-3ए, विवाद, निपटान एवं समाधान) डीएसआर एवं आरईजी-17<sup>5</sup> से संबंधित एमआईएस रिपोर्ट की अनुपलब्धता शामिल थी, जिन्हें नवंबर 2020 से पहले की अवधि के लिए अभी तक स्वचालित नहीं किया गया है। (अप्रैल 2023)।

इससे पहले सीएजी की 2024 की ऑडिट रिपोर्ट संख्या 7 में, डीओआरएफ-1 पर एसएससीए के दौरान, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की थी कि नोटिस जारी करने, मूल्यांकन आदेश, देशता आदेश आदि से संबंधित पहलुओं पर एमआईएस रिपोर्ट कर अधिकारियों को प्रभावी निगरानी के लिए दी जानी चाहिए।

जीएसटीएन ने कहा (अप्रैल 2025) कि जून 2024 से सीबीआईसी के जीएसटीएन बैंक ऑफिस (बीओ) में स्थानांतरण के बाद, निर्दिष्ट मानदंडों के प्रति सिस्टम-आधारित जांच को लागू करने एवं करदाताओं के लिए मसौदा विसंगति सूचनाओं को स्वचालित रूप से उत्पन्न करने के लिए अभिकल्पित किया गया एवं स्वचालित रिटर्न संवीक्षा मॉड्यूल (एआरएसएम) विकास के

---

<sup>5</sup> यदि केन्द्रीय कर अधीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द किया जाना योग्य है, तो ऐसे व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी आरईजी-17 में नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें उसे नोटिस की तारीख की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि उसका पंजीकरण क्यों न रद्द कर दिया जाए।

एक उन्नत चरण में है एवं वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के अंत तक इसे लागू किए जाने की उम्मीद है। जीएसटीएन ने यह भी कहा कि जीएसटीएन बैक-एंड पर सभी प्रक्रियाएं पूर्णतः स्वचालित हैं, तथा दस्तावेज, कागज रहित वातावरण में सामान्य पोर्टल के माध्यम से उचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं। जीएसटीएन एवं सीबीआईसी के बीच सहमति के अनुसार, राज्यों को उपलब्ध एमआईएस प्रतिवेदन को चरणबद्ध तरीके से सीबीआईसी के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। वर्तमान में, राज्यों के लिए 126 एमआईएस प्रतिवेदन जैसे कि जीएसटीआर-3बी न भरने वाले, जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी के बीच मिलान न होना, जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-2ए के बीच आईटीसी का बेमेल, प्रतिदाय लंबित होना, ई-वे बिल न भरने वाले एवं स्वतः निरस्तीकरण उपलब्ध हैं। आज की तिथि (अप्रैल 2025) तक, 43 एमआईएस रिपोर्ट (चरण I के अंतर्गत) सीबीआईसी को उपलब्ध करा दी गई हैं, जबकि 42 अतिरिक्त प्रतिवेदन (चरण II के अंतर्गत) का कार्य प्रगति पर है।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न एमआईएस प्रतिवेदनों को स्वीकार किया है, जो उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्योंकि इनके प्रभावी उपयोग से निश्चित रूप से कर अनुपालन में सुधार होगा।

#### (पैराग्राफ 4.8.1)

बीस क्षेत्रों में 54 आयुक्तालयों के अंतर्गत 89 क्षेत्रीय कार्यालयों में, लेखापरीक्षा रिटर्न दाखिल करने पर निगरानी तंत्र को सत्यापित नहीं कर सकी, क्योंकि लेखापरीक्षा को न तो अभिलेख एवं न ही आंकड़े उपलब्ध कराये गये थे। इसके अलावा, किसी भी संबंधित एमआईएस रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण, इन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा फाइल न करने वालों से संबंधित किसी भी कार्य पर कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका।

बत्तीस केंद्रीय कर आयुक्तालयों के अंतर्गत 47 क्षेत्रीय कार्यालयों में कर न भरने वालों से मांग की वसूली के लिए निगरानी तंत्र अपर्याप्त था। बाईस आयुक्तालयों के अंतर्गत 29 क्षेत्रीय कार्यालयों में, जहां एएसएमटी-13, डीआरसी-07 जारी करने से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख/प्रतिवेदन एवं वसूली विवरण उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी मामले में चूककर्ताओं पर कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसके अलावा, 14 आयुक्तालयों के अंतर्गत 25 क्षेत्रीय कार्यालयों में जीएसटीआर-3ए (जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने वाले चूककर्ताओं के लिए नोटिस) जारी करने एवं उसके बाद एएसएमटी-13 (उन मामलों में सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण आदेश, जहां करदाताओं ने जीएसटीआर-3ए नोटिस का अनुपालन नहीं किया है) जारी करने की प्रक्रिया नहीं की गई। छः क्षेत्रीय कार्यालयों में एएसएमटी-13 की गलत निकासी एवं डीआरसी-07 (एएसएमटी-13 के अनुवर्ती के रूप में मांग आदेश का सारांश) की वसूली शुरू न करना देखा गया। इसके परिणामस्वरूप बकाएदारों से ₹ 27.97 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

#### (पैराग्राफ 4.8.2.2)

#### कर भुगतान पर निगरानी कार्य

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 केन्द्रीय कर आयुक्तालयों के अंतर्गत 46 रेंजों में एएसएमटी-10 जारी करने, प्रत्युत्तर प्राप्त करने या मांग नोटिस जारी करने में देरी हुई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने 24 केन्द्रीय कर आयुक्तालयों में 27 रेंजों द्वारा की गई जांच में भी कमी पाई, जिसमें ₹ 4.33 करोड़ के कर प्रभाव एवं ब्याज का अ-संग्रहण शामिल था।

#### (पैराग्राफ 4.8.3)

निरस्तीकरण कार्य के मूल्यांकन के लिए चयनित 166 रेंजों में से, 44 केन्द्रीय कर आयुक्तालयों में 78 रेंजों (47 प्रतिशत) ने उनके द्वारा देखे गए निरस्तीकरण मामलों से संबंधित आवश्यक रिपोर्ट/फाइलें नहीं रखीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीबीआईसी की बैक-एंड प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कर अधिकारी उन करदाताओं की पहचान कर सकें जिन्होंने अपेक्षित बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है तथा रद्दीकरण की कार्यवाही शुरू कर सकें। लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 रेंजों में, रद्द किए जाने योग्य पंजीकरण रद्द नहीं किए गए एवं दो रेंजों में, निर्धारित नियमों का पालन किए बिना, पूर्वव्यापी प्रभाव से पंजीकरण रद्द कर दिए गए। पच्चीस केन्द्रीय कर आयुक्तालयों में 46 रेंजों में रद्दीकरण में देरी देखी गई। इसके

अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने 44 केन्द्रीय कर आयुक्तालयों में 68 रैंजों में जीएसटीआर-10 दाखिल करने की निगरानी में अनुपालन संबंधी कमियां देखीं।

**(पैराग्राफ 4.8.3.3)**

**केंद्रीकृत लेखापरीक्षा**

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 10,124 विचलनों का एक नमूना लिया गया एवं 8,106 विचलनों में विभाग की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से लेखापरीक्षा द्वारा 2,519 मामलों में वैधानिक प्रावधानों से अनुपालन विचलन देखा गया, जिसमें ₹ 21,695.11 करोड़ की राशि शामिल थी, जोकि 31 प्रतिशत विसंगतियां/बेमेल आंकड़ें दर्शाती है, जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रियाएं प्रदान कीं। जोखिम मापदंडों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई जैसे ब्याज का कम भुगतान, जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं करना लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल करना, निश्चित समय-सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर-3बी पर आईटीसी का लाभ उठाना, आईटीसी बेमेल होना, अनुत्तरित देयता, आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान किए बिना आईटीसी पारित करना, आरसीएम के तहत कर का कम भुगतान एवं अतिरिक्त आईएसडी क्रेडिट।

पाँच हजार पाँच सौ चौवन मामलों में, जो प्राप्त प्रतिक्रियाओं का 69 प्रतिशत था, विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य था, जैसा कि प्रतिक्रिया में करदाताओं द्वारा आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों के बारे में बताया गया जिनमें से 523 मामले थे, एवं विभाग ने पहले ही 1,819 मामलों में सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी एवं 3,212 मामलों में अन्य वैध स्पष्टीकरण थे।

**(पैराग्राफ 4.8.4)**

**विस्तृत लेखापरीक्षा**

पूर्व निर्धारित जोखिम कारकों के आधार पर पूरे भारत में 1,106 करदाताओं के रिटर्न का चयन किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कर के-लघु भुगतान/संभावित गैर, आईटीसी का अधिकअनियमित लाभ/, गलत छूट दावे आदि सम्मिलित थे। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चिन्हित किये गए नमूने 21 सीबीआईसी क्षेत्रों में फैले हुए थे।

नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, क्षेत्राधिकार रेंज ने लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 1,106 मामलों में से 20 मामलों में वित्तीय विवरण, जीएसटीआर - 9सी एवं जीएसटीआर -2ए जैसे बुनियादी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। इसलिए, इन मामलों में पहचाने गए ₹ 914.78 करोड़ के अप्राप्त दायित्व/अनियमित आईटीसी दावों के अंतर्निहित जोखिमों का समाधान नहीं किया जा सका।

अन्य 549 मामलों में, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण से अपेक्षित विस्तृत करदाता अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे दायरा काफी सीमित हो गया। ये मामले आईटीसी प्राप्त करने एवं कर भुगतान में चिन्हित की गई विसंगतियों के कारण ₹ 31,517.42 करोड़ के संभावित जोखिम को दर्शाते हैं।

#### (पैराग्राफ 4.8.5)

पूरी तरह या आंशिक रूप से लेखापरीक्षित 1,086 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 2,349.62 करोड़ रुपये के राजस्व प्रभाव के 741 अनुपालन विचलन पाए। इन विचलनों के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षण किए गए 1,086 करदाताओं में से 438 ने अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।

इसके मुख्य कारणों में अयोग्य एवं अनियमित आईटीसी का लाभ उठाना, आपूर्ति का गलत वर्गीकरण, कराधान के लिए आपूर्ति का बहिष्करण, आपूर्ति का कम मूल्यांकन एवं आरसीएम के तहत कर का गलत निस्तारण शामिल था।

#### विभाग

- बैक-एंड प्रणाली में बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) एवं एमआईएस रिपोर्टों को शामिल करने में तेजी ला सकता है एवं जब तक स्वचालन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक विभाग मैनुअल रिकॉर्ड/रजिस्ट्रों का उचित रखरखाव सुनिश्चित कर सकता है।
- अधीक्षक एवं निरीक्षक स्तर पर कार्यभार सौंपने/अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को लागू कर सकता है।
- बैक-एंड पोर्टल में 'नॉन-फाइलर देखें' सुविधा का विस्तार कर सकता है ताकि रेंज अधिकारी सभी श्रेणियों के पंजीयकों के रिटर्न न भरने वालों की पहचान कर सकें एवं उन्हें नोटिस जारी कर सकें। वर्तमान में, यह सुविधा

केवल जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-10 एवं सीएमपी-08 के लिए उपलब्ध है।

- जीएसटीआर-3ए से संबंधित सभी संबंधित रिटर्न जैसे जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-4 आदि के लिए बैक-एंड प्रणाली में एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध करा सकता है एवं जीएसटीआर-3बी के अतिरिक्त रिटर्न न भरने वाले सभी लोगों के लिए जीएसटीआर-3ए के स्वतः सृजन की सुविधा का विस्तार कर सकता है।
- प्रभावी निगरानी के लिए बैक-एंड प्रणाली में कर अधिकारियों को आकलन आदेश (एसएमटी-13/14) एवं मांग आदेश (डीआरसी-07) जारी करने से संबंधित एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध करा सकता है।
- सुनिश्चित करें कि डीजीएआरएम प्रतिवेदन से संबंधित अनुवर्ती गतिविधियों के संपूर्ण सेट का कार्यप्रवाह स्वचालन बैक-एंड प्रणाली के एक भाग के रूप में स्वचालित किया जाए।
- डीजीएआरएम रिपोर्टों एवं डीजीएआरएम रिपोर्टों के सत्यापन से संबंधित अभिलेखों/फाइलों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकता है।
- डीजीएआरएम जोखिमों के अनुपालन की निगरानी में सुधार करना चाहिए, ताकि आंकड़ों के संदर्भ में राजस्व की प्राप्ति न होने या उसका अनुसरण न किए जाने की संभावना को समाप्त किया जा सके तथा साथ ही, जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूना जांच मामलों की समीक्षा की जा सके।
- रेंजों में निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकरण को रद्द करने, निलंबित करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा वसूली की प्रक्रियाओं में समुचित सावधानी बरती जाए।
- पंजीकरण मॉड्यूल के अंतर्गत निरस्तीकरण कार्यप्रवाह में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण एवं एमआईएस रिपोर्ट/विशेषताएं का उपयोग कर सकता है, ताकि रेंज अधिकारियों को आवेदन की तिथि एवं आरईजी-17 नोटिस

जारी करने की तिथि से क्रमशः लंबित निरस्तीकरण आवेदनों, करदाताओं के अनुरोध पर पंजीकरण के निलंबन एवं स्वतः निरस्तीकरण की निगरानी करने में सुविधा हो एवं आवेदन की तिथि से पहले निरस्तीकरण की रोकथाम सुनिश्चित हो सके।

- 2,325 (जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं तथा जो विभाग द्वारा जांच के अधीन हैं) विसंगतियों एवं विचलनों पर समय समाप्त होने से पहले तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए तथा ऐसे विचलनों के कारणों का विश्लेषण कर प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे विचलनों की पुनरावृत्ति न हो।
- डाटा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने, करदाताओं के अनुपालन को बढ़ाने एवं बेहतर जांच की सुविधा के लिए जीएसटी रिटर्न में पैरा 4.8.4.5 में उल्लिखित वैधता नियंत्रणों को लागू करने पर विचार कर सकता है।
- लेखापरीक्षा के दौरान करदाताओं के रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध कराने चाहिए, अन्यथा इससे जीएसटी राजस्व की लेखापरीक्षा का दायरा काफी सीमित हो जाता है।
- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(31) के तहत आपूर्ति के लिए प्रतिफल की परिभाषा पर विचार करते हुए, ऐसी आपूर्ति के अखिल भारतीय निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए, डीबीएफओटी मॉडल में शामिल कार्य अनुबंध आपूर्ति की करदेयता को स्पष्ट कर सकता है।
- अधिसूचना संख्या 11/2017 के तहत कृषि सहायता सेवाओं की परिभाषा में अनुसंधान संबंधी गतिविधि को शामिल करने के लिए कृषि से संबंधित आपूर्ति पर कराधान की समीक्षा कर सकता है।

(पैराग्राफ 4.10)



## अध्याय I: अप्रत्यक्ष कर प्रशासन एवं राजस्व प्रवृत्ति

यह अध्याय अप्रत्यक्ष कर प्रशासन एवं अप्रत्यक्ष कर संग्रह में राजस्व प्रवृत्तियों का अवलोकन प्रस्तुत करता है।

### 1.1 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मुख्यतः माल एवं सेवा कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा का पूरा विवरण प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ सम्मिलित की गई हैं। सीमा शुल्क के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष एक अलग प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अप्रत्यक्ष करों की चर्चा नीचे की गई है:

**क) माल एवं सेवा कर:** माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मानव उपभोग के लिए अल्कोहल युक्त एवं पांच पेट्रोलियम उत्पादों<sup>6</sup> की आपूर्ति पर करों को छोड़कर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक कर है। जीएसटी 1 जुलाई 2017<sup>7</sup> से लागू हुआ। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी), एवं विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) सीमा शुल्क के घटक एवं राज्यों के अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित कर दिया गया है। तंबाकू उत्पाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी दोनों के अधीन हैं। जीएसटी एक उपभोग आधारित कर है यानी कर उस राज्य में देय है जहां वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का अंततः उपभोग किया जाता है। जीएसटी के अलावा, कुछ वस्तुओं जैसे तंबाकू उत्पाद, कोयला, वातित जल, मोटर कार आदि पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में एक उपकर लगाया जाता है।

जीएसटी के तीन घटक इस प्रकार हैं:

<sup>6</sup> कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और विमानन टरबाइन ईंधन।

<sup>7</sup> 8 जुलाई 2017 से जम्मू और कश्मीर में

- **केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी):** राज्य/संघ शासित प्रदेश के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र सरकार को देय।
  - **राज्य/ संघ शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी/यूटीजीएसटी):** राज्य/ संघ शासित प्रदेश के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य/ संघ शासित प्रदेश सरकार को देय।
  - **एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी):** वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति के मामले में, आईजीएसटी भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत में आयात पर भी आईजीएसटी लगाया जाता है। आईजीएसटी का आवंटन केंद्र एवं राज्यों के बीच माल एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।
- ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:** केंद्रीय उत्पाद शुल्क उन वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर लगाया जाता है जिन्हें जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत नहीं लाया गया है। संसद को तंबाकू एवं पाँच पेट्रोलियम उत्पादों (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84) पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार है।

## 1.2 संगठनात्मक संरचना

वित्त मंत्रालय (वि.मं.) का राजस्व विभाग (रा.वि.) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है एवं दो वैधानिक बोर्डों अर्थात् केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) जो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित हैं, के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। जीएसटी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित मामलों की देखभाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा की जाती है।

अप्रत्यक्ष कर विधियों का प्रशासन, सीबीआईसी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करता है। जीएसटी के कार्यान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए,

सीबीआईसी ने 19 जून 2017 के परिपत्र के अंतर्गत अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को जीएसटी के 21 जोन में पुनर्गठित किया, जिनका नेतृत्व प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त करते हैं। जीएसटी के इन 21 जोन के अंतर्गत, 107 जीएसटी करदाता सेवा आयुक्तालय हैं जो जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित हैं, जिनका नेतृत्व प्रधान आयुक्त/आयुक्त करते हैं। इसके बाद के गठन प्रभाग एवं रेंज हैं, जिनका नेतृत्व क्रमशः उप/सहायक आयुक्त एवं अधीक्षक करते हैं। इन आयुक्तालयों के अलावा 49 जीएसटी अपील आयुक्तालय, 48 जीएसटी लेखापरीक्षा आयुक्तालय एवं 22 निदेशालय हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए महानिदेशक (प्रणाली) एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) जैसे विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं।

### 1.3 राजस्व प्रवृत्ति

#### 1.3.1 अप्रत्यक्ष कर राजस्व प्रवृत्ति

भारत सरकार के समग्र संसाधन एवं 2018-19 से 2022-23 तक संघ सरकार के कर राजस्व का विवरण नीचे तालिका संख्या 1.1 में दिया गया है:

तालिका 1.1: भारत सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
क. कुल राजस्व प्राप्तियां*	36,61,672	33,34,813	24,59,509	25,98,705	25,67,916
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	16,63,686	14,12,422	9,47,174	10,50,685	11,37,718
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां <sup>8</sup>	13,90,505 (37.97%)	12,96,893 (38.89%)	10,79,929 (43.91%)	9,59,374 (36.92%)	9,42,747 (36.71%)

<sup>8</sup> अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों में भू-राजस्व और स्टाम्प एवं पंजीकरण से प्राप्त ₹ 655.70 करोड़ की प्राप्तियाँ भी शामिल हैं, जो अप्रत्यक्ष कर नहीं हैं और इसलिए इन्हें आगे के पैराग्राफों में अप्रत्यक्ष कर गणना में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, अन्य करों से प्राप्तियाँ जैसे राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री व्यापार आदि पर कर, वाहनों पर कर, बिजली आदि पर कर और शुल्क आदि से प्राप्त ₹ 3,288.66 करोड़ को भी बाद के पैराग्राफों में शामिल नहीं किया गया।

विवरण	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
(कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में)					
iii. गैर कर प्राप्तियां	6,05,594	6,24,192	4,30,654	5,88,273	4,86,388
iv. अनुदान सहायता एवं अंशदान	1,887	1,306	1,752	373	1,063
ख. विविध पूंजी प्राप्तियां	46,035	14,638	37,897	50,349	94,979
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	36,273	24,948	29,923	18,647	30,257
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	88,64,893	82,49,152	81,62,910	73,01,386	67,58,482
<b>भारत सरकार की प्राप्तियां (ए+बी+सी+डी)</b>	<b>1,26,08,873</b>	<b>1,16,23,551</b>	<b>1,06,90,239</b>	<b>99,69,087</b>	<b>94,51,634</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के केंद्रीय वित्त खाते।

\* कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को समनुदेशित प्रत्यक्ष करों एवं अप्रत्यक्ष करों की शुद्ध/कुल आय का हिस्सा सम्मिलित है।

वित्त वर्ष 22 की तुलना में वित्त वर्ष 23 के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में ₹ 93,612 करोड़ (7.22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अप्रत्यक्ष करों में यह वृद्धि माल एवं सेवा कर एवं सीमा शुल्क से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई, जो पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 22) की तुलना में क्रमशः ₹ 1,51,796 करोड़ (22 प्रतिशत) एवं ₹ 13,643 करोड़ (सात प्रतिशत) बढ़े। हालाँकि, वित्त वर्ष 23 के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ₹ 71,808 करोड़ (18 प्रतिशत) की कमी आई।

कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी, वित्त वर्ष 19 में 36.71 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में 43.91 प्रतिशत हो गई। हालाँकि, कुल प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी, वित्त वर्ष 22 में घटकर 38.89 प्रतिशत रह गई। वित्त वर्ष 23 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी एवं भी घटकर 37.97 प्रतिशत रह गई।

### 1.3.1.1 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संरचना

तालिका 1.2 में वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2023 के दौरान जीडीपी एवं सकल कर राजस्व के संबंध में अप्रत्यक्ष करों की सापेक्ष वृद्धि को दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

वर्ष (वित्त वर्ष <sup>9</sup> )	अप्रत्यक्ष कर*	जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर)	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर	(₹ करोड़ में)	
				सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वित्त वर्ष 2019	9,40,100	1,90,10,164	4.95	20,80,465	45.19
वित्त वर्ष 20	9,56,574	2,03,39,849	4.70	20,10,059	47.59
वित्त वर्ष 21	10,77,597	1,98,00,914	5.44	20,27,103	53.16
वित्त वर्ष 22	12,93,672	2,36,64,637	5.47	27,09,315	47.75
वित्त वर्ष 23	13,86,561	2,69,49,646 <sup>10</sup>	5.15	30,54,191	45.40

स्रोत: कर राजस्व - केंद्रीय वित्त लेखा, जीडीपी - सीएसओ का प्रेस नोट।

\*अप्रत्यक्ष करों में के.उ.शु, सेवा कर, जीएसटी, सीमा शुल्क एवं वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य करों से प्राप्त राजस्व (समानिकरण उद्ग्रहण को छोड़कर) सम्मिलित हैं।

वित्त वर्ष 21 एवं वित्त वर्ष 22 के दौरान, वित्त वर्ष 19 के 4.95 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 20 में 4.70 प्रतिशत होने के बाद, अप्रत्यक्ष करों का जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 21 एवं वित्त वर्ष 22 में बढ़कर क्रमशः 5.44 प्रतिशत एवं 5.47 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, वित्त वर्ष 23 के दौरान, अप्रत्यक्ष करों के जीडीपी के प्रति अनुपात में गिरावट देखी गई एवं यह घटकर 5.15 प्रतिशत रह गया। वित्त वर्ष 21 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि का मुख्य कारण, वित्त वर्ष 21 में केंद्रीय

<sup>9</sup> वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक होता है।

<sup>10</sup> वित्त वर्ष 23 के लिए जीडीपी- 7 जनवरी 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस नोट।

उत्पाद शुल्क राजस्व में 62 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि थी, जो वित्त वर्ष 20 में ₹ 2,39,452 करोड़ से वित्त वर्ष 21 में 27 प्रतिशत बढ़कर ₹ 3,89,667 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 22 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय जीएसटी राजस्व एवं सीमा शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई, जो क्रमशः वित्त वर्ष 21 में ₹ 5,51,541 करोड़ से 27 प्रतिशत बढ़कर ₹ 7,02,105 करोड़ एवं ₹ 1,34,750 करोड़ से 48 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,99,728 करोड़ हो गए। वित्त वर्ष 23 के दौरान, जीडीपी अनुपात में अप्रत्यक्ष करों में गिरावट का कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में कमी को माना जा सकता है, जो वित्त वर्ष 22 में ₹ 3,90,808 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 23 में ₹ 3,19,000 करोड़ हो गया, जो कि 18 प्रतिशत की गिरावट है।

सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 21 तक वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जहां सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर वित्त वर्ष 19 में 45.19 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में 53.16 प्रतिशत हो गए। हालांकि, वित्त वर्ष 22 एवं वित्त वर्ष 23 के दौरान सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशत क्रमशः 47.75 प्रतिशत एवं 45.40 प्रतिशत तक घट गया।

जब लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जुलाई 2024), तो मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2024) कि अप्रत्यक्ष कर, उपभोग आधारित कर हैं जो वृद्ध आर्थिक कारकों पर निर्भर करते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के लिए प्रमुख योगदानकर्ता सीमा शुल्क, वित्त वर्ष 23 में 6.8 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ एवं जीएसटी, 21.6 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ, हैं। मंत्रालय ने जीएसटी में वृद्धि का श्रेय प्रक्रियाओं के सरलीकरण, छूटों को युक्तिसंगत बनाने, जीएसटी में उलटफेर को ठीक करने, जीएसटी में दरों में विरूपण की समीक्षा, व्यावसायिक प्रक्रियाओं के स्वचालन एवं जीएसटी में अनुपालन में सुधार के लिए किए गए उपायों में विभिन्न सुधारों को दिया। मंत्रालय ने आगे कहा कि पेट्रोलियम ईंधन में शुल्क में कमी के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वित्त वर्ष 23 में गिरावट का रुख दिखा। सीमा शुल्क के संबंध में मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने सीमा शुल्क दर संरचना के

सरलीकरण के साथ-साथ विभिन्न छूटों को युक्तिसंगत बनाया है। सरकार ने सीमा शुल्क प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए "तुरंत कस्टम्स" कार्यक्रम, आरएमएस के व्यापक अनुप्रयोग आदि जैसे प्रौद्योगिकी के लाभ पर आधारित सुधारों की भी शुरुआत की, ताकि अनुपालन बोझ को कम किया जा सके, राजस्व में वृद्धि की जा सके एवं व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार किया जा सके।

### 1.3.2 अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि

तालिका 1.3 वित्त वर्ष 20 से वित्त वर्ष 23 के दौरान अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की सापेक्ष वृद्धि को दर्शाती है:

तालिका संख्या 1.3: अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि

कर घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केंद्रीय जीएसटी कर <sup>11</sup>	6,01,784 <sup>12</sup>	5,51,541 <sup>13</sup>	7,02,105 <sup>14</sup>	8,53,901 <sup>15</sup>
सीमा शुल्क	1,09,283	1,34,750	1,99,728	2,13,371
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2,39,452	3,89,667	3,90,808	3,19,000
सेवा कर	6,029	1,615	1,012	431
अन्य कर एवं शुल्क	26	24	19	-142
<b>कुल अप्रत्यक्ष कर</b>	<b>9,56,574</b>	<b>10,77,597</b>	<b>12,93,672</b>	<b>13,86,561</b>

(₹ करोड़ में)

स्रोत: संबंधित वर्षों के केंद्रीय वित्त लेखे।

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, वित्त वर्ष 22 की तुलना में वित्त वर्ष 23 के दौरान केंद्रीय जीएसटी राजस्व में 22 प्रतिशत (₹1,51,796 करोड़) की वृद्धि हुई। अप्रत्यक्ष करों का अन्य प्रमुख घटक अर्थात् सीमा शुल्क भी इसी अवधि के दौरान सात प्रतिशत (₹13,643 करोड़) बढ़ा। वित्त वर्ष 20 के

<sup>11</sup>जीएसटी राजस्व में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर तथा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल थे।

<sup>12</sup> आईजीएसटी अधिनियम के उल्लंघन में केंद्र द्वारा आईजीएसटी लेखा से ₹ 9,125 करोड़ रोक लिए गए, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी का बंटवारा आवश्यक है।


<sup>13</sup> आईजीएसटी अधिनियम के उल्लंघन में केंद्र द्वारा आईजीएसटी लेखा से ₹7,251 करोड़ रोक लिए गए, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी का बंटवारा आवश्यक है।

<sup>14</sup> आईजीएसटी अधिनियम के उल्लंघन में केंद्र द्वारा आईजीएसटी खाते से ₹ 2,119 करोड़ रोक लिए गए, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी का बंटवारा आवश्यक है।

<sup>15</sup> आईजीएसटी अधिनियम के उल्लंघन में केंद्र द्वारा आईजीएसटी लेखा से ₹ 4,748 करोड़ रोक लिए गए, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच आईजीएसटी का बंटवारा आवश्यक है।

दौरान अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय जीएसटी करों की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत थी। हालांकि, वित्त वर्ष 21 के दौरान, केंद्रीय जीएसटी का हिस्सा कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण के 51 प्रतिशत तक गिर गया। हालांकि, कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में केंद्रीय जीएसटी करों का हिस्सा, वित्त वर्ष 21 के दौरान 51 प्रतिशत से बढ़कर, वित्त वर्ष 22 के दौरान 54 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 23 के दौरान, कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में केंद्रीय जीएसटी करों का हिस्सा एवं अधिक बढ़कर 62 प्रतिशत हो गया।

**चार्ट 1.1** अप्रत्यक्ष करों के तीन प्रमुख घटकों अर्थात् केंद्रीय जीएसटी राजस्व, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रवृत्ति दर्शाता है।



जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से स्पष्ट है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय जीएसटी राजस्व वित्त वर्ष 20 में 3.00 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 22 में 2.97 प्रतिशत हो गया। हालांकि, वित्त वर्ष 23 के दौरान, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय जीएसटी राजस्व में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी एवं यह बढ़कर 3.17 प्रतिशत हो गया।

जब लेखापरीक्षा ने इसे इंगित किया (जुलाई 2024), तो मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2024) कि कर चोरी विरोधी गतिविधियों की कड़ी निगरानी, जीएसटी परिषद द्वारा प्रति प्रभार ढांचे को सही करने के लिए किए गए दर युक्तिकरण उपाय, जीएसटी विवरणी दाखिल करने में महत्वपूर्ण सुधार एवं

पिछले कुछ वर्षों में व्यापार की सुविधा के लिए जीएसटी परिषद द्वारा किए गए उपायों जैसे कारकों ने जीएसटी राजस्व में वृद्धि में योगदान दिया है।

### 1.3.2.1 भारत की समेकित निधि में आईजीएसटी का प्रतिधारण

वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान वर्ष के अंत में आईजीएसटी शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा निम्नानुसार रखी गई:

तालिका संख्या 1.4: भारत की समेकित निधि में वर्ष के अंत में रखा गया आईजीएसटी शेष  
(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय जीएसटी राजस्व	वर्ष के अंत में भारत की समेकित निधि में रखी गई आईजीएसटी शेष राशि
2018-19	5,84,387	13,944
2019-20	6,01,784	9,125
2020-21	5,51,541	7,251
2021-22	7,02,105	2,119
2022-23	8,53,901	4,748

स्रोत: संबंधित वर्षों के केंद्रीय वित्त लेखा।

एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017<sup>16</sup> (आईजीएसटी अधिनियम, 2017) की धारा 17 (2ए) के अनुसार, आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की उप-धारा 17(1) एवं उप-धारा 17(2) के अंतर्गत आवंटित न की गई राशि को, कुछ समय के लिए, जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर, तदर्थ आधार पर, केंद्र सरकार को पचास प्रतिशत एवं राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों को पचास प्रतिशत की दर से, जैसा भी मामला हो, आवंटित किया जा सकता है, एवं उक्त उप-धारा के अंतर्गत आवंटित राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष के अंत में भारत की समेकित निधि में रखी गई आईजीएसटी शेष राशि को केंद्र एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विभाजित किया जा सकता है।

<sup>16</sup>एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा 01 फरवरी, 2019 से सम्मिलित

मंत्रालय से यह बताने के लिए अनुरोध किया गया (जुलाई 2024) कि क्या तालिका 1.4 के अनुसार, भारत की संचित निधि में रखे गए आईजीएसटी के वर्षांत शेष को बाद के वर्षों में समायोजित किया गया था। मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया गया कि वह वर्षांत आईजीएसटी शेष को भारत की संचित निधि में रखने के कारण एवं बाद के वर्षों में केंद्र एवं राज्यों के बीच वर्षांत आईजीएसटी शेष के बंटवारे का विवरण प्रदान करे। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

यह उल्लेख करना उचित है कि लेखापरीक्षा ने सीएजी के 2024 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7 के पैराग्राफ 1.3.2.1 में इसी तरह की अभ्युक्ति उठाई थी जिसमें लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान, वर्ष के अंत में आईजीएसटी शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा रोक कर रखी गई थी। मंत्रालय ने अपने कार्यवाही नोट (जनवरी 2025) में बताया कि वर्तमान में, वर्ष के अंत में बचे आईजीएसटी के अनावंटित शेष को प्रयोग करने हेतु कोई तंत्र नहीं है क्योंकि यह भारत के समेकित निधि का भाग बन जाता है। हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 एवं उसके बाद के वर्षों में वित्तीय वर्ष के अंत में आईजीएसटी की अनावंटित राशि के लेखांकन समायोजन एवं इसके आबंटन के लिए एक लेखांकन प्रक्रिया के सर्जन का प्रस्ताव विचाराधीन था। इस संदर्भ में, जनवरी 2025 में लेखा महानियंत्रक कार्यालय से प्राप्त मसौदा शुद्धि पत्र एवं मसौदा लेखा प्रक्रिया के जवाब में, मार्च 2025 में लेखापरीक्षा द्वारा लघु शीर्ष को खोलने के लिए सुधार पर्ची पत्र जारी करने के लिए सलाह दी गई थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा का मानना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान रोक कर रखे गए आईजीएसटी शेष को भी सीजीएसटी एवं एसजीएसटी में बांटा जाना चाहिए, जैसा कि आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(2ए) में प्रावधान किया गया है।

#### 1.4 निष्कर्ष

अप्रत्यक्ष कर संग्रह में ₹93,612 करोड़ (सात प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2022-23 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए, अप्रत्यक्ष करों का जीडीपी अनुपात वित्त

वर्ष 22 के 5.47 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 23 में 5.15 प्रतिशत रह गया। वित्त वर्ष 23 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष करों में यह कमी मुख्य रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में कमी के कारण हुई, जो वित्त वर्ष 22 के ₹ 3,90,808 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 23 में ₹3,19,000 करोड़ रह गया, जो 18 प्रतिशत की गिरावट है।

वित्त वर्ष 22 की तुलना में वित्त वर्ष 23 के दौरान केंद्रीय जीएसटी राजस्व में 22 प्रतिशत (₹1,51,796 करोड़) की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 23 के दौरान, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय जीएसटी राजस्व वित्त वर्ष 22 के 2.97 प्रतिशत से बढ़कर 3.17 प्रतिशत हो गया।



## अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, लेखापरीक्षा समष्टि और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

### 2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में यह प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) संघ और राज्यों तथा अन्य किसी प्राधिकार या निकाय, जो संसद द्वारा पारित किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत बनाई गई है, के लेखाओं के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत निर्धारित किए जाएं। संसद ने 1971 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया। सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 16 सीएजी को भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों और विधानपरिषद वाली सभी केंद्र शासित प्रदेशों की सभी प्राप्तियों के लेखापरीक्षा तथा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि निर्धारण, संग्रहण और राजस्व के उचित आवंटन पर प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और उन्हें विधिवत देखा जा रहा है, के लिये अधिकृत करता है। लेखापरीक्षा और लेखों पर विनियम (संशोधन), 2020 प्राप्ति लेखापरीक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित करते हैं।

#### 2.1.1 प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जाँच और उनकी प्रभावकारिता

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में मुख्य रूप से निम्नलिखित के संबंध में प्रणालियों और प्रक्रियाओं तथा उनकी प्रभावकारिता की जांच करना शामिल है:

- क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ रोकथाम और लगाना पता का अपवंचन कर साथ- करना;
- ख. शास्ति लगाने और अभियोजन शुरू करने सहित उचित तरीके से विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करना;

- ग. अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त कार्रवाई;
- घ. राजस्व प्रशासन को मजबूत करने या सुधारने के लिए शुरू किए गए कोई भी उपाय;
- ङ. राजस्व जो बकाया हो सकता है, बकाया के दस्तावेजों का अनुरक्षण और बकाया राशि की वसूली के लिए की गई कार्रवाई;
- च. उचित उद्यम के साथ दावों की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि पर्याप्त कारण और उचित प्राधिकरण को छोड़कर इन्हें त्याग दिया या घटाया न जाए।

### 2.1.2 अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एक स्व-निर्धारण प्रणाली है जिसमें करदाता अपने स्वयं के कर विवरणी तैयार करते हैं और इसे विभाग को प्रस्तुत करते हैं। यह प्रणाली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 और विरासतीय कर अधिनियमों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 सहित राजकोषीय कानूनों द्वारा निर्दिष्ट की गई है। अप्रत्यक्ष कर प्रशासन विवरणी संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा आदि के माध्यम से विवरणियों की जांच और निर्धारण करता है और करदाता द्वारा जमा किए गए कर की शुद्धता सुनिश्चित करता है।

अप्रत्यक्ष कर प्रशासन की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की प्रभावोत्पादकता की जांच करने के लिए, लेखापरीक्षा बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और कार्यात्मक शाखाओं के अभिलेखों के साथ-साथ निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत विवरणी से संबंधित अभिलेखों की जांच करता है।

## 2.2 लेखापरीक्षा समष्टि

लेखापरीक्षा समष्टि में राजस्व विभाग, सीबीआईसी, इसके अधीनस्थ संगठन और क्षेत्रीय संरचनाएं शामिल हैं। सीबीआईसी की संगठनात्मक संरचना और विभागीय इकाइयों की संख्या पर इस प्रतिवेदन के पैरा 1.2 में चर्चा की गई

है। सीबीआईसी और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिकाओं और कर्तव्यों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

### **2.2.1 सीबीआईसी**

वित्त मंत्रालय में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, भारत संघ के अप्रत्यक्ष करों के उदग्रहण और संग्रहण के प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय है। यह अप्रत्यक्ष करों के करारोपण व संग्रहण, तस्करी की रोकथाम और अप्रत्यक्ष करों और सीबीआईसी के क्षेत्रांगत नशीले पदार्थों के संदर्भ में प्रशासनिक मामलों के नीति निर्धारण का कार्य करता है। सीबीआईसी का एक अध्यक्ष और छः सदस्य होते हैं।

### **2.2.2 जोन**

जोन प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चतम लेखापरीक्षा योग्य क्षेत्र संस्थाएं हैं। प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, जोन के सभी आयुक्तालयों के तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं। वे जोन में प्रत्येक आयुक्तालय द्वारा राजस्व संग्रह और अधिनियमों/नियमों और समय-समय पर जारी बोर्ड के अनुदेशों/दिशानिर्देशों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

### **2.2.3 आयुक्तालय**

आयुक्तालयों को तीन श्रेणियों अर्थात् कार्यकारी आयुक्तालय, आयुक्तालय (लेखापरीक्षा) और आयुक्तालय (अपील) में विभाजित किया गया है।

कार्यकारी आयुक्तालयों का प्राथमिक कार्य केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, इन अधिनियमों और संसद के अन्य संबद्ध अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों जिनके अंतर्गत जीएसटी/केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया और एकत्र किया जाता है को लागू करना है। प्रशासनिक रूप से, प्रत्येक आयुक्तालय एक त्रिस्तरीय सेट-अप है जिसके शीर्ष पर मुख्यालय है, दूसरे स्तर पर चार से छः प्रभाग हैं और तीसरे और अंतिम स्तर पर प्रत्येक प्रभाग के अंतर्गत औसतन चार से सात रेंज हैं।

प्रत्येक क्षेत्र में, आयुक्त (लेखापरीक्षा) की अध्यक्षता में एक या अधिक लेखापरीक्षा आयुक्तालय हो सकते हैं। लेखापरीक्षा आयुक्तालय का मुख्य कार्य अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले करदाताओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करना, निगरानी समिति की बैठकें आयोजित करना, निर्धारितियों के विरुद्ध मामलों को आगे बढ़ाने में कार्यकारी आयुक्तालयों की सहायता करना आदि है। आयुक्त (अपील) एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और आयुक्त के रैंक के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित अधिनिर्णयन आदेशों के संबंध में अपील पर आदेश पारित करता है।

#### **2.2.4 प्रभाग**

प्रत्येक कार्यकारी आयुक्तालय में चार से छः प्रभाग होते हैं जिनकी अध्यक्षता एक उप/सहायक आयुक्त करता है। प्रभाग प्रमुख अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानूनों और प्रक्रियाओं के उचित अनुपालन के लिए उत्तरदायी हैं। वे अंतरिम मूल्यांकन, प्रतिदाय दावों की मंजूरी और अर्ध-न्यायिक कार्यों अर्थात् उनकी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों का अधिनिर्णयन के निष्पादन के लिए भी जिम्मेदार हैं।

#### **2.2.5 रैंज**

प्रत्येक प्रभाग में औसतन चार से सात रैंज होती हैं। रैंज, एक अधीक्षक की अध्यक्षता में, व्यापार व उद्योग और विभाग के बीच संपर्क का पहला कार्यालय है। कर निर्धारण की संवीक्षा रैंज द्वारा कर निर्धारितियों द्वारा फाइल निर्धारित विवरणियों के आधार पर की जाती है। मूल्यांकन कार्य के अलावा, रैंज के अधिकारी करदाताओं द्वारा दाखिल किये गये वैधानिक घोषणाओं की शुद्धता की भी जांच करते हैं।

### **2.3 लेखापरीक्षा नमूना, लेखापरीक्षा प्रयास और लेखापरीक्षा उत्पाद**

वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा को अखिल भारतीय डेटा और सीबीआईसी के बैक-एंड सिस्टम तक पहुँच प्रदान की गई थी। इससे लेखापरीक्षा को जीएसटी के संबंध में इकाई स्तर (रैंज/प्रभागों) पर सामान्य जोखिम निर्धारण से अधिक व्यापक विषय वस्तु जोखिम निर्धारण में सुविधा हुई।

तदनुसार, 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा के महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) की अध्यक्षता में नौ क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों ने जीएसटी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी का विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा किया ताकि यह आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि करदाता नियमित रूप से अपना रिटर्न फाइल करते हैं और अपनी कर देयता एवं अन्य अनिवार्य दायित्वों का ठीक से निर्वहन करके जीएसटी कानून का पालन करते हैं। लेखापरीक्षा ने ₹2,813.62 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 2,264 अनुपालन विचलन प्राप्त किए। जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रतिवेदन के अध्याय IV में शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने 2023-24 के दौरान कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत करदाताओं के संबंध में विभागीय निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता की भी जाँच की। निष्कर्ष अध्याय III में दिए गए हैं।

अप्रत्यक्ष कर प्रशासन एवं अप्रत्यक्ष कर राजस्व प्रवृत्तियों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस रिपोर्ट के अध्याय I में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने चार आयुक्तालयों से प्राप्त ₹17.5 करोड़ की धनराशि से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों पर दो अभ्युक्तियों के साथ एक मसौदा पैराग्राफ भी जारी किया था। ये लेखापरीक्षा निष्कर्ष वर्ष 2022-23 से 2023-24 की अवधि के दौरान देखा गया था। इस लेखापरीक्षा पैराग्राफ का विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है।

## **2.4 केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर विभाग की प्रतिक्रिया**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के साथ पठित, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भारत सरकार एवं प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जिसकी विधान सभा हो, की सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है कि नियम एवं प्रक्रियाएं राजस्व

निर्धारण, संग्रहण एवं उचित आवंटन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं एवं उनका विधिवत पालन किया जा रहा है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम (संशोधन), 2020 में प्राप्ति लेखापरीक्षा के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। विनियम 136 के प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पूरी होने पर विभाग को, टिप्पणियों के लिए स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एलएआर) जारी करती है।

लेखापरीक्षा विभिन्न चरणों में लेखापरीक्षित संस्थाओं से अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करती है। विनियम 137 से 152 के प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को आयुक्तालय प्रमुखों को भेजने, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को क्षेत्रीय प्रमुखों को बताने, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें (एसीएम) आयोजित करती है ताकि लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके एवं उनका निपटान किया जा सके।

बोर्ड के दिनांक 8 अप्रैल 2016 के परिपत्र संख्या 1023/11/2016-सीएक्स में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से निपटने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है एवं इसके क्षेत्रीय संरचनाओं को स्थानीय लेखापरीक्षा पैराग्राफों का तीस दिनों के भीतर उत्तर देने का निर्देश दिया गया है। परिपत्र में यह भी प्रावधान किया गया है कि अंचल, लंबित स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पैराग्राफों पर चर्चा एवं निपटान के लिए लेखापरीक्षा के साथ तिमाही समन्वय बैठकें आयोजित करें।

1 जुलाई 2017 से पूर्व, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा की जाती थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एलएआर) के रूप में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड क्षेत्रीय संरचनाओं को जारी की जाती थी ताकि सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अनेक स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उनमें निहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ विभाग से उत्तर न मिलने के कारण लंबित रहीं। माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के बाद, पूर्व की लेखापरीक्षा

अभ्युक्तियाँ प्रासंगिकता खो चुकी हैं एवं उनमें से कई के लिए राजस्व वसूली हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करने का समय समाप्त हो चुका है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का समाधान करने हेतु एक प्रयोग किया एवं उन्हें तथ्यों के विवरण (एसओएफ) के रूप में जारी किया। तत्पश्चात, लंबित अभ्युक्तियों पर चर्चा हेतु लेखापरीक्षा समिति की बैठकें (एसीएम) आयोजित की गईं। उत्तर/चर्चा के आधार पर, जिन अभ्युक्तियों पर कार्रवाई की गई/उत्तर स्वीकार्य थे, उनका निपटारा/समापन कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इस प्रयोग के बावजूद, ₹ 3,661.53 करोड़ की राशि से संबंधित 3,046 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में प्रतिक्रिया/साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण लंबित रहीं।

मंत्रालय इन मामलों की जांच कराए तथा विभाग द्वारा उत्तर न देने के कारणों का पता लगाए।

## 2.5 पिछले सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

पिछले चार वर्षों में (वि.व.23 को छोड़कर), हमने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और माल एवं सेवा कर से संबंधित 577 लेखापरीक्षा पैराग्राफ/ एसएससीए शामिल किए थे, जिसमें ₹5,764.10 करोड़ की राशि शामिल थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण तालिका 2.1 में शामिल किया गया है।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाई

(राशि ₹करोड़ में)

वर्ष	विव.19				कुल	
	विव.18	एवं विव.20	विव.21	विव.22		
सम्मिलित पैराग्राफ/ एसएससीए जो शामिल किए गए	सं. राशि	239 401.26	297 1,236.26	30 1,251.18	11 2,875.40	577 5,764.10
पैराग्राफ	सं.	216	205	28	11	460
स्वीकृत/आंशिक रूप से स्वीकृत	31.05.2025 तक राशि	200.39	1,101.12	1,209.86	2,252.75	4,764.12
प्रभावित वसूलियां	31.05.2025 तक सं. राशि	116 58.37	107 43.24	14 195.52	10 84.97	247 382.10

मंत्रालय ने ₹4,764.12 करोड़ के धन मूल्य वाले 460 लेखापरीक्षा पैराग्राफ/एसएससीए की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की थीं और 247 लेखापरीक्षा पैराओं के संबंध में ₹382.10 करोड़ की वसूली की थी।

## 2.6 इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया

हमने प्रतिवेदन में करने से पहले मंत्रालय को जारी की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अपनी टिप्पणियां देने के लिए छः सप्ताह का समय दिया। हमने इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ₹ 24,044.73 करोड़ की राशि वाली विषय-विशिष्ट अनालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) प्रतिवेदन को शामिल किया है। मंत्रालय ने जीएसटी भुगतान और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी के एसएससीए के संबंध में ₹22,165.05 करोड़ की राशि वाले 2,942 मामलों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया या जांच शुरू की तथा लेखापरीक्षा के आग्रह पर 387 मामलों में ₹ 144.15 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर एक मसौदा पैराग्राफ भी सम्मिलित किया है (जिसकी धन राशि ₹17.5 करोड़ है)। उपरोक्त के अतिरिक्त, हमने कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत करदाताओं के संबंध में विभागीय निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता, माल एवं सेवा कर के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा, अप्रत्यक्ष कर प्रशासन एवं राजस्व प्रवृत्ति से संबंधित पाँच मसौदा पैराग्राफ जारी किए। एक मसौदा पैराग्राफ के संबंध में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

## तृतीय अध्याय: जीएसटी के अंतर्गत अनुपालन सत्यापन तंत्र की प्रभावशीलता

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 59 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान की गई आपूर्तियों पर देय कर का स्व-मूल्यांकन करना होगा एवं प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी दाखिल करनी होगी। अतः माल एवं सेवा कर भी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैट एवं सेवा कर की तरह, स्व-मूल्यांकन को बढ़ावा देता है।

स्व-मूल्यांकन में प्रभावी कर अनुपालन सत्यापन तंत्र का केंद्रबिंदु है, जिसमें विवरण की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं कर अपवंचन-रोधी कार्य सम्मिलित हैं। यह अध्याय वित्त वर्ष 23 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में विभाग के समग्र निष्पादन के अतिरिक्त, सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं के संबंध में विभाग के अनुपालन सत्यापन तंत्र की प्रभावशीलता को सामने लाता है।

### 3.1. कंपोजिशन लेवी स्कीम (सीएलएस) के अंतर्गत करदाताओं के संबंध में विभागीय निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) की धारा 10 के अनुसार, सीएलएस कार्यविधि को सरल बनाने एवं अनुपालन लागत को कम करने के लिए छोटे करदाताओं पर लागू होती है। सीएलएस उन सभी करदाताओं पर लागू होती है, जिनका कुल कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष में ₹1.5 करोड़ से अधिक नहीं है, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों<sup>17</sup> के करदाताओं के लिए यह सीमा 1 अप्रैल 2019 से ₹75 लाख<sup>18</sup> निर्धारित की गई है।

---

<sup>17</sup> अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा

<sup>18</sup> माल एवं सेवा कर की शुरुआत में (01 जुलाई 2017 से प्रभावी), करदाताओं के लिए टर्नओवर सीमा ₹75 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹50 लाख) निर्धारित की गई थी। 14 अक्टूबर 2017 को यह सीमा संशोधित कर ₹1 करोड़ (विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹75 लाख) कर दी गई और 31 मार्च 2019 तक जारी रही।

शुरुआत में, यह योजना केवल वस्तुओं के लिए लागू थी (एवं रेस्तरां सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं के लिए नहीं)। हालाँकि, सीजीएसटी अधिनियम में धारा 10 (2ए) लागू होने के साथ, 1 अप्रैल 2019 से सीएलएस को सेवा आपूर्तिकर्ताओं पर भी लागू कर दिया गया, बशर्ते कि पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹50 लाख से अधिक न हो। सीएलएस का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को अपने कारोबार पर एक निश्चित दर<sup>19</sup> से कर का भुगतान करना आवश्यक है, जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017, की धारा 10 एवं सीजीएसटी नियम, 2017, के नियम 5 में दी गई विशिष्ट शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन है।

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के लिए केंद्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 8.66 लाख कंपोजिशन लेवी करदाताओं<sup>20</sup> से संबंधित माल एवं सेवा कर नेटवर्क आंकड़ा पर अक्टूबर 2022 में आंकड़ा विश्लेषण किया।

आंकड़ा विश्लेषण से पता चला कि सीएलएस के लिए कारोबार सीमा पार करने का उच्च जोखिम वाले करदाताओं की काफी संख्या है। इन उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान लेखापरीक्षा द्वारा माल एवं सेवा कर विवरणी, जैसे जीएसटीआर-4ए, जीएसटीआर-7, के साथ-साथ आयकर विवरणी, 'वाहन<sup>21</sup>' डाटा बेस आदि जैसे तृतीय-पक्ष आंकड़ा स्रोतों में निहित आंकड़ा से की गई थी एवं इन मामलों को मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन करदाताओं के संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा कोई अनुपालन

---

<sup>19</sup> विनिर्माताओं और व्यापारियों के लिए - राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारोबार का एक प्रतिशत; अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के खंड (बी) में निर्दिष्ट आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता - राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारोबार का पांच प्रतिशत; सेवाओं के आपूर्तिकर्ता या माल और सेवाओं की मिश्रित आपूर्ति - राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कारोबार का छह प्रतिशत।

<sup>20</sup> सितंबर 2022 में माल एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश भर में सीएलएस के अंतर्गत 23.69 लाख करदाता थे। इनमें से 8.66 लाख करदाता केंद्रीय क्षेत्राधिकार (अर्थात् सीबीआईसी से संबंधित) के अंतर्गत थे।

<sup>21</sup> सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारत सरकार का मोटर वाहन पंजीकरण डेटाबेस

सत्यापन किया गया है या नहीं। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कुछ सीएलएस करदाता, अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा न करने के बावजूद इस योजना में बने हुए थे और, बड़ी संख्या में सीएलएस करदाता, अपने अनिवार्य दायित्वों, जैसे विवरणी दाखिल करना एवं प्रति प्रभार के अंतर्गत कर का भुगतान करना, पूरी नहीं कर रहे थे।

वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा एक अनुपालन लेखापरीक्षा की गई, जो अक्टूबर 2022 में किए गए आंकड़ा विश्लेषण प्रयोग का अनुवर्तन थी। इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं ने लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में चिन्हित आंकड़ा स्तर की विसंगतियों पर किस स्तर तक सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की, साथ ही सीएलएस में करदाताओं से संबंधित विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं में विद्यमान निगरानी तंत्र का मूल्यांकन भी करना था। इस प्रकार, आंकड़ा विश्लेषण में विसंगतियों की प्रकृति एवं सीमा इस अनुपालन लेखापरीक्षा का आधार बनी।

### **3.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य**

सीएलएस पर यह अनुपालन लेखापरीक्षा वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए अखिल भारतीय आंकड़ा विश्लेषण की निरंतरता के रूप में की गई, जिसे सीएजी की 2024 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7 के सप्तम अध्याय में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य निम्नलिखित का मूल्यांकन करना था—

- क) सीएलएस में करदाताओं के संदर्भ में मौजूदा विभागीय निगरानी तंत्र की प्रभावशीलता, एवं
- ख) आंकड़ा विश्लेषण में लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किए गए विचलनों पर विभागीय संरचनाओं द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई की पर्याप्तता।

### **3.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र**

इस लेखापरीक्षा के दायरे में सीबीआईसी-एसीईएस-जीएसटी प्रणाली में उपलब्ध चयनित करदाताओं के विवरणी एवं सूचनाओं का सत्यापन तथा सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं में अभिलेखों का सत्यापन सम्मिलित था, ताकि वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में सीएलएस करदाताओं द्वारा अनुपालन की निगरानी में विभाग की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।

### 3.1.4 लेखापरीक्षा प्रतिदर्श

वर्ष 2022-23 में किए गए आंकड़ा विश्लेषण से निम्नलिखित श्रेणियों में विचलन चिन्हित किए गए: (क) उच्च जोखिम वाले करदाता जिनके कारोबार की सीमा पार करने की उच्च संभावना थी; (ख) करदाता जो अपात्र थे लेकिन योजना के अंतर्गत बने रहे; (ग) करदाता जिन्होंने नियमों के अनुसार अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया। केंद्रीय क्षेत्राधिकार<sup>22</sup> के अंतर्गत सीएलएस में कुल 8.66 लाख करदाताओं में से, संबंधित तीन श्रेणियों में चिन्हित किए गए करदाताओं की संख्या में 3,278 उच्च जोखिम वाले करदाता थे; 4,333 करदाता योजना में बने रहने के लिए अपात्र थे; एवं 99,891 करदाता जिन्होंने अपने कर दायित्वों का निर्वहन नहीं किया।

वर्तमान में प्रस्तुत की जा रही लेखापरीक्षा हेतु प्रतिदर्श इन तीन श्रेणियों से यादृच्छिक रूप से 2:1:2 के अनुपात में चुना गया था, अर्थात्—300 उच्च-जोखिम करदाता, 150 ऐसे करदाता जो योजना में बने रहने के लिए अपात्र थे, तथा 300 ऐसे करदाता जिन्होंने अपने कर दायित्वों का निर्वहन नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने विभागीय कार्रवाई एवं निगरानी तंत्र के सत्यापन के लिए पूर्व में आंकड़ा विश्लेषण के दौरान पाए गए विचलनों की संख्या के आधार पर 10 सीजीएसटी आयुक्तालयों<sup>23</sup> के अंतर्गत आने वाले 750 करदाताओं<sup>24</sup> के नमूने का चयन किया था।

### 3.1.5. लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में कुछ प्रणालीगत समस्याएँ पाई गईं, जैसे कि कंपोजिशन लेवी करदाताओं के लिए निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए

---

<sup>22</sup> सितंबर 2022 में माल एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।

<sup>23</sup> केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर व सीएस - कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, विशाखापत्तनम, गुंटूर, पुणे-II, नासिक, जयपुर, जोधपुर, लखनऊ और वाराणसी।

<sup>24</sup> नमूना तीन श्रेणियों से यादृच्छिक आधार पर चुना गया था, अर्थात् उच्च जोखिम वाले करदाता; करदाता जो योजना में बने रहने के लिए अपात्र थे; और करदाता जिन्होंने कर दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, 2:1:2 के अनुपात में।

अपर्याप्त तंत्र, जिसमें क्षेत्र अधिकारियों के लिए जीएसटीआर-4ए विवरणी की अनुपालब्धता एवं विभाग के अनुपालन सत्यापन तंत्र, जैसे विवरण की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, कर अपवंचन-रोधी आदि में सीएलएस करदाताओं का अपर्याप्त आच्छादन सम्मिलित है। करों का भुगतान न करने/कम भुगतान करने, सीएलएस करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति करने एवं वार्षिक विवरणी दाखिल न करने जैसी श्रेणियों में भी अभ्युक्तियाँ पाई गईं। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि सीएलएस करदाताओं द्वारा अनुपालन न करने के बावजूद, इन मामलों में विभाग की कार्यवाही अपर्याप्त थी।

### **3.1.6 अपर्याप्त निगरानी तंत्र**

केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 5 में सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें एवं प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं।

विभाग के अनुपालन निगरानी तंत्र में, विवरणी की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं कर अपवंचन-रोधी कार्य सम्मिलित हैं। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 में प्रावधान है कि उचित अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण एवं संबंधित विवरणियों की संवीक्षा कर सकते हैं ताकि विवरणी एवं दी गई जानकारी की शुद्धता का सत्यापन किया जा सके।

धारा 65, कर प्राधिकारियों को यह अधिकार देती है कि वे करदाताओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा करें ताकि प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का आकलन किया जा सके तथा करदाताओं द्वारा अनुपालन न करने का पता लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त, धारा 67 समुचित अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह करदाता के किसी भी व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करे, यदि उसको यह लगता है कि करदाता ने वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से संबंधित किसी लेन-देन को छिपाया है या कर अपवंचन के लिए अधिनियम एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है।

विभागीय निगरानी कार्य की लेखापरीक्षा से पता चला कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 5 की अनुपालना को सत्यापित करने के लिए निगरानी तंत्र अपर्याप्त था। लेखापरीक्षा द्वारा विभागीय अनुपालना सत्यापन तंत्र अर्थात् विवरणी की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं कर अपवंचन रोधी प्रक्रिया में कंपोजिशन लेवी करदाताओं की अपर्याप्त व्याप्ति पायी गई। यह भी पाया गया कि क्षेत्र अधिकारियों को जीएसटीआर-4ए उपलब्ध नहीं थी, जिससे निगरानी तंत्र में बाधा उत्पन्न हुई।

### **3.1.6.1 कंपोजिशन लेवी करदाताओं के लिए निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए अपर्याप्त तंत्र**

केंद्रीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नियम, 2017 के नियम 5 में कंपोजिशन लेवी स्कीम (सीएलएस) के अंतर्गत करदाताओं द्वारा पालन की जाने वाली शर्तों एवं प्रतिबंधों को निर्धारित किया गया है, जिसमें यह सम्मिलित है कि कंपोजिशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक करदाता को उसके द्वारा जारी किए गए आपूर्ति बिल के शीर्ष पर "कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति, आपूर्ति पर कर एकत्र करने के लिए पात्र नहीं है" शब्दों का उल्लेख करना होगा [नियम 5 (एफ)]; तथा उसके मुख्य व्यवसाय स्थल एवं प्रत्येक अतिरिक्त व्यवसाय स्थल के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइनबोर्ड पर शब्दों "कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति" लिखा जाना चाहिये। [नियम 5 (जी)]।

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 (4) में प्रावधान है कि सीएलएस करदाता न तो प्राप्तकर्ता से उसके द्वारा की गई आपूर्ति पर कोई कर वसूल करेगा एवं न ही वह इनपुट टैक्स के किसी क्रेडिट का हकदार होगा।

लेखापरीक्षा ने धारा 10(4) एवं नियम 5(एफ) के प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सभी चयनित 10 आयुक्तालयों में 750 करदाताओं के नमूने में से 297 सीएलएस करदाताओं के संबंध में प्रतिदर्श जांच के आधार पर 'आपूर्ति के बिल' मांगे। विभाग ने केवल 44 करदाताओं के संबंध में ही 'आपूर्ति के बिल' उपलब्ध कराए। हालांकि जिन सीमित मामलों में 'आपूर्ति के बिल' उपलब्ध कराए गए, उनमें लेखापरीक्षा में पाया गया कि छः

आयुक्तालयों<sup>25</sup> के 44 करदाताओं में से 17 करदाता, जो 38.6 प्रतिशत हैं, ने नियम 5(एफ) के प्रावधानों का पालन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने अपने द्वारा निर्गत आपूर्ति के बिलों के शीर्ष पर " कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति, आपूर्ति पर कर एकत्र करने के लिए पात्र नहीं" शब्दों का उल्लेख नहीं किया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि इस संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, इस नियम का पालन न करने पर, करदाताओं द्वारा प्राप्तकर्ताओं से कर वसूलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी, 2017 के नियम 5(एफ) एवं सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10(4) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र की स्थापना न केवल ऐसे करदाताओं को अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकेगा, बल्कि इस योजना के लाभों का उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में भी मदद करेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किया गया (मार्च 2024)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था। (अप्रैल 2025)।

### **3.1.6.2 विभाग के निगरानी तंत्र में कंपोजिशन योजना के करदाताओं की अपर्याप्त व्याप्ति**

#### **1 सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं की विवरणियों की संवीक्षा**

विभाग ने वर्ष 2022-23<sup>26</sup> के दौरान 2017-18 एवं 2018-19 की अवधि की माल एवं सेवा कर विवरणी की संवीक्षा की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष छः आयुक्तालयों<sup>27</sup> में 2017-18 एवं 2018-19 से संबंधित विवरणियों की संवीक्षा के लिए चुने गए 5,969 करदाताओं में से, जोधपुर आयुक्तालय में सीएलएस के अंतर्गत केवल एक करदाता को संवीक्षा के लिए चुना गया था। इसके अतिरिक्त, चार आयुक्तालयों<sup>28</sup> द्वारा संवीक्षा के लिए चुने गए करदाताओं की कुल संख्या संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

<sup>25</sup> कोलकाता दक्षिण, जोधपुर, गुंटूर, विशाखापत्तनम, लखनऊ और वाराणसी।

<sup>26</sup> सीबीआईसी निर्देश संख्या 02/2022-जीएसटी दिनांक 22 मार्च 2022।

<sup>27</sup> गुंटूर, जोधपुर, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, लखनऊ और विशाखापत्तनम।

<sup>28</sup> पुणे-II, नासिक, जयपुर और वाराणसी।

हालाँकि, वर्ष 2023-24 में व्यापकता में सुधार हुआ क्योंकि दस चयनित आयुक्तालयों में से पाँच<sup>29</sup> में विवरणियों की संवीक्षा के लिए चुने गए 2,672 करदाताओं में से, सीएलएस के अंतर्गत 1,397 करदाताओं (जो 52 प्रतिशत हैं) को वित्त वर्ष 2019-20 की विवरणियों की संवीक्षा में सम्मिलित किया गया। शेष पाँच<sup>30</sup> आयुक्तालयों द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान संवीक्षा के लिए चुने गए करदाताओं की कुल संख्या संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किया गया (मार्च 2024)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

## 2 सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं की आंतरिक लेखापरीक्षा

धारा 65 कर प्राधिकारियों को माल एवं सेवा कर प्रावधानों के अनुपालन की सीमा का आकलन करने तथा करदाताओं द्वारा की गई अननुपालन का पता लगाने के लिए करदाताओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार प्रदान करती है।

सीएलएस करदाताओं के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की प्रभावशीलता की जाँच करने के लिए, विभाग से 10 चयनित आयुक्तालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए करदाताओं एवं सीएलएस करदाताओं के संबंध में विवरण माँगा गया। हालाँकि, जयपुर एवं नासिक आयुक्तालयों द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

आठ आयुक्तालयों<sup>31</sup> से प्राप्त प्रत्युत्तरों के जांच पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन आयुक्तालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 3,362 करदाताओं में से, पांच आयुक्तालयों<sup>32</sup> (62.5 प्रतिशत) में वित्तीय वर्ष 2022

<sup>29</sup> गुंटूर, जोधपुर, लखनऊ, कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण।

<sup>30</sup> पुणे-II, नासिक, जयपुर, वाराणसी और विशाखापत्तनम।

<sup>31</sup> गुंटूर, विशाखापत्तनम, जोधपुर, लखनऊ, वाराणसी, पुणे-II, कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण।

<sup>32</sup> गुंटूर, विशाखापत्तनम, जोधपुर, लखनऊ और वाराणसी।

से 2023 तक की अवधि के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए किसी भी सीएलएस करदाता का चयन नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, शेष तीन आयुक्तालयों<sup>33</sup> में, आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 698 करदाताओं में से केवल 39 करदाता (छ: प्रतिशत) सीएलएस से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किए गए 750 विचलन मामलों के नमूने में से कोई भी वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा चयन में शामिल नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किया गया (मार्च 2024) एवं मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

### 3 सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं पर अपवंचन - रोधी उपाय

सीएलएस करदाताओं के संबंध में अपवंचन-रोधी उपायों की प्रभावशीलता की जाँच के लिए, विभाग से चयनित 10 आयुक्तालयों में कर-अपवंचन-रोधी उपायों के लिए चुने गए सीएलएस करदाताओं सहित करदाताओं का विवरण मांगा गया था। हालाँकि, पुणे- द्वितीय एवं नासिक आयुक्तालयों द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

शेष आठ आयुक्तालयों<sup>34</sup> से प्राप्त प्रत्युत्तरों की जांच करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपवंचन-रोधी उपायों के लिए चुने गए 1,471 करदाताओं में से छ: आयुक्तालयों<sup>35</sup> में, वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 23 तक अपवंचन-रोधी उपायों के लिए किसी भी सीएलएस करदाता का चयन नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, शेष दो आयुक्तालयों में 414 करदाताओं में से केवल तीन सीएलएस करदाताओं (जो एक प्रतिशत से भी कम है) को ही वित्त वर्ष 2022 से 2023 के दौरान अपवंचन-रोधी उपायों के लिए चुना गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किया गया (मार्च 2024)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

<sup>33</sup> पुणे-II, कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण।

<sup>34</sup> गुंटूर, विशाखापत्तनम, जोधपुर, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण।

<sup>35</sup> गुंटूर, विशाखापत्तनम, जोधपुर, जयपुर, लखनऊ और कोलकाता उत्तर।

### 3.1.6.3 क्षेत्र अधिकारियों की जीएसटीआर-4ए विवरणी की अनुपलब्धता

केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 60(1) में प्रावधान है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 या आईएफएफ (बीजक प्रस्तुतीकरण सुविधा) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बाह्य आपूर्ति विवरण, कंपोजिशन लेवी का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के संबंध में, फॉर्म जीएसटीआर-4ए में संबन्धित पंजीकृत व्यक्तियों (प्राप्तकर्ताओं) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। फॉर्म जीएसटीआर-4ए, पंजीकृत व्यक्तियों से सीएलएस में करदाताओं द्वारा प्राप्त आवक आपूर्ति के विवरण के साथ स्वतः तैयार किया होता है। यह जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-5 एवं जीएसटीआर-7 से स्वतः तैयार होता है एवं इसमें प्रति प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अंतर्गत प्राप्त क्रेडिट एवं स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) सहित आवक आपूर्ति का विवरण सम्मिलित होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीबीआईसी-एसीईएस-जीएसटी प्रणाली में विभाग के क्षेत्र अधिकारियों के लिए चयनित 10 आयुक्तालयों में से किसी में भी जीएसटीआर-4ए विवरणी उपलब्ध नहीं थी। क्षेत्र अधिकारियों के लिए जीएसटीआर-4ए की अनुपलब्धता, प्रति प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अंतर्गत कर का भुगतान न करने, स्रोत पर कर कटौती के क्रेडिट में असंगति या जीएसटीआर-4ए विवरणी से पता लगाने योग्य आवक आपूर्ति के मूल्य से संबंधित अनुपालन न करने का पता लगाने की क्षेत्र अधिकारियों की क्षमता को प्रतिबंधित करती है। जीएसटीआर-4ए उपलब्ध न होने के कारण, नमूने में सम्मिलित 300 उच्च जोखिम वाले मामलों<sup>36</sup> का सत्यापन नहीं किया जा सका, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वे कारोबार सीमा का उल्लंघन कर रहे थे या अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहे थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किया गया (मार्च 2024)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

#### अनुशंसाएं:

1. विभाग को इस तंत्र सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि प्रत्येक सीएलएस डीलर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 (4) एवं सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के नियम 5 का

<sup>36</sup> जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 3.1.4 में दिया गया है।

अनुपालन कर रहा है तथा यह स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि उसे कर संग्रह करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 'एम-परिवहन'<sup>37</sup> अनुप्रयोग की तर्ज पर एक ऐसा अनुप्रयोग भी विकसित किया जा सकता है, जिसके माध्यम से किसी व्यापारी की जीएसटीआईएन स्कैन करके उसकी स्थिति का पता लगाया जा सके।

2. विभाग को कंपोजिशन करदाताओं के नमूने का आवधिक सत्यापन करने के लिए एक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने व्यवसाय के स्थानों एवं आपूर्ति बिलों में कंपोजिशन कर योग्य व्यक्तियों के रूप में अपनी स्थिति दर्शाने जैसी शर्तों का पालन कर रहे हैं।

3. यह ध्यान में रखते हुए कि कम्पोजिशन लेवी करदाताओं में गैर अनुपालन के पर्याप्त जोखिम विद्यमान है, विभाग विवरणियों की संवीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा व अपवचन - रोधी कार्यवाही में कंपोजिशन लेवी करदाताओं की व्यापकता की बढ़ाये।

4. मंत्रालय यह जाँच करे कि जीएसटीआर-4ए क्षेत्र अधिकारियों को उपलब्ध क्यों नहीं है एवं उन्हें इसको उपलब्ध कराए, ताकि वे अनुपालन न होने की स्थिति का प्रभावी ढंग से पता लगा सकें एवं आवश्यक सुधारात्मक उपाय कर सकें।

लेखापरीक्षा ने इस ओर ध्यान दिलाया (मार्च 2024) एवं मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

### **3.1.7 लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किए गए विचलनों पर अपर्याप्त सुधारात्मक उपाय**

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10, करदाताओं के लिए सीएलएस का लाभ लेने की पात्रता मानदंड निर्धारित करती है तथा यह भी बताती है कि ऐसे करदाताओं को योजना में बने रहने के लिए किन शर्तों का

<sup>37</sup> सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा विकसित, यह अनुप्रयोग देश के परिवहन प्राधिकरणों में वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सभी गतिविधियों को स्वचालित बनाता है। स्मार्ट कार्ड तकनीक की मदद से, यह अंतरराज्यीय परिवहन वाहनों की आवाजाही जैसे मुद्दों को संभालता है और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर वाहनों/ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी जानकारी का रजिस्टर तैयार करता है। यह अन्य सरकारी विभागों को भी वाहन/ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी जानकारी तुरंत उपलब्ध कराता है।

पालन करना आवश्यक है। सीएलएस का लाभ उठाने वाले करदाताओं को निर्धारित दरों पर कर भुगतान करना आवश्यक है, जिसमें उन स्थितियों में प्रति प्रभार के अंतर्गत कर का भुगतान भी सम्मिलित है जहां ऐसे करदाताओं द्वारा प्रति प्रभार के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियां प्राप्त की जाती हैं। उन्हें निर्धारित समय के भीतर निर्धारित त्रैमासिक विवरणी (सीएमपी-08) एवं वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-4) भी दाखिल करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने करदाताओं के प्रतिदर्श मामलों के संबंध में विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा किए गए उपायों की जांच की। यह पाया गया कि वार्षिक विवरणी दाखिल न करने वाले 750 करदाताओं में से 467 के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा 450 करदाताओं, जो कंपोशिजन लेवी स्कीम (सीएलएस) के अंतर्गत बने रहने के लिए अपात्र थे तथा जो कर के भुगतान में चूककर्ता थे, के नमूने में विभिन्न विचलनों के संबंध में विभागीय कार्रवाई अपर्याप्त पाई गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने 75 में से 53 करदाताओं, जिन्होंने ₹1.5 करोड़ की निर्धारित कारोबार सीमा को पार कर लिया था, के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इसी प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध अंतर-राज्यीय आपूर्ति करने वाले 75 में से 62 करदाताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई; तथा कर भुगतान में चूक करने वाले 300 में से 288 करदाताओं के संबंध में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

### **3.1.7.1 सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं द्वारा वार्षिक विवरणी जीएसटीआर-4 दाखिल न करना**

केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 62 के अनुसार, सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 अप्रैल तक फॉर्म जीएसटीआर-4 में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। समय-समय पर अधिसूचनाओं के माध्यम से नियत तिथि को बढ़ाया गया था एवं विवरणी अवधि 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के लिए विस्तारित नियत तिथियां 30 जून 2023 थीं। विवरणी अवधि 2022-23 के लिए नियत तिथि 30 अप्रैल 2023 थी।

लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 के लिए कुल 750 करदाताओं के नमूने की विवरणी दाखिल करने की स्थिति को सत्यापित किया, जिसमें पाया गया कि 150 करदाताओं ने 2019-20 से 2022-23 तक सभी चार वर्षों में जीएसटीआर-4 विवरणी दाखिल नहीं की; 61 करदाताओं ने 2019-20 से 2021-22 तक तीन वर्षों के लिए जीएसटीआर-4 विवरणी दाखिल नहीं की; एवं 11 करदाताओं ने 2019-20 एवं 2020-21 तक दो वर्षों के लिए जीएसटीआर-4 विवरणी दाखिल नहीं की।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किया गया (जुलाई 2024)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

### **3.1.7.2 कारोबार सीमा का उल्लंघन करने वाले करदाताओं पर अपर्याप्त कार्यवाही**

केंद्रीय माल एवं सेवा कर, अधिनियम, 2017 की धारा 10(3) के अनुसार, सीएलएस के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाता है, जिस दिन करदाताओं का कुल कारोबार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ₹1.5 करोड़ की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है।

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10(2)(सी) के अनुसार, अंतरराज्यीय बाह्य आपूर्ति करने वाला करदाता भी सीएलएस का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, सरकारी एजेंसियों आदि को वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं, जहां किसी अनुबंध के अंतर्गत आपूर्ति का कुल मूल्य ₹2.5 लाख से अधिक है, माल एवं सेवा कर, स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। ऐसे कटौतीकर्ताओं को, मासिक विवरणी जीएसटीआर-7 दाखिल करना आवश्यक है, जिसमें उन आपूर्तिकर्ताओं का विवरण दिया हो जिनकी उस माह के दौरान कर की कटौती की गई हो।

750 करदाताओं के नमूने में से, योजना में बने रहने हेतु अपात्र करदाताओं के रूप में चिन्हित किए गए 150 करदाताओं के मामले में, लेखापरीक्षा ने उन करदाताओं (150 करदाताओं में से 75), जिनकी बाह्य आपूर्ति एक वित्तीय

वर्ष में निर्धारित कारोबार सीमा से अधिक थी एवं उन करदाताओं (150 करदाताओं में से 75) पर जो सीएलएस में रहते हुए वस्तु की अंतरराज्यीय बाह्य आपूर्ति कर रहे थे, पर अपर्याप्त विभागीय कार्रवाई पाई, जिसका उल्लेख आगामी पैराग्राफों में किया गया है।

### 1 निर्धारित सीमा से अधिक कुल कारोबार

लेखापरीक्षा ने आंकड़ा विश्लेषण के दौरान चिन्हित किए गए उन 75 करदाताओं में से, जिनका कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक था, चयनित सभी आयुक्तालयों में से 71 सीएलएस करदाताओं के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति का सत्यापन किया। इन करदाताओं की त्रैमासिक विवरणियों (सीएमपी-08) में घोषित बाह्य आपूर्तियाँ किसी वित्तीय वर्ष में ₹1.5 करोड़ के कारोबार की सीमा से अधिक थीं, फिर भी वे अगले वर्ष भी इस योजना के अंतर्गत बने रहे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 71 करदाताओं में से 50 करदाता (70 प्रतिशत) ऐसे थे, जो पिछले वर्ष की सीएमपी-08 में ₹1.5 करोड़ की निर्धारित सीमा से अधिक कुल कारोबार घोषित करने के बावजूद योजना के अंतर्गत बने रहे। हालाँकि, विभाग ने इन करदाताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।

इस ओर इंगित किए जाने पर (मार्च 2024), विभाग ने (अप्रैल 2024) में केवल छः आयुक्तालयों<sup>38</sup> के अंतर्गत 10 करदाताओं के विरुद्ध ही कार्रवाई प्रारंभ की। आठ आयुक्तालयों<sup>39</sup> के अंतर्गत आने वाले 29 करदाताओं के संबंध में विभाग द्वारा उत्तर नहीं दिए गए (मई 2024)। एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे प्रस्तुत है:

उत्तरी कोलकाता आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सीएमपी-08 में कुल ₹1.57 करोड़ का कारोबार घोषित किया। हालाँकि, करदाता वित्त वर्ष 2020-21 में भी इस योजना के अंतर्गत बना रहा,

---

<sup>38</sup> कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, गुंटूर, पुणे-II, लखनऊ और वाराणसी।

<sup>39</sup> नासिक, पुणे-II, विशाखापत्तनम, जोधपुर, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी और कोलकाता उत्तर।

जो उचित नहीं था। इस ओर इंगित किए जाने पर (फरवरी 2024) विभाग ने सूचित किया कि करदाता के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जा रही है।

**अनुशंसा 5: विभाग को घोषित कारोबार के सत्यापन के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।**

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

## **2 स्रोत पर कर कटौती करने वाले कटौतीकर्ताओं को बाह्य आपूर्ति, जो कारोबार सीमा से अधिक है**

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार, सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, सरकारी एजेंसियों आदि को उन वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) आवश्यक है, जहां किसी अनुबंध के अंतर्गत आपूर्ति का कुल मूल्य ₹2.5 लाख से अधिक है। ऐसे कटौतीकर्ताओं को, मासिक विवरणी जीएसटीआर-7 दाखिल करना आवश्यक है, जिसमें उन आपूर्तिकर्ताओं का विवरण दिया हो जिनकी उस माह के दौरान कर की कटौती की गई हो।

लेखापरीक्षा ने उन 75 करदाताओं में से, जिनका कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक था, चार आयुक्तालयों<sup>40</sup> के अंतर्गत आने वाले चार सीएलएस करदाताओं के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति का सत्यापन किया एवं पाया कि यद्यपि स्रोत पर कर की कटौती सही रूप से की गई थी, लेकिन टीडीएस कटौतीकर्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1.5 करोड़ रुपये की कारोबार सीमा से अधिक था, जिससे वे योजना में बने रहने के लिए अपात्र हो गए, लेकिन योजना में बने रहे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा चार में से तीन करदाताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई (मार्च 2024)। केवल एक करदाता के संबंध में कर अपवंचन-रोधी उपाय शुरू किया जा चुका था।

<sup>40</sup> पुणे-II, जोधपुर, वाराणसी और कोलकाता दक्षिण।

जब लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किया गया (जनवरी 2024), तो विभाग ने एक मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2024)। दो मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)। एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे प्रस्तुत है:

पुणे-॥ आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता के मामले में, उसकी आपूर्ति का कुल मूल्य जिस पर माल एवं सेवा कर पर टीडीएस, क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹2.83 करोड़, वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹2.48 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹3.05 करोड़ था। करदाता इन वित्तीय वर्षों के लिए कंपोजिशन स्कीम का दावा कर रहा था। चूँकि करदाता का कारोबार ₹1.5 करोड़ की सीमा से अधिक था, इसलिए करदाता सीएलएस के लिए पात्र नहीं था एवं उसे सामान्य दरों पर कर का भुगतान करना था। इस ओर इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने सूचित किया (अप्रैल-मई 2024) कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 51.18 लाख (ब्याज सहित) एवं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 21.58 लाख (ब्याज सहित) की राशि वसूल की गई थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

### **3.1.7.3 अंतर-राज्यीय बाह्य वस्तु आपूर्ति करने वाले करदाता**

केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10(2) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति सीएलएस के लिए विकल्प चुनने के लिए पात्र होगा यदि वह किसी भी अंतर-राज्यीय बाह्य माल एवं सेवाओं की<sup>41</sup> आपूर्ति में संलिप्त न हो।

लेखापरीक्षा ने आंकड़ा विश्लेषण के दौरान चिन्हित किए गए 150 अपात्र करदाताओं में से चयनित आयुक्तालयों के अंतर्गत आने वाले 75 सीएलएस करदाताओं के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति का सत्यापन किया, जिन्होंने माल की अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार किए थे, जिससे वे सीएलएस में बने रहने के लिए अपात्र हो गए थे।

---

<sup>41</sup> वित्त अधिनियम-2020 द्वारा जोड़ा गया, 1 जनवरी 2021 से प्रभावी।

बाह्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल बनाने वाले 75 प्रतिदर्श मामलों में से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 62 करदाताओं ने अंतर-राज्यीय बाह्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल बनाए थे, जो अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था। लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया कि विभाग ने इन करदाताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी (मार्च 2024)।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किया गया (मार्च 2024)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

#### **3.1.7.4 सीएलएस करदाताओं पर अपर्याप्त कार्रवाई जिन्होंने अपने कर दायित्वों का निर्वहन नहीं किया**

केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 5(1)(डी) के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10(1) के प्रावधानों के अनुसार, सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं को प्रति प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अंतर्गत लागू दरों पर कर का भुगतान करना आवश्यक है, जब उन्हें ऐसी आपूर्ति प्राप्त होती है जिस पर प्रति प्रभार लागू होता है। जीएसटी दर के चार मुख्य खंड 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत हैं। इस प्रकार, कंपोजिशन लेवी करदाताओं द्वारा प्राप्त किसी भी आवक आपूर्ति पर, जिस पर प्रति प्रभार लागू होता है, देय न्यूनतम कर 5 प्रतिशत होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो सीएलएस का विकल्प चुनता है एवं अनुसूची II के पैराग्राफ 6 के खंड (बी) में निर्दिष्ट आपूर्ति (अर्थात् रेस्तरां सेवाएं) करता है, उसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कारोबार के 5 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करना आवश्यक है।

750 करदाताओं के नमूने में से, कर भुगतान के चूककर्ता के रूप में चिन्हित 300 करदाताओं के मामले में, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि विभाग द्वारा उन करदाताओं पर जिन्होंने प्रति प्रभार के अंतर्गत आने वाली आपूर्ति प्राप्त करने पर आरसीएम के अंतर्गत कर का पूर्ण/आंशिक भुगतान नहीं किया था अपर्याप्त कार्रवाई की गई, तथा उन करदाताओं पर भी, जिन्होंने सेवाओं की बाह्य आपूर्ति पर निर्धारित दरों से कर का भुगतान नहीं किया था, जिनका विवरण नीचे प्रस्तुत है।

## 1 प्रति प्रभार तंत्र के आधार पर कर का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा ने कर भुगतान में चूककर्ता के रूप में चिन्हित 300 करदाताओं में से जिनकी आवक आपूर्ति पर प्रति प्रभार लागू होता है (जीएसटीआर-4ए के अनुसार), जबकि प्रति प्रभार के अंतर्गत कर का भुगतान नहीं किया गया है (सीएमपी-08 - तिमाही विवरण के अनुसार) 248 करदाताओं की पहचान की। सीएमपी-08 की तालिका 3 की क्रम संख्या 2 में प्रति प्रभार लागू करने वाली आवक आपूर्ति का विवरण दिया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 248 करदाताओं में से 242 करदाताओं (97 प्रतिशत) ने ₹11.54 करोड़ की आवक आपूर्ति की, जिन पर प्रति प्रभार के अंतर्गत कर देय था। हालाँकि, करदाताओं द्वारा कोई कर नहीं चुकाया गया। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने इन करदाताओं से कर वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

इस ओर इंगित किए जाने पर (फरवरी 2024) विभाग ने बताया कि चूंकि क्षेत्र अधिकारियों को जीएसटीआर-4ए उपलब्ध नहीं है, इसलिए वे इस संबंध में कोई कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। चूंकि सीएमपी-08 की तालिका 3 की क्रम संख्या 2 में प्रति प्रभार के अंतर्गत आने वाली आवक आपूर्ति का विवरण दर्ज होता है, अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रति प्रभार के अंतर्गत आने वाली आवक आपूर्तियों से संबंधित जीएसटीआर-4ए का विवरण स्वतः सीएमपी-08 में भर जाए।

विभाग ने आगे बताया कि सात आयुक्तालयों<sup>42</sup> के अंतर्गत 27 मामलों में, करदाताओं ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए प्रति प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर का भुगतान न करने की बात स्वीकार की है एवं ब्याज व जुर्माने सहित ₹5.00 लाख का भुगतान किया है। 215 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण नीचे प्रस्तुत है:

---

<sup>42</sup> कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, जोधपुर, गुंटूर, लखनऊ, वाराणसी और पुणे-III।

गुटूर आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता को 2021-22 के दौरान ₹3.55 लाख मूल्य की आवक आपूर्ति प्राप्त हुई थी, जिस पर प्रति प्रभार के अंतर्गत कर लगाया जाना था, लेकिन कर का भुगतान नहीं किया गया था। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने सूचित किया (मार्च 2024) कि करदाता ने ₹6,100 ब्याज सहित ₹17,860 का कर चुकाया है।

**अनुशंसा 6:** मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि जीएसटीआर-4ए की तालिका 3बी, यानी आवक आपूर्ति जिस पर प्रति प्रभार लगता हो, का विवरण सीएमपी-08 में स्वतः भर जाए, ताकि कंपोजिशन लेवी योजना करदाताओं द्वारा प्रति प्रभार वाली आवक आपूर्ति की घोषणा न करने के कारण होने वाली कर चोरी, यदि कोई हो, को रोका जा सके।

**अनुशंसा 7:** विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनुपालन विचलनों के लिए सुधारात्मक उपाय आरंभ करे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

## 2 प्रति प्रभार आधार पर कर का कम भुगतान

लेखापरीक्षा ने 23 करदाताओं की पहचान की, जिन्होंने आवक आपूर्ति (सीएमपी-08) के योग मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से प्रति प्रभार आधार पर कर का भुगतान किया था, जिससे कर का कम भुगतान होने का संकेत मिलता है। चार मामलों में, विभाग ने बताया कि विचलन आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शेष 19 करदाताओं ने ₹1.56 करोड़ के प्रति प्रभार वाली आवक आपूर्ति की घोषणा की थी, जिस पर 5, 12 एवं 18 प्रतिशत की सामान्य दरों पर, जैसा लागू हो, कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। हालाँकि, उन्होंने 5 प्रतिशत की न्यूनतम सामान्य दर से कम दर पर कर का भुगतान किया था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि विभाग ने इन करदाताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी।

जब विभाग को इंगित किया गया (मार्च 2024), तो चार आयुक्तालयों<sup>43</sup> में पांच करदाताओं के संबंध में कार्रवाई शुरू की गई। 12 करदाताओं के संबंध में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

कोलकाता उत्तर आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता ने वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही के सीएमपी-08 में प्रति प्रभार के अंतर्गत कर आकर्षित करते हुए ₹ 10.08 लाख मूल्य की आवक आपूर्ति दिखाई थी। हालाँकि, सामान्य लागू दर के स्थान पर एक प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया गया जो उचित नहीं था। इस ओर इंगित किए जाने पर विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2024) कि करदाता के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

### **3 सेवाओं की आपूर्ति पर निर्धारित दरों पर कर का भुगतान न करना**

लेखापरीक्षा ने, कर भुगतान में चूकने वाले 300 करदाताओं में से, जिनकी पहचान आंकड़ा विश्लेषण के दौरान की गई, जिन्होंने रेस्तरां सेवाएं (एसएसी 996331) प्रदान कीं, लेकिन पांच प्रतिशत की लागू दर से कम दर पर कर का भुगतान किया था, 29 करदाताओं के नमूने के संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति को सत्यापित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 27 करदाताओं के मामले में, विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई (मार्च 2024)। इन मामलों में ₹ 26.73 लाख के कर का अल्प भुगतान हुआ।

फरवरी 2024 में इस मुद्दे को विभाग के समक्ष उठाया गया। उत्तर में, विभाग ने सूचित किया (फरवरी-अप्रैल 2024) कि केवल आठ करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी एवं इन आठ करदाताओं में से चार से ₹ 2.45 लाख की राशि वसूली गई थी। 18 करदाताओं के संबंध में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

---

<sup>43</sup> कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, लखनऊ और वाराणसी।

पुणे-द्वितीय आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता ने योजना के अंतर्गत रहते हुए रेस्तरां सेवाएं (एसएसी 996331) प्रदान की थीं एवं पांच प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत से कर का भुगतान किया था। इस ओर इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने सूचित किया कि करदाता ने देयता स्वीकार कर ली है एवं वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए ₹57,980 की राशि का भुगतान कर दिया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

### **3.2 माल एवं सेवा कर के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा**

#### **3.2.1 माल एवं सेवा कर इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा**

आंतरिक लेखापरीक्षा<sup>44</sup> माल और सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के आलोक में करदाताओं द्वारा अनुपालन के स्तर का निर्धारण करने में मदद करती है। बोर्ड ने जुलाई 2019 में माल और सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल (जीएसटीएएम) के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया जारी की थी। विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रावधानों में विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन माहनिदेशक (डीजीएआरएम) द्वारा जीएसटी डेटा का उपयोग करके जोखिम निर्धारण के आधार पर करदाताओं के चयन की परिकल्पना की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए वि.व. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संबंध में जुलाई से जून तक और जीएसटी के संबंध में अप्रैल से मार्च तक है।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(13) “लेखापरीक्षा” को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए रखे गए या प्रस्तुत किए गए रिकार्ड, विवरणी और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा के रूप में परिभाषित करती है या इसके तहत बनाए गए नियमों या कोई अन्य नियम जो अभी लागू है जिसमें घोषित बिक्री प्रदत्त करों, प्रतिदाय का दावा और प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्टीकता को सत्यापित किया जा सके और इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ उसके अनुपालन का निर्धारण करने के लिए।

माल एवं सेवा कर के लिए 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान विभाग द्वारा किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण निम्नानुसार है:-

---

<sup>44</sup> केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 65।

तालिका 3.1: आंतरिक लेखापरीक्षा (माल एवं सेवा कर) द्वारा लेखापरीक्षित इकाइयों के संदर्भ में की गई कुल पहचान

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	इकाई श्रेणी <sup>45</sup>	कुल नियोजित इकाइयाँ	कुल लेखापरीक्षित इकाइयाँ	कम उद्ग्रहण का पता चला	कुल वसूली	कुल पहचान के प्रतिशत के रूप में वसूली
वित्त वर्ष 21	बड़ी	16,294	2,816	1,623.95	291.94	18
	मध्यम	14,904	4,405	510.44	138.03	27
	छोटा	15,464	4,781	346.84	83.57	24
	योग	46,662	12,002	2,481.23	513.54	21
वित्त वर्ष 22	बड़ी	12,442	5,673	7,639.68	946.40	12
	मध्यम	13,745	7,118	1,528.05	404.35	26
	छोटा	14,839	6,837	1,078.77	389.61	36
	योग	41,026	19,628	10,246.50	1,740.36	17
वित्त वर्ष 23	बड़ी	9,943	7,794	12,643.28	1,598.73	13
	मध्यम	12,357	9,950	2,569.85	750.80	29
	छोटा	20,493	12,419	1,973.90	662.48	34
	योग	42,793	30,163	17,187.03	3,012.01	18

स्रोत: मार्च 2023 माह के लिए विभाग-डीजीए-माल एवं सेवा कर-1 की मासिक प्रगति रिपोर्ट।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वि.व. 21, वि.व. 22 एवं वि.व. 23 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या नियोजित कुल इकाइयों का क्रमशः 26 प्रतिशत, 48 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत थी। यद्यपि वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 23 तक नियोजित इकाइयों की तुलना में लेखापरीक्षित इकाइयों के प्रतिशत में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, तथापि, नियोजित एवं लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या के बीच अभी भी अंतर है।

कुल वसूली का प्रतिशत वि.व. 22 में 17 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर वि.व. 23 में 18 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, यह विव 21 में पता लगाये गये कुल कर (21 प्रतिशत) की तुलना में कम थी।

<sup>45</sup> करदाताओं के समूह को विभाग द्वारा टर्नओवर या किसी अन्य तार्किक मानदंड के आधार पर तीन खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात् बड़े, मध्यम और छोटे।

वर्ष 2021-22 के दौरान मंत्रालय ने, लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में अधिकारियों की कमी की जानकारी दी, विशेष रूप से निरीक्षकों के ग्रेड में, जिनकी कार्यरत संख्या अधिकांश लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में स्वीकृत संख्या के 50 प्रतिशत से भी कम थी। आंतरिक लेखापरीक्षा के दौरान इकाइयों की कम व्याप्ति का यह एक मुख्य कारण था। वित्त वर्ष 2023 के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा आयुक्तालयों<sup>46</sup> में 33 प्रतिशत श्रमबल की कमी थी। प्रतिशत के संदर्भ में सबसे अधिक कमी उप/सहायक आयुक्त एवं निरीक्षक के पदों पर देखी गई, जहां यह कमी क्रमशः 61 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में श्रमबल की निरंतर कमी है, जिसके कारण आंतरिक लेखापरीक्षा में नियोजित इकाइयों की तुलना में लेखापरीक्षित इकाइयों में अंतर था।

माल एवं सेवा कर<sup>47</sup> पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की थी कि लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में अधिकारियों की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा इकाइयों की लगातार कम व्यापकता को देखते हुए, मंत्रालय लेखापरीक्षा आयुक्तालयों में मानव संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाएं एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करे।

जब लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (जुलाई 2024), तो मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2025) कि विभाग के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए, आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए थे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सीबीआईसी ने विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों को भरकर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए वास्तविक कदम उठाए हैं।

हालांकि, कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बावजूद, 1 जुलाई 2024 तक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के लेखापरीक्षा कार्यालयों में 38 प्रतिशत पद रिक्त थे। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2022 की तुलना में वित्त वर्ष 2023 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि (चार प्रतिशत की

---

<sup>46</sup> नवंबर 2023 में डीजी एचआरडी द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार।

<sup>47</sup> 2024 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 71

मामूली वृद्धि) नहीं हुई है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि स्व-निर्धारण कर व्यवस्था के युग में, करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा एक मुख्य उपकरण है। इसके अलावा, अननुपालन करदाताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 के अंतर्गत एक समयबद्ध गतिविधि है। इसे देखते हुए, मंत्रालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड लेखापरीक्षा संरचनाओं में श्रमबल को इष्टतम स्तर तक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कार्रवाई करे।

### 3.2.2 केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर इकाइयों के लिए 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: आंतरिक लेखापरीक्षा (केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) में  
लेखापरीक्षित इकाइयों की तुलना में कुल पता लगाए गए कम उद्ग्रहण

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	इकाई श्रेणी	कुल नियोजित इकाइयाँ	कुल लेखापरीक्षित इकाइयाँ	कम उद्ग्रहण का पता चला	कुल वसूली	कुल पहचान के प्रतिशत के रूप में वसूली
वित्त वर्ष 21	बड़ी	4,075	1,421	5,532.22	185.10	3
	मध्यम	7,758	2,106	1,016.94	118.38	12
	छोटा	27,630	8,860	467.91	124.38	27
	योग	39,463	12,387	7,017.07	427.86	6
वित्त वर्ष 22	बड़ी	3,269	1,793	2,283.55	115.71	5
	मध्यम	5,171	2,268	598.49	83.27	14
	छोटा	18,327	6,047	219.42	58.85	27
	योग	26,767	10,108	3,101.46	257.83	8
वित्त वर्ष 23	बड़ी	903	258	335.43	14.31	4
	मध्यम	940	284	97.05	7.99	8
	छोटा	1,982	663	17.06	5.28	31
	योग	3,825	1,205	449.54	27.58	6

स्रोत: मार्च 2023 माह के लिए विभाग-डीजीए-सीई-1 एवं डीजीए-एसटी-1 की मासिक प्रगति रिपोर्ट।

यह देखा गया है कि इकाइयों के आंतरिक लेखापरीक्षा की व्याप्ति वित्त वर्ष 2021 के दौरान नियोजित इकाइयों के 31 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 38 प्रतिशत हो गयी। हालाँकि, वित्त वर्ष 2023 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा का व्याप्ति वित्त वर्ष 2023 में नियोजित इकाइयों के 32 प्रतिशत तक कम हो गयी।

इसके अलावा, यह देखा गया है कि आंतरिक लेखापरीक्षा के आधार पर पता लगाई गई राशि के प्रतिशत के रूप में वसूली वित्त वर्ष 2022 में बढ़कर आठ प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 2023 में छः प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 23 के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षा के आधार पर पता लगाई गई राशि के प्रतिशत के रूप में वसूली, हालाँकि, घटकर छः प्रतिशत रह गई।

जब लेखापरीक्षा ने इस ओर इंगित किया (जुलाई 2024), तो मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2025) कि 2022-23 से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की तुलना में माल एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत लेखापरीक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया।

### 3.3 निष्कर्ष

वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा ने कंपोजिशन लेवी योजना की अनुवर्ती अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। नमूना, पूर्व में किये गये जीएसटीआईएन द्वारा सितम्बर 2022 में उपलब्ध कराये गये सीएलएस करदाताओं के आँकड़ा विश्लेषण, जिसकी लेखापरीक्षा वित्तीय वर्षों 2019-20 से 2021-22 के लिये 2022-23 में की गई थी और सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7 में प्रतिवेदित की गई, से लिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 5 में निर्धारित कंपोजिशन करदाताओं के लिए निर्धारित शर्तों जैसे कि “कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति, आपूर्ति पर कर एकत्र करने के लिए पात्र नहीं है” शब्दों का उल्लेख करना एवं उसके व्यवसाय के मुख्य स्थान पर एवं व्यवसाय के प्रत्येक अतिरिक्त स्थान पर प्रमुख स्थान के प्रदर्शित प्रत्येक नोटिस या साइनबोर्ड पर “कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति” शब्दों का उल्लेख करना के अनुपालन की निगरानी करने की व्यवस्था, अपर्याप्त थी।

लेखापरीक्षा ने विभाग के अनुपालन सत्यापन तंत्र अर्थात विवरणी की संवीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, अपवंचन रोधी कार्यवाही आदि में कंपोजिशन लेवी योजना करदाताओं को अपर्याप्त रूप से शामिल किया जाना भी पाया। यह भी पाया गया कि कंपोजिशन लेवी योजना करदाताओं द्वारा अनुपालन न करने के बावजूद, ऐसे मामलों में विभाग की कार्रवाई अपर्याप्त थी।

तदनुसार, लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि विभाग के अनुपालन सत्यापन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक सीएलएस डीलर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10(4) एवं सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 5 का अनुपालन कर रहा है एवं यह दर्शा रहा है कि वे कर एकत्र करने के हकदार नहीं हैं; विभाग रिटर्न की समीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा एवं अवंचन-रोधी कार्य में सीएलएस करदाताओं की व्याप्ति को बढ़ाए; एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटीआर-4ए की तालिका 3बी, यानी प्रतिप्रभार को आकर्षित करने वाली आवक आपूर्ति का विवरण सीएमपी-08 में स्वतः भर जाए।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में विभाग के समग्र प्रदर्शन की जांच की। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 23 तक नियोजित इकाइयों की तुलना में लेखापरीक्षित इकाइयों के प्रतिशत में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, तथापि, नियोजित एवं लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या के बीच अभी भी अंतर है।

## अध्याय IV: माल एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी

### 4.1 परिचय

जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत देश में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने कराधान के क्षेत्र में सहकारी संघवाद के नए युग की शुरुआत की, जिससे देश एक साझा बाजार की ओर अग्रसर हुआ, जिसमें केंद्र एवं राज्य एक साथ एक समान कर दर पर कर उद्ग्रहण करते हैं। इस सुधार ने मौजूदा विविध कर संरचनाओं को एकीकृत करके कराधान के व्यापक प्रभाव को कम करने के संदर्भ में दूरगामी प्रभाव डाला तथा सीमापार इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अनुमति दी। सरलीकृत कर संरचना, मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली एवं कम हस्तक्षेपकारी प्रशासन के साथ, सुधार से अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता एवं बेहतर अनुपालन की उम्मीद थी। जीएसटी के सात वर्षों के बाद, कर पारिस्थितिकी तंत्र प्रशासन के साथ-साथ करदाताओं की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित हो रहा है।

जीएसटी राजस्व सरकार के कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण घटक है एवं पंजीकरण के अनुरूप कर संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है। यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की निरंतरता के रूप में की गई थी, जिसमें 2017-18 की अवधि के रिटर्न को शामिल किया गया था, जिसमें कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र एवं नई कर व्यवस्था में विभाग की निगरानी तंत्र के महत्व पर विचार किया गया था। पिछले एसएससीए के निष्कर्षों को सीएजी की 2024 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7 में अध्याय IV विभाग की माल एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न फाइलिंग (डीओआरएफ चरण I) पर निगरानी के रूप में शामिल किया गया था। डीओआरएफ चरण II की यह प्रतिवेदन 2018-19 से 2020-21 की अवधि के रिटर्न विवरण को शामिल करती है।

## 4.2 कानूनी ढांचा

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम) की धारा 59 जीएसटी को स्व-निर्धारण आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत कर देयता की गणना, गणना की गई कर देयता का निर्वहन एवं रिटर्न दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता के पास निहित होती है। अधिनियम में 'आपूर्ति' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिस पर जीएसटी देय है। आपूर्ति पर कर देयता आपूर्ति के समय, स्थान एवं प्रकृति के अनुसार निर्धारित दरों पर निर्धारित की जाती है। सामान्यतः, कर भुगतान की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ताओं की होती है, जबकि कर का भार ग्राहक द्वारा वहन किया जाता है। हालाँकि, कुछ आपूर्तियों पर, पंजीकृत व्यक्ति प्रतिलोम प्रभार तंत्र (आरसीएम) के अंतर्गत प्राप्तकर्ता के रूप में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। जीएसटी में मूल्य संवर्धन के प्रत्येक चरण पर आईटीसी की अनुमति देकर केवल मूल्य संवर्धन पर कर लगाने की परिकल्पना की गई है। देश में इनपुट क्रेडिट का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इनपुट, इनपुट सेवाओं एवं पूंजीगत वस्तुओं पर आईटीसी का लाभ उठाने एवं उपयोग करने के लिए विस्तृत प्रावधान उपलब्ध हैं।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के साथ पठित केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 (सीजीएसटी नियम) के नियम 99 में प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न एवं संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियों के बारे में बता सकता है एवं स्पष्टीकरण मांग सकता है। अधिनियम की धारा 46 में यह प्रावधान है कि यदि करदाता नियत तिथि के भीतर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस के बावजूद करदाता द्वारा रिटर्न दाखिल न करने पर, उचित अधिकारी को सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने का अधिकार मिल जाता है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 65 एवं 66 विभाग को पंजीकृत व्यक्तियों का लेखापरीक्षा या विशेष लेखापरीक्षा करने का अधिकार प्रदान करती है। इसके अलावा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 22 मार्च 2022 को निर्देश संख्या 02/2022-जीएसटी जारी किया है, जिसमें वित्तीय

वर्ष (विव) 2017-18 एवं 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न की संवीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है ताकि संवीक्षा के लिए रिटर्न के चयन/पहचान, ऐसे रिटर्न की जांच की कार्यप्रणाली एवं अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2019-20 के रिटर्न की ऑनलाइन संवीक्षा के लिए संवीक्षा मॉड्यूल मई 2023 से सीबीआईसी जीएसटी एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराया गया था।

इसके अलावा, विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) समय-समय पर आंकड़ा विश्लेषण एवं खुफिया जानकारी के आधार पर जोखिमपूर्ण करदाताओं के मामलों की पहचान करता है, जो संभावित कर चोरी या अनुपालन न करने का संकेत देते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों को करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न की संवीक्षा करने के लिए सत्यापन कार्यवाही शुरू करने की तथा डीजीएआरएम द्वारा पहचाने गए मामलों पर लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की जांच करने की आवश्यकता है। सीबीआईसी ने 30 अप्रैल 2019 को एक एसओपी जारी किया है, (जिसे 12 जुलाई 2021 को एक अन्य एसओपी द्वारा अद्यतन किया गया था) जिसमें डीजीएआरएम द्वारा पहचाने गए माल एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) के संबंध में कार्रवाई करने के तौर-तरीकों पर क्षेत्रीय कंपोजिशनओं को व्यापक दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं।

#### 4.3 संदर्भ एवं महत्व

जीएसटी में प्रभावी कर प्रशासन करने के लिए स्वचालन एक प्रमुख कारक है। माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) एवं सीबीआईसी बैक-एंड पोर्टल भारत में जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने एवं रिटर्न मिलान की निर्बाध प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्व-निर्धारण जीएसटी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो पंजीकृत करदाताओं पर उनकी कर देनदारियों का सही आकलन करने एवं रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी डालता है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार स्व-निर्धारित कर का भुगतान एवं समय पर आवधिक रिटर्न दाखिल करना जीएसटी के अंतर्गत प्रभावी कर प्रशासन की कुंजी है।

जीएसटी ढांचे में बीजक मिलान प्रणाली का अभाव एक उल्लेखनीय चूक रही है, जिसका कर व्यवस्था की दक्षता एवं सटीकता पर प्रभाव पड़ा है। एक महत्वपूर्ण जोखिम आईटीसी दावों में त्रुटियों एवं मिलान न होने की संभावना में वृद्धि है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए बीजकों को प्राप्तकर्ताओं द्वारा घोषित के साथ मिलान करने के लिए एक मजबूत तंत्र के बिना, कभी-कभी अनैतिक प्रथाओं के माध्यम से क्रेडिट का गलत लाभ उठाने की संभावना होती है जो जीएसटी के अंतर्गत राजस्व संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

हालांकि, सकारात्मक पक्ष यह है कि विभाग ने सीजीएसटी नियमों के नियम 36(4) में समय-समय पर संशोधन करके आईटीसी का लाभ उठाने को विनियमित किया था, जिससे प्राप्तकर्ता को अनंतिम आईटीसी क्रेडिट को पात्र क्रेडिट के 20 प्रतिशत (अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 तक), 10 प्रतिशत (जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक) एवं पांच प्रतिशत (जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक) तक सीमित कर दिया गया था, यदि आपूर्तिकर्ता रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो प्राप्तकर्ता पर आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व डाला गया।

फिर भी, जैसा कि पूर्व में सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों<sup>48</sup> में बताया गया है, पूर्ण स्वचालन की अनुपस्थिति तथा करदाताओं द्वारा दाखिल स्व-निर्धारित सारांश रिटर्न के आधार पर आईटीसी एवं कर भुगतान की अनुमति देने की व्यवस्था के कारण जोखिम की संभावना बनी हुई है। इसलिए, करदाताओं द्वारा जीएसटी अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा अपनाए गए अनुपालन जोखिम प्रबंधन का निरंतर मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाता है।

#### 4.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं

---

<sup>48</sup> सीएजी-प्रतिवेदन संख्या 11/2019 का पैराग्राफ 1.6.2, सीएजी प्रतिवेदन संख्या 1/2021 का पैराग्राफ 1.4.1, सीएजी प्रतिवेदन संख्या 5/2022 का पैराग्राफ 3.1 और सीएजी प्रतिवेदन संख्या 7/2024 का पैराग्राफ 3.1।

प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने के लिए उन्मुख थी। 'जीएसटी भुगतान एवं रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी' - चरण II (डीओआरएफ II) का लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ किया गया ताकि इस पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

- क) क्या नियम एवं प्रक्रियाएं कर अनुपालन पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं एवं क्या करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा है; एवं
- ख) क्या विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं की जांच प्रक्रियाएं एवं अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त एवं प्रभावी हैं।

#### 4.5 लेखापरीक्षा पद्धति एवं सीमा

आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से, आईटीसी, कर देयता के निर्वहन, पंजीकरण एवं रिटर्न फाइलिंग के क्षेत्रों में 18 विचलनों<sup>49</sup> की पहचान की गई। ऐसे विचलनों का केंद्रीकृत लेखापरीक्षा<sup>50</sup> के माध्यम से अनुवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत इन विचलनों को संबंधित सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं (क्षेत्रीय कार्यालयों) को सूचित किया गया, तथा पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई का पता क्षेत्रीय दौरे के बिना ही लगाया गया। रिटर्न एवं संबंधित संलग्नक तथा सूचना को जांच के लिए विभाग की बैक-एंड प्रणाली सीबीआईसी-एसीईएस<sup>51</sup>- जीएसटी एप्लीकेशन के

<sup>49</sup> (i) इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान न होना (जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए), (ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आईटीसी, (iii) सीमा अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी पर प्राप्त आईटीसी, (iv) अतिरिक्त आईएसडी क्रेडिट, (v) आरसीएम पर कर का कम भुगतान, (vi) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में असमाधानित आईटीसी (तालिका 12एफ), (vii) अयोग्य आईटीसी (तालिका 14टी), (viii) पारगमन के दौरान आईटीसी का अधिक/अनियमित लाभ, (ix) न चुकाई गई कर देयता (जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9), (x) कर देयता का दमन (ई-वे बिल), (xi) कर का कम भुगतान (तालिका 9आर), (xii) कर का कम भुगतान (टीडीएस/टीसीएस), (xiii) कर योग्य मूल्य का दमन (बिल न किया गया राजस्व), (xiv) असंगत कर योग्य आवर्त (तालिका 7जी), (xv) गलत आवर्त के कारण अनुचित कंपोजिशन उदग्रहण, (xvi) ई-कॉमर्स लाभार्थी कंपोजिशन उदग्रहण के अंतर्गत, (xvii) जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है और (xviii) ब्याज का कम/भुगतान न होना।

<sup>50</sup> केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के विस्तृत अभिलेख जैसे वित्तीय विवरण, संबंधित खाता बही, बीजक, समझौते आदि की मांग शामिल नहीं थी।

<sup>51</sup> केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन

माध्यम से प्राप्त किया गया। केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा के साथ विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय दौरे शामिल थे। विस्तृत लेखापरीक्षा में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करदाताओं से प्रासंगिक विस्तृत अभिलेख जैसे बीजक, खाता बही आदि प्राप्त करना सम्मिलित था। केन्द्रीकृत एवं विस्तृत लेखापरीक्षा की अवधि अप्रैल 2018 से मार्च 2021 थी।

इसके अलावा, चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुपालन कार्यों जैसे रिटर्न की संवीक्षा, पंजीकरण रद्द करना, डीजीएआरएम प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई आदि की भी संवीक्षा की गई। चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों की लेखापरीक्षा 2020 एवं 2021 की अवधि को शामिल करती है।

एसएससीए में केवल केन्द्रीय (सीबीआईसी) प्रशासित करदाताओं को ही शामिल किया गया। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक किया गया। अप्रैल 2024 के अंत तक आयुक्तालयों एवं निचली संरचनाओं से प्राप्त उत्तरों को विधिवत शामिल कर लिया गया है।

एसएससीए प्रतिवेदन का मसौदा वित्त मंत्रालय को 25 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया ताकि प्रतिवेदन में शामिल तथ्यों की जांच की जा सके एवं चार सप्ताह के भीतर टिप्पणियां प्रदान की जा सकें। लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा करने के लिए 9 अप्रैल 2025 को एक समापन सम्मेलन आयोजित किया गया था एवं 8 अप्रैल 2025 एवं 9 अप्रैल 2025 को प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर मंत्रालय के उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

#### **4.6 लेखापरीक्षा नमूना**

नियोजन के लिए तथा मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने के लिए आंकड़ा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया। इस एसएससीए के नमूने में शामिल थे:

- (i) केन्द्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक समूह जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे।

- (ii) विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों का क्षेत्रीय दौरा एवं संवीक्षा शामिल थी।
- (iii) क्षेत्र के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए क्षेत्र का एक नमूना.

इस प्रकार इस एसएससीए के तीन अलग-अलग भाग थे:

#### **4.6.1 भाग प्रथम: क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखापरीक्षा**

तीन हजार नौ सौ बारह क्षेत्रीय कार्यालयों में से 166 रेंजें ऐसी थीं, जिनके पास विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूने से कम से कम एक मामले का क्षेत्राधिकार था, जिन्हें उनके निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के नमूने के रूप में माना गया था। ये क्षेत्र पूरे भारत में 20 सीबीआईसी क्षेत्रों (21 सीबीआईसी क्षेत्रों में से) में 87 आयुक्तालयों (107 आयुक्तालयों में से) के अंतर्गत आती हैं।

#### **4.6.2 भाग द्वितीय: केंद्रीकृत लेखापरीक्षा**

विभाग की जांच प्रक्रिया की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च मूल्य या उच्च जोखिम विचलन एवं रिटर्न के बीच विसंगतियों की पहचान करके केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूने का चयन किया गया था। तदनुसार, इस एसएससीए के अंतर्गत 18 व्यापक आयामों को शामिल करते हुए 10,124 विचलनों (जिसमें 8,809 करदाता शामिल थे) को केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया।

#### **4.6.3 भाग तृतीय: विस्तृत लेखापरीक्षा**

करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए क्षेत्र के माध्यम से करदाताओं के अभिलेख तक पहुंच बनाकर विस्तृत लेखापरीक्षा की गई। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का नमूना मुख्यतः जोखिम मापदंडों के आधार पर चुना गया था। जबकि डीओआरएफ-1 में लेखापरीक्षा ने चार विशिष्ट जोखिमों<sup>52</sup> पर ध्यान केंद्रित किया था, इस प्रतिवेदन

<sup>52</sup> (i) जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी का मिलान न होना, (ii) जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 के बीच देयता का मिलान न होना, (iii)

(डीओआरएफ II) में नौ जोखिम मापदंडों<sup>53</sup> को शामिल करके दायरे का विस्तार किया गया, जो समग्र जोखिम स्कोर के आधार पर तैयार किए गए नमूने का 54 प्रतिशत था एवं अन्य 36 प्रतिशत चार प्रमुख विचलनों<sup>54</sup> में से लिया गया था ताकि अन्य कराधान पहलुओं पर इन आयामों के भीतर विचलन के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, 10 प्रतिशत नमूने का चयन यादृच्छिक आधार पर भी किया गया। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य कराधान के विभिन्न आयामों में संभावित जोखिमों एवं विचलनों की गहन जांच सुनिश्चित करना था। हमने विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित 1,106 करदाताओं को बड़े<sup>55</sup>, मध्यम<sup>56</sup> एवं छोटे<sup>57</sup> स्तर के करदाताओं के साथ-साथ यादृच्छिक रूप से चयनित करदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया।

#### 4.7 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों के स्रोतों में सीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी कर अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान तालिका 4.1 में दिए गए हैं:

---

कुल आवर्त में छूट प्राप्त/शून्य रेटेड आवर्त का अनुपात और (iv) आईटीसी का उत्क्रमण - चतुर्थ अध्याय में 2024 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7 में मुद्रित निष्कर्ष।

<sup>53</sup> (i) आईटीसी का मिलान न होना (ii) अभुक्त दायित्व, (iii) चार अनुपात-आधारित प्रवृत्ति - प्राप्त आईटीसी/भुगतान किया गया कर, (iv) आईजीएसटी/सीजीएसटी+एसजीएसटी, (v) छूट प्राप्त/कर योग्य आवर्त, (vi) क्रेडिट नोट्स/भुगतान किया गया कर, (vii) जोखिम प्रवण एचएसएन (नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली)/एसएसी (सेवा लेखा कोड) जोड़ा गया, (viii) सीमा अवधि के बाद प्राप्त आईटीसी और (ix) आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान किए बिना प्राप्त आईटीसी।

<sup>54</sup> आईटीसी बेमेल, अनसुलझे देयता, जीएसटीआर-9 तालिका 8ए और जीएसटीआर-2ए में आईटीसी का अंतर, कर भुगतान अनुपात और कर योग्य आवर्त के लिए प्राप्त आईटीसी।

<sup>55</sup> बड़े करदाताओं के नमूने में, पहली श्रेणी में आवर्त के आधार पर शीर्ष 0.25 प्रतिशत करदाता शामिल थे, तथा दूसरी श्रेणी में आवर्त के आधार पर अगले 0.25 प्रतिशत करदाता शामिल थे।

<sup>56</sup> मध्यम करदाताओं वाली तीसरी श्रेणी में वे करदाता शामिल थे जिनका न्यूनतम आवर्त ₹7.5 करोड़ /₹10 करोड़ /₹20 करोड़ था, जो उनके क्षेत्राधिकार पर निर्भर करता था।

<sup>57</sup> चौथे वर्ग में छोटे करदाता शामिल थे, जिनका न्यूनतम आवर्त ₹2.5 करोड़/5 करोड़ था, जो उनके क्षेत्राधिकार पर निर्भर करता था।

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा मानदंडों के स्रोत

क्रम सं.	विषय	अधिनियम एवं नियम
1	उद्ग्रहण एवं संग्रहण	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9
2	प्रतिलोम प्रभार तंत्र	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) एवं आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5(3)
3	आईटीसी प्राप्त करना एवं उसका उपयोग करना	सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत धारा 16 से 21; सीजीएसटी नियमों के अध्याय V के अंतर्गत नियम 36 से 45
4	पंजीकरण	सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय VI के अंतर्गत धारा 22 से 25; सीजीएसटी नियमों के अध्याय III के अंतर्गत नियम 8 से 26
5	आपूर्ति	सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय III, के अंतर्गत धारा 7 एवं 8, अनुसूची I, II एवं III
6	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत धारा 10 से 13
7	आपूर्ति का समय	सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय IV के अंतर्गत धारा 12 से 14
8	आपूर्ति का मूल्यांकन	सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15; सीजीएसटी नियमों के अध्याय IV के अंतर्गत नियम 27 से 34
9	कर का भुगतान	सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय X के अंतर्गत धाराएँ 49 से 53; सीजीएसटी नियमों के अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए
10	जीएसटी रिटर्न दाखिल करना	सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय IX के अंतर्गत धाराएँ 37 से 47; सीजीएसटी नियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 एवं 80 से 81
11	शून्य-रेटेड आपूर्तियाँ निर्धारण एवं	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16
12	लेखापरीक्षा कार्य	सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय XII एवं XIII के अंतर्गत धाराएँ 61, 62, 65 एवं 66; सीजीएसटी नियमों के अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102

इसके अलावा, रिटर्न दाखिल करने से संबंधित सीबीआईसी द्वारा जारी अधिसूचनाएं एवं परिपत्र, विभिन्न रिटर्न दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करना, रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथियों को आगे बढ़ाना, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ

उठाना एवं उसका उपयोग करना, रिटर्न की संवीक्षा एवं कर अनुपालन की निगरानी भी लेखापरीक्षा मानदंडों का हिस्सा थी।

#### 4.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सभी सीबीआईसी केंद्रीय कर क्षेत्रों में किए गए लेखापरीक्षा से प्रणालीगत एवं अनुपालन संबंधी दोनों मुद्दे सामने आए हैं, जिनकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है। जबकि प्रणालीगत मुद्दे परिकल्पित सत्यापन तंत्र की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता को संबोधित करते हैं, अनुपालन मुद्दे व्यक्तिगत मामलों में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों से विचलन से संबंधित हैं। यह देखते हुए कि यह एसएससीए विभाग की निगरानी प्रणाली का मूल्यांकन करने की दिशा में उन्मुख था, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

1. अनुपालन की निगरानी के लिए उचित दस्तावेज़ीकरण का अभाव
2. रिटर्न दाखिल करने पर निगरानी
3. कर भुगतान पर निगरानी
4. जीएसटी रिटर्न में विसंगतियां - केंद्रीकृत लेखापरीक्षा
5. जीएसटी रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा

कर भुगतान पर निगरानी को आगे केन्द्रीयकृत लेखापरीक्षा एवं विस्तृत लेखापरीक्षा से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों में वर्गीकृत किया गया।

##### 4.8.1 अनुपालन की निगरानी के लिए उचित दस्तावेज़ीकरण का अभाव

यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाता अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करें एवं स्व-निर्धारण के युग में अपने कर दायित्वों को पूरा करें, क्षेत्रीय कार्यालयों को निरंतर संवीक्षा करने एवं उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा स्वीकार करती है कि इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों के कई कार्यों को स्वचालित कर दिया गया है एवं महत्वपूर्ण एमआईएस प्रतिवेदन विशेष रूप से अक्टूबर 2020 से क्षेत्र अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाने लगी हैं। इनमें जीएसटीआर-3बी दाखिल न करने वालों को जीएसटीआर-3ए नोटिस

जारी करने, जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने पर निर्धारण आदेश एएसएमटी-13 जारी करने से संबंधित कार्य/एमआईएस रिपोर्ट सम्मिलित थे।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि लेखापरीक्षा अवधि 2020-21 के दौरान, कुछ कार्यों को स्वचालित नहीं किया गया था जैसे कि एएसएमटी-13 जारी करना एवं जीएसटीआर-3बी के अलावा अन्य रिटर्न के लिए विवरण दाखिल न करने वालों की रिपोर्ट देखना। संबंधित एमआईएस रिपोर्ट या तो उपलब्ध नहीं कराई गई थी या आंशिक रूप से उपलब्ध कराई गई थी। इनमें जीएसटीआर-3ए, विवाद, निपटान एवं समाधान (डीएसआर) एवं आरईजी-17<sup>58</sup> से संबंधित एमआईएस रिपोर्ट की अनुपलब्धता शामिल थी, जिन्हें नवंबर 2020 से पहले की अवधि के लिए अभी तक स्वचालित नहीं किया गया है (अप्रैल 2023)।

इससे क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने द्वारा किए गए कार्यों का भौतिक अभिलेख/पंजिका बनाए रखना आवश्यक हो गया। सीबीआईसी ने 22 मार्च 2022 को निर्देश संख्या 02/2022- जीएसटी जारी किया था, जिसमें संवीक्षा पंजिकाओं के रखरखाव पर जोर दिया गया था। हालाँकि, चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ऐसे रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया था।

लेखापरीक्षा को क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किए गए अभिलेख रखने के निर्देश नहीं मिले एवं न ही चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों ने 'फाइल न करने वालों' के विवरण दर्ज करने के लिए भौतिक अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया था।

इसके अलावा, जैसा कि डीओआरएफ चरण-1 प्रतिवेदन में पहले ही बताया जा चुका है, क्षेत्रीय कार्यालयों में अधीक्षक एवं निरीक्षक दोनों स्तरों पर प्रभार सौंपने/लेने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। इसके साथ ही क्षेत्र अधिकारियों द्वारा करदाताओं एवं अन्य विभागों के साथ संवाद के आदान-प्रदान के लिए तीसरे पक्ष की ई-मेल सेवाओं का उपयोग जारी रखने के परिणामस्वरूप, नए

---

<sup>58</sup> यदि केन्द्रीय कर अधीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द किया जाना योग्य है, तो ऐसे व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी आरईजी-17 में नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें उसे नोटिस की तारीख की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि उसका पंजीकरण क्यों न रद्द कर दिया जाए।

पदाधिकारियों को संभवतः पिछली कार्रवाइयों एवं क्षेत्र में लंबित मामलों की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती।

**अनुशासण: विभाग,**

1) जैसा कि डीओआरएफ चरण-1 प्रतिवेदन में पहले ही इंगित किया गया है, बैंक-एंड सिस्टम में बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) एवं एमआईएस प्रतिवेदनों को शामिल करने में तेजी लाएं एवं जब तक स्वचालन पूरा नहीं हो जाता, विभाग भौतिक अभिलेखों/पंजिकाओं का उचित रखरखाव सुनिश्चित करे।

जीएसटीएन ने कहा (अप्रैल 2025) कि जून 2024 से सीबीआईसी के जीएसटीएन बैंक ऑफिस (बीओ) में स्थानांतरण के बाद, निर्दिष्ट मानदंडों के प्रति सिस्टम-आधारित जांच को लागू करने एवं करदाताओं के लिए मसौदा विसंगति सूचनाओं को स्वचालित रूप से उत्पन्न करने के लिए अभिकल्पित किया गया एवं स्वचालित रिटर्न संवीक्षा मॉड्यूल (एआरएसएम) विकास के एक उन्नत चरण में है एवं वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के अंत तक इसे लागू किए जाने की उम्मीद है। वर्तमान में, करदाताओं की वास्तविक समय जोखिम प्रोफाइलिंग एवं वर्गीकरण, 360 डिग्री प्रोफाइलिंग सहित पूर्व-निर्धारित कारकों के आंकड़ा विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। इस लक्षित सूचना के आधार पर, अनुपालन न करने वाले करदाताओं की पहचान की जाती है, एवं बीओ के माध्यम से विवरण सीबीआईसी अधिकारियों के साथ साझा किया जाता है।

जीएसटीएन ने यह भी कहा (अप्रैल 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सीबीआईसी एसीईएस- जीएसटी प्रणाली से संबंधित हैं, जो अब जीएसटीएन बीओ में स्थानांतरित हो गई है। जीएसटीएन बैंक-एंड पर सभी प्रक्रियाएं पूर्णतः स्वचालित हैं, तथा दस्तावेज, कागज रहित वातावरण में सामान्य पोर्टल के माध्यम से उचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं। जीएसटीएन एवं सीबीआईसी के बीच सहमति के अनुसार, राज्यों को उपलब्ध एमआईएस प्रतिवेदन को चरणबद्ध तरीके से सीबीआईसी के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। वर्तमान में, राज्यों के लिए 126 एमआईएस प्रतिवेदन जैसे कि जीएसटीआर-3बी न भरने वाले, जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी के बीच मिलान न होना, जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-2ए के बीच आईटीसी का

बेमेल, प्रतिदाय लंबित होना, ई-वे बिल न भरने वाले एवं स्वतः निरस्तीकरण उपलब्ध हैं। आज की तिथि (अप्रैल 2025) तक, 43 एमआईएस रिपोर्ट (चरण I के अंतर्गत) सीबीआईसी को उपलब्ध करा दी गई हैं, जबकि 42 अतिरिक्त प्रतिवेदन (चरण II के अंतर्गत) का कार्य प्रगति पर है।

इससे पहले सीएजी की 2024 की ऑडिट रिपोर्ट संख्या 7 में, डीओआरएफ-I पर एसएससीए के दौरान, लेखापरीक्षा ने सिफारिश की थी कि नोटिस जारी करने, मूल्यांकन आदेश, देशता आदेश आदि से संबंधित पहलुओं पर एमआईएस रिपोर्ट कर अधिकारियों को प्रभावी निगरानी के लिए दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न एमआईएस प्रतिवेदनों को स्वीकार किया है, जो उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्योंकि इनके प्रभावी उपयोग से निश्चित रूप से कर अनुपालन में सुधार होगा।

## **2) अधीक्षक एवं निरीक्षक स्तर पर कार्यभार सौंपने / लेने की प्रक्रिया को लागू करना।**

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि 11 अप्रैल 2023 को क्षेत्रीय इकाइयों को उचित तरीके से अधिग्रहण/हस्तांतरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालाँकि, अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक किए गए लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने अभी भी क्षेत्रीय स्तर पर खामियाँ पाईं।

अधिग्रहण/हस्तांतरण करना तभी सार्थक होगा जब वर्तमान अधिकारी किए गए कार्य का उचित अभिलेख रखेगा तथा उसे अगले अधिकारी को सौंपेगा तथा कार्यभार सौंपने संबंधी नोट का एक मानक प्रारूप भी माना जा सकता है।

### **4.8.2 रिटर्न दाखिल करने पर निगरानी**

रिटर्न करदाताओं के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिससे वे अपनी आय, व्यय एवं कर देनदारियों को कर प्राधिकारियों के समक्ष सटीक एवं पारदर्शी तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। यह करदाताओं को अपनी वित्तीय गतिविधियों के स्वयं के आकलन के आधार पर अपनी कर देनदारियों की गणना करने में भी सक्षम बनाता है। स्व-निर्धारण व्यवस्था में रिटर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे कर अनुपालन को सुगम बनाते हैं,

सटीकता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, राजस्व संग्रहण में सहायता करते हैं, तथा प्रभावी कर प्रवर्तन प्रयासों को सक्षम बनाते हैं।

#### 4.8.2.1 रिटर्न दाखिल करने की प्रवृत्ति

मासिक जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने की समग्र प्रवृत्ति तालिका 4.2 में निम्नानुसार दी गई है:

तालिका 4.2: जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की प्रवृत्ति

वित्तीय वर्ष	दाखिल किए जाने वाले रिटर्न की संख्या		नियत तिथि तक दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या		नियत तिथि <sup>59</sup> के बाद दाखिल किए गए रिटर्न की संख्या		फाइलिंग प्रतिशत		दाखिल रिटर्न के आधार पर नियत तिथि तक फाइल करने वाले (प्रतिशत)	
	जीएसटीआर	जीएसटीआर --1	जीएसटीआर - 3बी	जीएसटीआर -- 1	जीएसटीआर - 3बी	जीएसटीआर -- 1	3बी	1	3बी	1
1	2		3		4		5=(4+3/2) X 100		6=3/(4+3) X 100	
17-18	7,04,69,376	4,72,01,778	4,11,21,997	3,54,17,939	2,59,67,340	70,25,663	95	90	61	83
18-19	11,57,07,817	7,56,97,667	6,96,28,789	2,77,20,033	3,35,31,033	3,14,22,927	89	78	67	47
19-20	12,47,36,213	8,14,57,191	7,53,54,782	3,05,76,460	3,66,43,139	3,41,08,313	90	79	67	47
20-21	11,94,16,108	9,80,45,251	6,16,88,778	3,83,83,812	4,84,24,319	3,50,42,307	92	75	56	52
21-22	10,20,16,148	10,20,16,148	6,65,69,982	4,86,94,636	3,07,61,172	4,62,64,481	95	93	68	51

स्रोत: जीएसटी वेबसाइट <https://www.gst.gov.in/download/gststatistics> नवंबर 2023 तक।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर-1 रिटर्न की तुलना में दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी रिटर्न में काफी अधिक वृद्धि हुई है, जो संभवतः अनंतिम आईटीसी का लाभ उठाने से संबंधित कड़े नियमों की शुरुआत एवं दो या अधिक लगातार जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल न करने पर ई-वे बिल तैयार करने की सुविधा को अवरुद्ध<sup>60</sup> करने के कारण है।

<sup>59</sup> नवंबर 2023 तक

<sup>60</sup> अगस्त 2021 से.

#### 4.8.2.2 फाइल न करने वालों पर अनुवर्ती कार्रवाई - देर से फाइल करने वालों एवं फाइल न करने वालों पर कार्रवाई का अभाव

166 क्षेत्रीय कार्यालयों के नमूने में फाइल न करने वालों के संबंध में निगरानी तंत्र की समीक्षा से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

बीस क्षेत्रों में 54 आयुक्तालयों के अंतर्गत 89 क्षेत्रीय कार्यालयों में, लेखापरीक्षा रिटर्न दाखिल करने पर निगरानी तंत्र को सत्यापित नहीं कर सकी, क्योंकि लेखापरीक्षा को न तो अभिलेख एवं न ही आंकड़े उपलब्ध कराये गये थे। इसके अलावा, किसी भी संबंधित एमआईएस रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण, इन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा फाइल न करने वालों से संबंधित किसी भी कार्य पर कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका।

बत्तीस केंद्रीय कर आयुक्तालयों के अंतर्गत 47 क्षेत्रीय कार्यालयों<sup>61</sup> में कर न भरने वालों से मांग की वसूली के लिए निगरानी तंत्र अपर्याप्त था। बाईस आयुक्तालयों के अंतर्गत 29 क्षेत्रीय कार्यालयों में, जहां एएसएमटी-13, डीआरसी-07 जारी करने से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख/प्रतिवेदन एवं वसूली विवरण उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी मामले में चूककर्ताओं पर कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसके अलावा, 14 आयुक्तालयों के अंतर्गत 25 क्षेत्रीय कार्यालयों में जीएसटीआर-3ए (जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने वाले चूककर्ताओं के लिए नोटिस) जारी करने एवं उसके बाद एएसएमटी-13 (उन मामलों में सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण आदेश, जहां करदाताओं ने जीएसटीआर-3ए नोटिस का अनुपालन नहीं किया है) जारी करने की प्रक्रिया नहीं की गई। छः क्षेत्रीय कार्यालयों में एएसएमटी-13 की गलत निकासी एवं डीआरसी-07 (एएसएमटी-13 के अनुवर्ती के रूप में मांग आदेश का सारांश) की वसूली शुरू न करना देखा गया। इसके परिणामस्वरूप बकाएदारों से ₹27.97 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी।

साठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से, जहां फाइल न करने वालों पर की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दे सामने आए, मंत्रालय/विभाग ने 36 क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित मुद्दों को स्वीकार कर लिया, जिनमें ₹27.73 करोड़ का धन मूल्य शामिल था। शेष 24 श्रेणियों में उत्तर प्रतीक्षित/खंडित थे।

<sup>61</sup> पैरा 4.8.2.2-2. (रैंज-29), 4.8.2.2-3 (रैंज-25), 4.8.2.2-4 (रैंज-3) और 4.8.2.2-5 (रैंज-3) और इन पैराओं में रैंजों की विशिष्ट संख्या 47 रैंज है।

## 1. देर से फाइल करने वालों/फाइल न करने वालों पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 46 एवं सीजीएसटी नियमों के नियम 68 के अनुसार, यदि करदाता नियत तिथि के भीतर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसे फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी कर पंद्रह दिनों के भीतर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 62 तथा सीजीएसटी नियमों के नियम 100 के अनुसार, यदि करदाता ऐसे नोटिस के बाद भी रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, उपलब्ध या एकत्रित सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं तथा फॉर्म एसएमटी-13 में मूल्यांकन आदेश जारी कर सकते हैं।

रिटर्न दाखिल करना कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्रवाइयों की नियत तारीख एक ही है, जिसका अर्थ है कि रिटर्न दाखिल न करने वालों के मामले में कर/जुर्माना का भुगतान न करने का जोखिम है। भारत भर में 54 केंद्रीय कर आयुक्तालयों के अंतर्गत 166 क्षेत्रीय कार्यालयों के नमूने में से 89 रैंजें उनके द्वारा चिन्हित विलंब से रिटर्न दाखिल करने वालों/ फाइल न करने वालों संबंधित कार्रवाइयों का विवरण प्रदान नहीं कर सकीं। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या करदाताओं को कर दाखिल न करने के बारे में सूचित करने के लिए समय पर उपाय किए गए थे या राजस्व की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई, जैसे कि सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण करना या मांग नोटिस जारी करना, की गई थी।

## 2. रिटर्न दाखिल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की गई

क्षेत्रीय कार्यालयों के करदाताओं के प्रोफाइल एवं उनके द्वारा दाखिल रिटर्न की समीक्षा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चिन्हित विलंब से रिटर्न दाखिल करने वालों/ दाखिल न करने वालों के संबंध में की गई समीक्षा से पता चला कि क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी चूक मामलों का संज्ञान नहीं लिया था। सीबीआईसी बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध 'ड्यू फाइलर रिपोर्ट' से, लेखापरीक्षा ने पाया कि 22 केंद्रीय कर आयुक्तालयों में 29 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत 28,877

मामलों में कार्रवाई शुरू नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ की संभावित राजस्व हानि हुई। एक सौ सैंतीस श्रेणियों में जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-1 दाखिल न करने वालों से संबंधित ड्यू फाइलर रिपोर्ट एवं अन्य प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन उपलब्ध न होने के कारण मामलों की संख्या का आकलन नहीं किया जा सका। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

- i. दिल्ली दक्षिण मध्य कर आयुक्तालय के अंतर्गत क्षेत्र 47 में, 122 करदाताओं में से केवल 22 करदाताओं ने जीएसटीआर-9 दाखिल किया था। तेरह करदाताओं ने अपना जीएसटीआर-9 विलंब से दाखिल किया था, लेकिन उनसे कोई विलंब शुल्क नहीं मांगा गया। इसके अलावा, 2020-21 की अवधि के लिए 1,289 जीएसटीआर-1 रिटर्न के मुकाबले, 60 करदाताओं (181 करदाताओं में से) से संबंधित केवल 419 रिटर्न दाखिल किए गए। जब जुलाई 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि जीएसटीआर-9 से संबंधित 122 करदाताओं का पंजीकरण एवं जीएसटीआर-1 से संबंधित 121 जीएसटीआईएन को क्षेत्र द्वारा रद्द कर दिया गया है।
- ii. बेंगलुरु दक्षिण मध्य कर आयुक्तालय के अंतर्गत, डीएसडी-8 क्षेत्र में, यह देखा गया कि एक करदाता ने 2020-21 की अवधि के लिए अपना जीएसटीआर-3बी, सीमा अवधि के बाद विलंब से दाखिल किया था, लेकिन इस रिटर्न के माध्यम से ₹0.59 करोड़ की आईटीसी राशि का लाभ उठाया था। इस अनियमित आईटीसी को ब्याज सहित वापस किया जाना आवश्यक है। जुलाई 2023 में जब इस ओर ध्यान दिलाया गया, तो विभाग ने जुलाई 2023 करदाता का उत्तर आगे भेजा, जिसमें कहा गया कि चूंकि प्रणाली कोविड-19 महामारी अवधि से संबंधित पहले के कर बकाया का भुगतान किए बिना नए रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं देती, इसलिए इसमें विलंब हुआ। विभाग को लागू नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए एवं कर की वसूली करनी चाहिए। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2025)।

तथापि, जैसा कि डीओआरएफ चरण । प्रतिवेदन में दर्शाया गया है, बेंगलुरु केंद्रीय कर क्षेत्र में, विभाग ने सूचित किया कि फाइल न करने वालों एवं फाइल करना रोकने वालों पर की गई कार्रवाई मुख्य रूप से केंद्रीय करों के प्रधान आयुक्तों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित थी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कोई स्वतंत्र पहचान नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि रिटर्न दाखिल न करने वालों की पहचान तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पर्याप्त प्रणालियों का अभाव है। सीबीआईसी बैक-एंड सिस्टम में 'व्यू नॉन-फाइलर' कार्यक्षमता, कर अधिकारी को रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों की पहचान करने एवं उन्हें नोटिस जारी करने में सक्षम बनाने के लिए नवंबर 2019 में ही शुरू की गई थी। जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में चूक करने वालों के लिए जीएसटीआर-3ए नोटिस का स्वचालित जारीकरण जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। तथापि, संबंधित एमआईएस रिपोर्ट क्षेत्र अधिकारियों के लिए डैशबोर्ड पर उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिससे उन्हें उन मामलों पर कार्रवाई करने में बाधा उत्पन्न हुई, जहां करदाता नोटिस प्राप्त करने के बावजूद अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे। इस अवधि से पहले, कर अधिकारी के पास मामलों की पहचान करने का कोई तंत्र नहीं था। इसके अलावा, 2023-24 के अंत तक भी, इस सुविधा में कंपोजिशन करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटीआर-4 रिटर्न या जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-9 या जीएसटीआर-9सी जैसे अन्य रिटर्न शामिल नहीं थे।

### **3. फाइल न करने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई लेकिन पूरी नहीं हुई**

सभी मामलों में रिटर्न दाखिल न करने वाले करदाता को नोटिस जीएसटीआर-3ए जारी करने की देय प्रक्रिया एवं उसके बाद एसएमटी-13 जारी करने का पालन नहीं किया गया। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान 14 केंद्रीय कर आयुक्तालयों में 25 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत 3,618 मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि जहां जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी किए गए थे, वहीं एसएमटी-13 के अंतर्गत संबंधित मूल्यांकन आदेश जारी नहीं किए गए थे या अपूर्ण थे, जबकि करदाताओं ने निर्धारित समय के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.51 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(क) छः आयुक्तालयों के अंतर्गत 13 रेंजों में, जहां रिकॉर्ड उपलब्ध थे, लेखापरीक्षा ने पाया कि 448 मामलों में, करदाताओं ने जीएसटीआर-3ए के अनुसरण में अपने रिटर्न दाखिल किए, लेकिन कर के विलंबित भुगतान के लिए ₹0.54 करोड़ का ब्याज एवं विलंब शुल्क वसूल नहीं किया गया। एक उदाहरणात्मक मामले का विवरण नीचे दिया गया है:

i. बेंगलुरु पूर्व केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत एईडी-7 श्रेणी के सात मामलों में, डीएसडी-8 श्रेणी के अंतर्गत नौ मामलों में तथा बेंगलुरु दक्षिण केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत एएसडी-5 के अंतर्गत दो मामलों में, यद्यपि जारी किए गए एएसएमटी-13 के आधार पर रिटर्न दाखिल किए गए थे, फिर भी यह देखा गया कि इन सभी मामलों में देय ब्याज की मांग नहीं की गई थी। इन तीनों श्रेणियों में ब्याज का भुगतान न होने से ₹0.39 करोड़ का नुकसान हुआ। अधिनियम के अंतर्गत देय राशि की मांग के लिए सारांश आदेश डीआरसी-07 जारी नहीं किया गया। जब जुलाई एवं अक्टूबर 2023 के बीच इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि एईडी-7 के तहत पहचाने गए मामलों के संबंध में वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। डीएसडी-8 एवं एएसडी-5 रेंज के संबंध में उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी।

(ख) चार केंद्रीय कर आयुक्तालयों के अंतर्गत सात रेंजों में 52 मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं ने अपने जीएसटीआर-1 दाखिल कर दिए थे, लेकिन उसी अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किए गए थे या सीमा अवधि के बाद देरी से दाखिल किए गए थे। विभाग द्वारा एएसएमटी-13 जारी करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई अथवा जारी किया गया एएसएमटी-13 अपूर्ण था। इन मामलों में कर का भुगतान न करने की राशि ₹ 5.97 करोड़ थी। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

i. राउरकेला केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत झारसुगुड़ा-1 रेंज में, 11 मामलों में लेखापरीक्षा नोटिस में पाया गया कि करदाताओं ने अपना जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया था, हालांकि, संबंधित महीनों के लिए जीएसटीआर-1 उपलब्ध थे। जीएसटीआर-1 में घोषित कर देयता के आधार पर, इन मामलों में कर का भुगतान न करने का जोखिम

₹ 2.12 करोड़ था। जब दिसंबर 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो विभाग ने बताया (दिसंबर 2023) कि संपूर्ण आपत्तिगत राशि के लिए बकाया वसूली प्रकोष्ठ द्वारा वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्रालय ने आगे बताया (अप्रैल 2025), कि सभी ग्यारह मामलों में मूल आदेश (ओआईओ) जारी किया गया था।

(ग) इसके अलावा, पांच केंद्रीय कर आयुक्तालयों के पांच रेंजों में 3,118 मामलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-3ए नोटिस का अनुपालन नहीं करने के बावजूद निर्धारण नहीं किया गया।

#### 4. शुरू की गई लेकिन अनुपालन नहीं की गई कार्रवाई

दो केंद्रीय कर आयुक्तालयों के अंतर्गत तीन रेंजों में 24 मामलों में, जहां एएसएमटी से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे, यह देखा गया कि डीआरसी-07, अधिनियम के तहत देय राशि की मांग के लिए सारांश आदेश, एएसएमटी-13 पर करदाता द्वारा गैर-अनुपालन के बावजूद जारी नहीं किया गया था। अंतर्निहित कर प्रभाव ₹19.87 करोड़ है। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

i. उदयपुर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत रेंज VIII में, 21 मामलों में जहां 2020-21 के दौरान जीएसटीआर-3बी दाखिल न करने पर एएसएमटी-13 जारी किए गए थे, इन मामलों पर आगे कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। यह पता लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई कि रिटर्न दाखिल किया गया था या नहीं, या कोई मांग आदेश जारी किया गया था या नहीं। इन मामलों में एएसएमटी-13 में शामिल राशि ₹19.85 करोड़ थी। जब अगस्त 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि रेंज ने एएसएमटी -13 के माध्यम से शुरू की गई कार्यवाही को छोड़ दिया है, क्योंकि करदाताओं ने बाद में संबंधित अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करके अपनी कर देनदारियों का निर्वहन किया। यह रेखांकित करना उचित है कि इस मुद्दे को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद ही संबोधित किया गया। इसके अलावा, रेंज को दाखिल रिटर्न की जांच करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर का कम भुगतान तो नहीं हुआ है।

यह ध्यान देने योग्य है कि ये अवलोकन केवल लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई फाइलों से लिए गए थे। अन्य 163 रैंजों ने उन मामलों का कोई विवरण नहीं दिया जहाँ एसएमटी-13 जारी किए गए थे या जहाँ डीआरसी -07 जारी किए गए थे।

## 5. बकाया राशि वसूलने के लिए अपर्याप्त प्रयास

सीजीएसटी नियमों के नियम 100 के अनुसार, सक्षम अधिकारी फॉर्म एसएमटी-13 में आदेश जारी कर सकता है एवं उसका सारांश फॉर्म डीआरसी-07 (आदेश का सारांश) में अपलोड कर सकता है, जिसमें कर/उपकर, ब्याज, जुर्माना एवं करदाता द्वारा देय अन्य राशि जैसे मांग विवरण शामिल होंगे। करदाता अपने डैशबोर्ड पर आदेश देख सकते हैं एवं तदनुसार देयता का निर्वहन कर सकते हैं।

चयनित श्रेणियों में करदाताओं की चुकाई गई देनदारियों पर रिकॉर्ड या रिपोर्ट के अभाव के कारण, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित करना संभव नहीं था कि चुकाई गई देनदारी जारी डीआरसी-07 के अनुरूप है या नहीं। रिपोर्ट का अभाव, जारी किए गए मांग नोटिसों की तुलना में निर्वहन किए गए दायित्व की निगरानी के लिए रैंज अधिकारियों के लिए अपर्याप्त नियंत्रण तंत्र को भी दर्शाता है।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 78 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत पारित आदेश के अनुसरण में किसी करयोग्य व्यक्ति द्वारा देय कोई भी राशि, ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तारीख की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर चुकाई जाएगी, अन्यथा वसूली कार्यवाही शुरू की जाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में, यदि सरकार के हित में ऐसा करना उचित हो, तो समयावधि तीन महीने से कम भी हो सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन केन्द्रीय कर आयुक्तालयों के अंतर्गत तीन रैंजों के अंतर्गत 16 मामलों में, रैंजों ने ₹ 1.59 करोड़ की बकाया राशि की वसूली के लिए एसएमटी-13 एवं डीआरसी -07 जारी करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। एक रैंज का उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

i. अलवर केंद्रीय कर आयोग के अंतर्गत रेंज-XXVII में चार मामलों में, हालांकि डीआरसी-07 अप्रैल एवं अक्टूबर 2021 में जारी किया गया था, लेकिन 30 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद कोई वसूली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। इन मामलों में मांगी गई राशि ₹1.53 करोड़ थी। अगस्त 2023 में जब इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि सभी मामलों में बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

**सिफारिशें: विभाग,**

3) बैक-एंड पोर्टल में 'व्यू नॉनफाइलर-' कार्यक्षमता का विस्तार करें ताकि रेंज अधिकारी सभी श्रेणियों के पंजीकरणकर्ताओं को रिटर्न दाखिल न करने वालों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी कर सकें। वर्तमान में यह सुविधा केवल जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-10 एवं सीएमपी-08 के लिए उपलब्ध है।

जीएसटीएन ने कहा (अप्रैल 2025) कि, जीएसटीएन बीओ में, सभी श्रेणियों के करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल न करने वालों पर एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध है। बैक-एंड पोर्टल पर रेंज अधिकारी को नॉन-फाइलर्स को देखने की सुविधा उपलब्ध है। सभी श्रेणियों के करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल न करने वालों के संबंध में एमआईएस रिपोर्ट जीएसटीएन बीओ में उपलब्ध है, अर्थात् जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-5, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर-8, जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9सी एवं सीएमपी-08 रिटर्न के संबंध में रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए एमआईएस। वर्तमान में जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-9 एवं जीएसटीआर-10 के लिए स्वचालित जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी किए जाते हैं।

4) बैक-एंड सिस्टम में सभी प्रासंगिक रिटर्न जैसे कि जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-4 आदि के लिए जीएसटीआर-3ए से संबंधित एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध कराएं एवं जीएसटीआर-3बी के अलावा रिटर्न न भरने वाले सभी लोगों के लिए जीएसटीआर-3ए के ऑटोजेनरेशन की सुविधा - का विस्तार करें।

जीएसटीएन ने बताया (अप्रैल 2025) कि सीएमपी-08, जीएसटीआर-5 एवं जीएसटीआर-6 के लिए स्वचालित जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी करने के प्रस्ताव विधि समिति के विचाराधीन हैं।

5) जैसा कि डीओआरएफ चरण-1 रिपोर्ट में पहले ही बताया गया है, प्रभावी निगरानी के लिए बैक-एंड सिस्टम में कर अधिकारियों को निर्धारण आदेश (एसएमटी-13/14) एवं मांग आदेश (डीआरसी-07) जारी करने से संबंधित एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।

जीएसटीएन ने बताया (अप्रैल 2025) कि एसएमटी-13 एवं डीआरसी-07 से संबंधित एमआईएस रिपोर्ट सीबीआईसी के लिए विकसित कर ली गई हैं एवं इनके शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है। एसएमटी-14 के लिए एमआईएस का विकास विचाराधीन है।

#### **4.8.3 कर भुगतान पर निगरानी**

विभाग ने एक डीजीएआरएम बनाया है एवं कर प्रशासन के लिए डेटा विश्लेषण का लाभ उठा रहा है। कर भुगतान की प्रभावी निगरानी में रिटर्न की जांच एवं करदाताओं द्वारा कर देयता के निर्वहन की निगरानी के लिए एक प्रभावी एवं टिकाऊ तंत्र भी शामिल है। लेखापरीक्षा ने रिटर्न की जांच की प्रक्रिया की समीक्षा करके तथा रेंजों में डीजीएआरएम रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई करके कर भुगतान की निगरानी की जांच करने का प्रयास किया। ऐसा विभिन्न जीएसटी रिटर्न के बीच विसंगतियों के नमूने की केंद्रीय रूप से पहचान करके किया गया, ताकि ऐसे मामलों में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की जा सके, तथा करदाताओं द्वारा जीएसटी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए बीजक जैसे बारीक रिकॉर्ड की जांच सहित मामलों के नमूने का विस्तृत लेखापरीक्षा किया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रिटर्न की जांच की प्रक्रिया को एसओपी के साथ मार्च 2022 में ही संस्थागत रूप दिया गया, जो कि जीएसटी के कार्यान्वयन के चार वर्ष से अधिक समय बाद हुआ। रेंजों में जांच एवं डीजीएआरएम रिपोर्टों के सत्यापन एवं अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित अभिलेखों के रखरखाव में कमी थी एवं इसलिए लेखापरीक्षा जांच के अधीन रेंजों एवं डीजीएआरएम

रिपोर्टों द्वारा किए गए सत्यापन की गुणवत्ता एवं सीमा के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई फाइलों के आधार पर यह पाया गया कि एसओपी में उल्लिखित जांच के लिए निर्धारित रिपोर्ट एवं प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीजीएआरएम रिपोर्टों में शामिल मुद्दों पर कई मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 केन्द्रीय कर आयुक्तालयों के अंतर्गत 46 रैंजों में एएसएमटी-10 जारी करने, प्रत्युत्तर प्राप्त करने या मांग नोटिस जारी करने में देरी हुई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने 24 केंद्रीय कर आयुक्तालयों में 27 रैंजों द्वारा की गई जांच में भी कमी पाई, जिसमें ₹4.33 करोड़ के कर प्रभाव एवं ब्याज का अ-संग्रहण शामिल था। इसके अतिरिक्त, चार केन्द्रीय कर आयुक्तालयों के चार रैंजों में ₹3.46 करोड़ मूल्य की जांच का अपर्याप्त अनुवर्तन देखा गया।

सतहत्तर रैंजों में से, जहां जांच प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे पाए गए, मंत्रालय/विभाग ने 50 रैंजों से संबंधित मुद्दों को स्वीकार कर लिया, जिनमें ₹7.47 करोड़ का धन मूल्य शामिल था, जिनमें से तीन रैंजों ने ₹0.35 करोड़ का अंतर्निहित कर भी वसूल किया। शेष 27 श्रेणियों में उत्तर की प्रतीक्षित है/खंडन किया गया।

आगामी पैराग्राफों में जांच प्रक्रिया, डीजीएआरएम रिपोर्टों का अनुवर्तन, डेटा असंगतता एवं करदाताओं द्वारा जीएसटी प्रावधानों के अनुपालन पर विस्तृत निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

#### 4.8.3.1 रिटर्न की जांच

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 में उचित अधिकारी द्वारा रिटर्न की जांच का प्रावधान है। सीजीएसटी नियमों के नियम 99 में पाई गई विसंगतियों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जीएसटी कार्यान्वयन के चार वर्षों से अधिक समय तक रिटर्न की जांच की प्रभावी प्रणाली, जो विभाग का

एक महत्वपूर्ण अनुपालन कार्य है, संस्थागत नहीं की गई थी। इस पर पिछली सीएजी रिपोर्ट<sup>62</sup> में भी टिप्पणी की गई थी।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के रिटर्न की जांच के लिए एसओपी सीबीआईसी द्वारा 22 मार्च 2022 को निर्देश संख्या 02/2022-जीएसटी के तहत जारी की गई थी। जांच के लिए रिटर्न का चयन डीजीएआरएम द्वारा किया जाएगा एवं आगे की कार्रवाई के लिए समय-समय पर डेटा प्रबंधन निदेशालय (डीडीएम) पोर्टल (संबंधित आयुक्तालय के नोडल अधिकारी को) के माध्यम से क्षेत्रीय संरचनाओं को सूचित किया जाएगा। डीजीएआरएम डीडीएम पोर्टल के माध्यम से जांचे जाने वाले रिटर्न से संबंधित कुछ प्रासंगिक डेटा (संभावित राजस्व निहितार्थ के साथ) भी उपलब्ध कराएगा।

रेंज अधिकारी को फॉर्म एसएमटी-10 में करदाता को जांच में पाई गई विसंगतियों की सूचना देनी होगी। करदाता का उत्तर फॉर्म एसएमटी-11 में प्राप्त होता है। जहां करदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या विसंगति की स्वीकृति एवं बकाया राशि के भुगतान के संबंध में प्रस्तुत जानकारी रेंज अधिकारी द्वारा स्वीकार्य पाई जाती है, वहां फॉर्म जीएसटी एसएमटी-12 में पंजीकृत व्यक्ति को सूचित करके कार्यवाही समाप्त की जाएगी। यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटीएसएमटी-11 में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां पंजीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के बाद, कर, ब्याज एवं ऐसी विसंगतियों से उत्पन्न किसी भी अन्य राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो रेंज अधिकारी सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के तहत कर एवं अन्य बकाया राशि का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है। यदि रेंज अधिकारी की राय है कि उक्त पंजीकृत व्यक्ति की सही देयता निर्धारित करने के लिए मामले को लेखापरीक्षा या जांच के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तो मामले को लेखापरीक्षा आयुक्तालय या आयुक्तालय के कर चोरी विरोधी विंग को भेजा जा सकता है। रिपोर्टिंग एवं निगरानी के प्रयोजन के लिए, रेंज अधिकारी द्वारा एक जांच रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें की गई जांच का विवरण एवं परिणाम दर्ज किया जाए।

<sup>62</sup> 2022 की सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 5

निर्देश संख्या 02/2023-जीएसटी, दिनांक 26 मई 2023 के तहत वर्ष 2019-20 को कवर करने के लिए विस्तारित जांच में रेंज अधिकारी को पंजीकृत व्यक्ति को रिटर्न में देखी गई विसंगतियों के बारे में सूचित करने, उत्तर प्राप्त करने, आदेश जारी करने या आगे की कार्रवाई करने जैसे एससीएन जारी करने, लेखापरीक्षा करने या जांच करने की आवश्यकता होती है। रिटर्न की जांच के निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

### 1. अभिलेखों का रखरखाव

यद्यपि एसओपी ने जांच रजिस्टर के रखरखाव पर जोर दिया था, लेकिन यह देखा गया कि तिरुवनंतपुरम, कोलकाता एवं पटना जोन के अलावा किसी भी चयनित रेंज द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर नहीं रखा गया था। किसी भी निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति, स्थानांतरण के समय रेंज अधिकारियों के बीच उचित हस्तांतरण/अधिग्रहण की व्यवस्था न होना तथा सीबीआईसी बैक-एंड सिस्टम में जांच के लिए उचित एमआईएस रिपोर्ट न होने के कारण, की गई जांच का विवरण वर्तमान रेंज अधिकारी को संबंधित ई-मेल से प्राप्त करना पड़ता है। भावी रेंज अधिकारियों को अपने पूर्ववर्तियों द्वारा निपटाए गए मामलों की जानकारी नहीं होगी।

तैंतीस आयुक्तालयों के 53 रेंजों में संवीक्षा संबंधी फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसलिए, लेखापरीक्षा इन श्रेणियों में समय-सीमा के पालन या पहचानी गई विसंगतियों या की गई जांच की पर्याप्तता एवं मामलों के समय पर निपटान के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकी।

### 2. करदाताओं को विसंगतियों के बारे में सूचित करने एवं संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई में देरी

एसओपी में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार, एएसएमटी-10 को निर्दिष्ट माह के भीतर जारी किया जाना है, जैसा कि उक्त जीएसटीआईएन के रिटर्न की जांच के लिए जांच अनुसूची में उल्लिखित है एवं एएसएमटी-12, जैसा भी मामला हो, करदाता के उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना है, एवं करदाता से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने या उत्तर संतोषजनक

नहीं होने की स्थिति में, एसएमटी-10 जारी होने के 45 दिनों के भीतर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या 74 के तहत कार्रवाई की जानी है।

जिन 113 रेंजों में फाइलें उपलब्ध कराई गईं, उनमें यह पाया गया कि निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया। चयनित किसी भी रेंज में, अनुमोदित संवीक्षा कार्यक्रम लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग्यारह केन्द्रीय कर आयुक्तालयों के 19 रेंजों में 184 मामलों में एसएमटी-10 को 1 से 473 दिनों तक की देरी से जारी किया गया। एक रेंज का उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

i. कोलकाता दक्षिण मध्य कर आयुक्तालय के रेंज V पार्क स्ट्रीट डिवीजन के अंतर्गत दो मामलों में, हालांकि 200 एवं 201 श्रृंखला के तहत क्रमशः मार्च एवं नवंबर 2022 में डीजीएआरएम रिपोर्ट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, संबंधित करदाताओं को सूचना जुलाई 2023 में ही भेजी गई थी। जब नवंबर 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने जांच समयसीमा का पालन करने में देरी को स्वीकार करते हुए कहा (अप्रैल 2025) कि एससीएन समय सीमा के भीतर जारी किया गया था। हालांकि, निर्धारित समय-सीमा के अनुसार जांच प्रक्रिया पूरी करने में देरी चिंता का विषय है। विसंगतियों का समय पर पता लगाने एवं उन्हें सुधारने, राजस्व हितों की सुरक्षा करने तथा अनुपालन प्रवर्तन तंत्र की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए जांच समयसीमा महत्वपूर्ण है। इसलिए, जांच में देरी को केवल इस आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि एससीएन सीमा अवधि के भीतर जारी किया गया था। लेखापरीक्षा समय पर हस्तक्षेप एवं बेहतर अनुपालन परिणाम सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन करने के महत्व को दोहराती है।

सीजीएसटी नियमों के नियम 99 के अनुसार, प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम 15 दिनों का विस्तार (30 दिनों की समय सीमा के अतिरिक्त) प्रदान किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 केन्द्रीय कर आयुक्तालयों के 26 रेंजों में 210 मामलों में, रेंजों ने एसएमटी-10 के उत्तर पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की। तेईस रेंजों में, यह देखा गया कि

करदाताओं ने एसएमटी-11 में अपना उत्तर देने में दो महीने से अधिक समय लिया। एक रेंज का उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

i. पटना-1 केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत दानापुर रेंज में, दो मामलों में जहां एसएमटी-10 सूचना अगस्त 2022 में दी गई थी, करदाता की पहली प्रतिक्रिया मार्च एवं जुलाई 2023 में ही प्राप्त हुई। इसलिए, 2017-18 की अवधि के लिए मांग नोटिस जारी करने की निर्धारित अवधि सितंबर 2023 है, इस अनुचित देरी से रेंज अधिकारी को मामले की जांच करने के लिए केवल दो से छः महीने की समय अवधि प्रदान की गई। जब अक्टूबर 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि इसमें कोई राजस्व निहितार्थ नहीं है, क्योंकि एसएमटी-11 की प्राप्ति में देरी से, जहां भी आवश्यक हो, समय पर नोटिस जारी करने में बाधा नहीं आई। तथापि, उन्होंने भविष्य में अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट कर लिया है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 20 केंद्रीय कर आयुक्तालयों के अंतर्गत 32 रेंजों के 189 मामलों में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या 74 के अंतर्गत मांग नोटिस जारी करने में देरी हुई। एक रेंज का उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

उदयपुर केन्द्रीय कर आयुक्तालय के रेंज VIII के संवीक्षा रजिस्टर से लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 मामलों में, जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के 30 दिनों के भीतर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था, रेंज ने 25 दिनों से 65 दिनों की देरी के बाद सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या 74 के तहत कार्रवाई की थी। जब अगस्त 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने देरी को स्वीकार किया एवं कहा (अप्रैल 2025) कि रेंज कार्यालय ने शुरू में करदाताओं को एससीएन जारी करने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, एससीएन का सहारा लिए बिना जवाब प्रस्तुत करने या बकाया राशि का भुगतान करने के लिए राजी करने की कोशिश की थी। यह आश्वासन दिया गया कि सभी एससीएन निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी किए गए थे एवं कोई राजस्व हानि नहीं हुई तथा भविष्य में अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन को नोट कर लिया गया।

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, 53 रैंजों में, जांच मामलों, एसएमटी-11 एवं एसएमटी-12 के बारे में सूचित करने वाले डीजीएआरएम सूचना पत्रों के अभाव में, देरी का परिमाणन नहीं किया जा सका।

यह देखते हुए कि 2017-18 एवं 2018-19 से संबंधित मामलों में मांग नोटिस जारी करने के लिए क्रमशः सितंबर 2023 एवं जनवरी 2024 तक समय समाप्त हो गया था, ऐसी संभावना थी कि जांच के चरणों में देरी के परिणामस्वरूप जांच प्रक्रिया जल्दबाजी में हुई होगी, जिससे संभवतः कुछ मुद्दों की अनदेखी हो गई होगी, जैसा कि बाद के पैराग्राफों में लाए गए कुछ नमूना जांचे गए मामलों में स्पष्ट है।

### 3. अपूर्ण जांच

चौबीस केन्द्रीय कर आयुक्तालयों के 27 रैंजों में 131 मामलों में, जहां रिटर्न की जांच की गई, रैंजों ने 13 निर्धारित मापदंडों की कुछ जांचों को पूरा नहीं किया था। परिणामस्वरूप, तीन मामलों में जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-2ए के बीच ₹0.39 करोड़ की आईटीसी बेमेल, 25 मामलों में ₹2.74 करोड़ की आईटीसी/अनियमित आईटीसी का गैर-प्रत्यावर्तन, चार मामलों में ₹0.22 करोड़ की कर देयता का कम-उगाही, 45 मामलों में ₹0.64 करोड़ के ब्याज का कम/गैर-भुगतान एवं 54 मामलों में ₹0.34 करोड़ की विलम्ब फीस जैसी विसंगतियां पाई गई, जो कुल मिलाकर 24 आयुक्तालयों में 27 रैंजों के 131 मामलों में ₹4.33 करोड़ थी। कुछ उदाहरणात्मक मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

i. चंडीगढ़ केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत चंडीगढ़ IV डिवीजन की रेंज V में, लेखापरीक्षा ने पांच मामले देखे जहां की गई जांच अपर्याप्त पाई गई। लेखापरीक्षा ने कर देयता के कम निर्धारण के दो मामलों एवं ₹ 0.40 करोड़ के कर प्रभाव वाले अयोग्य आईटीसी के तीन मामलों की पहचान की, जिन्हें निर्धारण में छोड़ दिया गया था। दिसंबर 2023 में इस ओर ध्यान दिलाया गया एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसरण में विभाग ने जुलाई 2024 में सभी मामलों में एससीएन जारी किया। मंत्रालय से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है (अप्रैल 2025)।

ii. लेखापरीक्षा में पाया गया कि रंगारेड्डी केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत शमशाबाद रेंज में एक मामले में एएसएमटी-10 के आदेश पर करदाता ने ₹0.20 करोड़ की अघोषित देनदारी का भुगतान कर दिया। हालाँकि, इस देयता पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। जब अगस्त 2023 में इस ओर ध्यान दिलाया गया तो मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता को ₹0.17 करोड़ की वसूली के लिए डीआरसी-13 जारी किया गया था, जिसे करदाता द्वारा जमा कर दिया गया था।

#### 4. जांच का उचित अनुवर्तन

चार केन्द्रीय कर आयुक्तालयों के अंतर्गत चार रेंजों में 10 मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि बकाया राशि वसूलने के लिए रेंज द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई। इन मामलों में अंतर्निहित कर प्रभाव ₹3.46 करोड़ था। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

i. हल्दिया केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार डिवीजन के रेंज में, पांच मामलों में, हालांकि अक्टूबर 2022, नवंबर 2022 एवं जनवरी 2023 में निर्धारण आदेश जारी किया गया था, बकाया राशि वसूलने के लिए रेंज द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन मामलों में अंतर्निहित कर प्रभाव ₹ 2.98 करोड़ था। जब अक्टूबर 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि दो मामलों में करदाता अनुपालन के बाद एएसएमटी-12 जारी किए गए, जबकि शेष तीन मामलों में ओआईओ जारी किए गए। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी पांच मामलों में कार्रवाई लेखापरीक्षा हस्तक्षेप के बाद ही शुरू की गई थी।

ii. मेंगलोर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत होन्नावारा रेंज में, तीन मामलों में जहां आईटीसी बेमेल एवं देयता बेमेल से संबंधित डीआरसी-01ए<sup>63</sup> जारी किया गया था, जारी होने के छः महीने बाद (सितंबर 2023) तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन मामलों में कुल कर राशि ₹0.39 करोड़ थी। सितंबर 2023 में इस मामले की सूचना रेंज को दी गई। जवाब में रेंज ने कहा कि लेखापरीक्षा अवलोकन के बाद, प्रतिक्रियाओं का अवलोकन किया गया एवं दो

<sup>63</sup> धारा 73(5)/74(5) के अंतर्गत देय कर की सूचना।

मामलों में उत्तर मान्य पाया गया एवं एएसएमटी-12 जारी किया गया एवं एक मामले में ₹ 0.19 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया है (अक्टूबर 2023) एवं मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि इसकी पुष्टि हो गई है।

#### 4.8.3.2 डीजीएआरएम रिपोर्टों का अनुवर्तन

प्रारंभ में, नवंबर 2018 से फरवरी 2019 के महीनों में, वर्ष 2017-18 के विचलन से संबंधित 10<sup>64</sup> डीजीएआरएम रिपोर्ट थीं, जिन्हें बाद में मार्च 2021 के अंत तक बाद के वर्षों के लिए विभिन्न आयामों के आधार पर 37<sup>65</sup> रिपोर्टों तक बढ़ा दिया गया था। एक सौ छियासठ रेंजों के लेखापरीक्षा नमूने में डीजीएआरएम रिपोर्टों के अनुवर्ती लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नलिखित का खुलासा हुआ:

##### 1. अभिलेखों का रखरखाव

डीओआरएफ चरण-1 रिपोर्ट में डीजीएआरएम रिपोर्टों के सत्यापन से संबंधित अभिलेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न करने के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया था एवं यह सिफारिश की गई थी कि रिटर्न की जांच की प्रभावी जोखिम-आधारित प्रणाली के अभाव में, डीजीएआरएम इनपुट सत्यापन का एकमात्र स्रोत होने के कारण, विभाग के प्रदर्शन पर आश्वासन प्रदान करने के लिए ऐसे अभिलेखों तक पहुंच आवश्यक थी। डीओआरएफ चरण-1 रिपोर्ट में रखे गए अभिलेखों की गुणवत्ता के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला गया।

इस लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चयनित 166 रेंजों में से 85 में डीजीएआरएम रिपोर्टों के सत्यापन से संबंधित फाइलों का रखरखाव दोषपूर्ण था, जिसमें या तो संबंधित फाइलें उपलब्ध नहीं थीं या फिर किए गए जांचों एवं जिस आधार पर रेंज अधिकारी अपने निष्कर्ष पर पहुंचे थे, उसे दर्शाने वाले अंतर्निहित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे।

<sup>64</sup> 1,2,3,4,5,6,6ए,7 श्रृंखला,9,10 श्रृंखला

<sup>65</sup> 1,2,3,4,5,6,6ए,7 सीरीज,9,10 सीरीज,11, 12, 13, 14, 15, 15ए, 15बी, 15सी, 15डी, 15ई,15एफ,15जी,15एच,15आई, 15जे,16 सीरीज, 17ए, 17बी, 17सी, 17डी, 18ए-एन,18ओ,18पी,18क्यू,18आर,18एस,19 सीरीज,20 सीरीज,21 सीरीज,22ए,22बी,23,25,26 सीरीज, 27, 29, 29बी,29सी,31,32,33,34 सीरीज,35,36,37

कुछ रैंजों द्वारा अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ खराब अभिलेख रखरखाव को देखते हुए, लेखापरीक्षा डीजीएआरएम रिपोर्टों पर रैंजों द्वारा किए गए सत्यापन की गुणवत्ता एवं सीमा के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी। यह पाया गया कि 166 चयनित रैंजों में से किसी ने भी अपनी जांचों एवं उनके परिणामों की पुष्टि करने के लिए व्यवस्थित रूप से फाइलें नहीं रखी थीं, जैसा कि इन रैंजों द्वारा प्रधान मुख्य आयुक्त (प्र. सीसी) को रिपोर्ट किया गया था। यह विवरण करदाताओं को भेजे गए ई-मेल संचार से लिया गया।

डीओआरएफ चरण। रिपोर्ट के अनुवर्ती के रूप में, लेखापरीक्षा ने रैंज को भेजे गए डीजीएआरएम मामलों पर प्र.सीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की पुष्टि करने का प्रयास किया। यह कार्य दो क्षेत्रों; बेंगलुरु एवं तिरुवनंतपुरम; में किया गया। इन दोनों क्षेत्रों में छः केंद्रीय कर आयुक्तालयों की नौ श्रेणियों में, लेखापरीक्षा ने संबंधित श्रेणियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों एवं प्रधान आयुक्त को दी गई रिपोर्ट में व्यापक विसंगतियां पाईं। विसंगतियां आवंटित, पूर्ण एवं लंबित मामलों की संख्या से लेकर देयता एवं वसूली राशि से संबंधित विसंगतियों तक फैली हुई थीं।

i. बेंगलुरु ज़ोन में, यह देखा गया कि लेखापरीक्षा की गई 10 रैंजों में से 8 रैंजों में आँकड़े मेल नहीं खाते थे। बेंगलुरु पूर्व केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत एईडी-5 एवं एईडी-7 रैंजों में लंबित, पूर्ण एवं वसूली योग्य मामलों की संख्या में भारी अंतर देखा गया। वसूली राशि में विसंगति ₹ 117.66 करोड़ थी एवं लंबित मामलों पर कर प्रभाव ₹ 0.12 करोड़ था। इसी आयुक्तालय के अंतर्गत सीईडी 7 रैंज में, वसूल की गई राशि में लगभग ₹12.26 करोड़ का अंतर था तथा लंबित मामलों में ₹10.49 करोड़ का अंतर था। जब अगस्त 2023 एवं जनवरी 2024 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि स्वीकृत मामलों में कोई कर प्रभाव नहीं था। हालाँकि, तथ्य यह है कि रैंजों ने अपने रिकार्डों का रखरखाव पूरी लगन से नहीं किया।

शेष 81 रैंजों में भी, लेखापरीक्षा टीम को केवल सीमित संख्या में फाइलें उपलब्ध कराई गईं, तथा इन फाइलों में की गई जांचों के संबंध में व्यापक विवरण का अभाव था, तथा केवल परिणाम रिपोर्ट ही उपलब्ध थी। अतः, इस

खंड में लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए अवलोकन पूरी तरह से समीक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई सीमित त्रुटिपूर्ण फाइलों पर आधारित हैं।

## 2. मामलों का अपर्याप्त सत्यापन

चूँकि प्र. सीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों एवं उन पर रेंजों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन के आधार पर, लेखापरीक्षा को पूरी फ़ाइलें उपलब्ध नहीं कराई गईं, इसलिए नौ केंद्रीय कर आयुक्तालयों की 13 रेंजों द्वारा 68 मामलों में की गई जाँच में कुछ विसंगतियाँ पाई गईं। एक रेंज का उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

i. गोवा केंद्रीय कर आयुक्तालय के रेंज I डिवीजन V के तहत एक करदाता के मामले में, जिसे डीजीएआरएम रिपोर्ट संख्या 33/2020<sup>66</sup> दिनांक 27 नवंबर 2020 के तहत रिपोर्ट किया गया था, लेखापरीक्षा ने पाया कि रेंज अधिकारी ने डीजीएआरएम को 'कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं'<sup>67</sup> रिपोर्ट की थी। हालांकि, कर भुगतान के साथ जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-9 देयता की जांच करने पर, यह पाया गया कि 2017-18 की अवधि के लिए ₹ 0.25 करोड़ एवं 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 0.02 करोड़ की अघोषित देयता थी एवं ₹ 0.22 करोड़ की ब्याज देयता थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने नवंबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए आईटीसी का अनियमित लाभ भी देखा क्योंकि संबंधित जीएसटीआर-3बी सितंबर 2019 की कट-ऑफ अवधि के बाद दाखिल किए गए थे। इन जीएसटीआर-3बी के माध्यम से आईटीसी का अनियमित लाभ ₹ 0.32 करोड़ था। जब सितंबर 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि कर एवं ब्याज के कम भुगतान के संबंध में, सितंबर 2023 में मांग नोटिस जारी किया गया था एवं दिसंबर 2023 में निर्णय दिया गया था। आईटीसी के अस्वीकार्य लाभ के संबंध में,

---

<sup>66</sup> पहचाने गए जोखिमपूर्ण निर्यातकों के प्रथम चरण (एल1) या द्वितीय चरण (एल2) आपूर्तिकर्ता।

<sup>67</sup> यदि मामले में जाँच की आवश्यकता नहीं है या मामला अन्य सीजीएसटी क्षेत्राधिकार से संबंधित है या राज्य क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित किया गया है, तो 'कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं' विकल्प चुना जाता है। यदि करदाता द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद मामले में जाँच की आवश्यकता नहीं है, तो 'बिना किसी पहचान/वसूली के कार्रवाई पूरी हो गई' विकल्प चुना जाता है।

एससीएन दिसंबर 2023 में जारी किया गया एवं मार्च 2024 में निर्णय दिया गया।

### 3. चिन्हित मामलों के सत्यापन की पर्याप्तता

2020-21 के अंत तक छः डीजीएआरएम रिपोर्ट, अर्थात् 10 श्रृंखलाओं के तहत रिपोर्ट (जीएसटीआर-3बी के साथ ई-वे बिल में घोषित कर देयता की तुलना), 15 श्रृंखला (स्टॉप फाइलर्स), 18 श्रृंखला (जीएसटीआर-3बी के गैर-फाइलर), 19 श्रृंखला (जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-1 कर देयता में अंतर), 20 श्रृंखला (जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-2ए के बीच आईटीसी बेमेल) एवं 21 श्रृंखला (आईजीएसटी रिफंड का दावा करना एवं जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं करना) को रेड-फ्लैग रिपोर्ट के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें करदाता रिकॉर्ड के विस्तृत सत्यापन की आवश्यकता थी, बिना जांच को केवल बैक-एंड सिस्टम तक सीमित किए। ऐसे चिन्हित मामलों में, रेंज अधिकारियों को ब्याज सहित अंतर कर/क्रेडिट की वसूली सहित सभी प्रक्रियाएं पूरी करनी आवश्यक थीं। अनुपालन न होने की स्थिति में आवश्यक जानकारी मंगाकर तुरंत कार्रवाई की जानी थी। अभिलेख/दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत सम्मन जारी किया जाना था तथा राजस्व की सुरक्षा के लिए जहां भी आवश्यक हो, एससीएन जारी किया जाना था।

संबंधित फाइलें प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा के लिए चयनित 161 रेंजों में चिन्हित मामलों के अनुपालन का सत्यापन नहीं किया जा सका। इसलिए, इन रेंजों में चिन्हित मामलों का सत्यापन पर्याप्त एवं निर्धारित निर्देशों के अनुसार था या नहीं, इस बारे में आश्वासन नहीं मिल सका। केवल चार केंद्रीय कर आयुक्तालयों के अंतर्गत पाँच रेंजों में ही संबंधित फाइलें उपलब्ध कराई गईं। अठारह मामलों में विसंगतियाँ देखी गईं। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

i. राउरकेला केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत जोडा । रेंज में जारी की गई छः रेड फ्लैग रिपोर्टों में से, रिपोर्ट संख्या 18पी<sup>68</sup> से संबंधित एक मामले

<sup>68</sup> बड़े करदाताओं में जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल न करने वाले शामिल हैं।

में, रेंज अधिकारी ने डीजीएआरएम से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, 'कार्रवाई बिना पता लगाए/वसूली के पूरी हो गई' का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट को बंद कर दिया। तथापि, लेखापरीक्षा में कुछ विचलन पाए गए, जैसे कि उन महीनों में जीएसटीआर-3बी दाखिल न करना, जब जीएसटीआर-1 उपलब्ध था, कट-ऑफ अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी पर आईटीसी का लाभ उठाना, जीएसटीआर-3बी के विलंबित दाखिल पर ब्याज का भुगतान न करना, वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 एवं समाधान विवरण जीएसटीआर-9सी दाखिल न करना। कर, ब्याज का भुगतान न करने एवं आईटीसी का अनियमित लाभ उठाने का कुल जोखिम ₹ 1.00 करोड़ था। जब जनवरी 2024 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि नवंबर 2024 में ₹ 1.00 करोड़ के लिए मांग नोटिस जारी किया गया है।

इस प्रकार, पिछले पैराग्राफों में वर्णित विभिन्न मुद्दों के संबंध में, 27 रेंजों में से जहां डीजीएआरएम रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित मुद्दे देखे गए, मंत्रालय/विभाग ने ₹3.33 करोड़ के धन मूल्य से संबंधित 18 रेंजों से संबंधित मुद्दों को स्वीकार किया, जिनमें से एक रेंज ने ₹0.11 करोड़ की अंतर्निहित कर राशि भी वसूल की। शेष नौ रेंजों से उत्तर की प्रतीक्षा/खंडन किया गया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पूर्व में, सीएजी की 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 5 के पैराग्राफ 3.3 में, यह पाया था कि डीजीएआरएम रिपोर्टों पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई को आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय (डीडीएम) पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा था और इन रिपोर्टों पर क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई विस्तृत कार्रवाई मैनुअल/ऑफलाइन की जा रही थी। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने पारदर्शिता और प्रभावी वास्तविक समय निगरानी को सुगम बनाने के लिए इन कार्यों का संपूर्ण स्वचालन करने की अनुशंसा की।

#### **अनुशंसाएँ**

6) पूर्ववर्ती सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2022 की संख्या 5) में निहित निम्नलिखित सिफारिशों को दोहराया जाता है:

**क.** डीजीएआरएम रिपोर्ट से संबंधित अनुवर्ती गतिविधियों के संपूर्ण सेट का वर्कफ़्लो स्वचालन बैक-एंड सिस्टम के एक भाग के रूप में किया जा सकता है।

मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि सीबीआईसी जून 2024 में जीएसटीएन बीओ में स्थानांतरित हो जाएगा। जीएसटीएन ने स्पष्ट किया (अप्रैल 2025) कि डीजीएआरएम रिपोर्ट से संबंधित अनुवर्ती गतिविधियों के संपूर्ण सेट के स्वचालन की न तो योजना है एवं न ही इस पर विचार किया जा रहा है। जीएसटीएन बैक-एंड प्रणाली केवल इस सीमा तक स्वचालित है कि करदाताओं के साथ सभी कार्य एवं संचार सामान्य पोर्टल के माध्यम से होते हैं। एमआईएस रिपोर्ट, अनुपालन की निगरानी में सीबीआईसी सहित कर प्रशासन की सहायता के लिए उपलब्ध हैं। तथापि, लेखापरीक्षा का मत है कि डीजीएआरएम रिपोर्टों को अधिक प्रभावी बनाने तथा उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कार्यप्रवाह के स्वचालन पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

**ख.** विभाग डीजीएआरएम रिपोर्ट एवं डीजीएआरएम रिपोर्ट के सत्यापन से संबंधित रिकॉर्ड/फाइलें लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि लेखापरीक्षा की सिफारिश को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अप्रैल 2025 में लेखापरीक्षा द्वारा मांगी गई रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड/फाइलें प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7) विभाग डीजीएआरएम जोखिमों के अनुपालन की निगरानी में सुधार कर सकता है, ताकि आंकड़ों के संदर्भ में राजस्व का पता न लग पाने या उसका अनुसरण न किए जाने की संभावना को समाप्त किया जा सके तथा साथ ही जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूना जांच मामलों की समीक्षा भी की जा सके।

मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि डीजीएआरएम रिपोर्टों के रखरखाव के लिए एक एसओपी जीएसटी जांच विंग द्वारा अक्टूबर 2023 में पहले ही जारी किया जा चुका है, जिसमें डीजीएआरएम रिपोर्टों पर कार्रवाई पूरी करने के

लिए अधिकारियों के लिए स्पष्ट समयसीमा एवं जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया है, जिससे निगरानी एवं अनुवर्ती गतिविधियों में सुधार होगा।

तथापि, लेखापरीक्षा का मत है कि डीजीएआरएम रिपोर्टों को अधिक प्रभावी बनाने तथा उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कार्यप्रवाह के स्वचालन पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

#### 4.8.3.3 अन्य निरीक्षण कार्य-पंजीकरण रद्द करना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 को सीजीएसटी नियमों के नियम 20 के साथ पढ़ने पर करदाता द्वारा कुछ स्थितियों में पंजीकरण रद्द करने की अनुमति मिलती है, जैसे व्यवसाय बंद होना, पंजीकरण के लिए आवर्त सीमा से नीचे आना, व्यवसाय का हस्तांतरण/विलय/समामेलन, पैन में परिवर्तन, निर्धारित समय अवधि के भीतर व्यवसाय शुरू न करना एवं मालिक की मृत्यु। पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले करदाता को 'रद्द करने की आवश्यकता वाली घटना' के 30 दिनों की अवधि के भीतर जीएसटी सामान्य पोर्टल पर आरईजी-16<sup>69</sup> में आवेदन करना चाहिए।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29(2) करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमों का उल्लंघन करने, संयोजन करदाताओं द्वारा लगातार तीन कर अवधियों<sup>70</sup> के लिए रिटर्न दाखिल नहीं करने, सामान्य करदाताओं द्वारा लगातार छः महीने की अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं करने, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण की तारीख से छः महीने के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं करने एवं धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने के माध्यम से प्राप्त पंजीकरण के आधार पर कर अधिकारी द्वारा करदाता के पंजीकरण को स्वतः रद्द करने की अनुमति देती है।

सीजीएसटी नियमों के नियम 10ए के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति को यथाशीघ्र, परंतु पंजीकरण प्राप्त होने की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर या धारा 39 के अंतर्गत अपेक्षित रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि से, जो भी पहले हो, बैंक

<sup>69</sup> पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन (सीजीएसटी नियमों का नियम 20)

<sup>70</sup> 1 अक्टूबर 2022 से, उक्त रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन महीने से अधिक समय के बाद किसी वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न।

खाते के विवरण के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी होगी। पैंतालीस दिनों के भीतर बैंक विवरण उपलब्ध न कराने पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 45 के अनुसार (क) इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या (ख) संयोजन कर योग्य व्यक्ति (धारा 10) या (ग) धारा 52 - टीसीएस के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति या धारा 51 - टीडीएस के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, को रद्दीकरण की प्रभावी तिथि या रद्दीकरण के आदेश की तिथि, जो भी बाद में हो, के तीन महीने के भीतर जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न दाखिल करना होगा। अंतिम रिटर्न का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता बकाया देयता का भुगतान कर दे। जीएसटीआर-10 दाखिल न करने की स्थिति में, कर अधिकारी द्वारा किसी भी रिटर्न दाखिल न करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ही पालन किया जाना चाहिए।

निरस्तीकरण कार्य के मूल्यांकन के लिए चयनित 166 रेंजों में से, 44 केन्द्रीय कर आयुक्तालयों में 78 रेंजों (47 प्रतिशत) ने उनके द्वारा देखे गए निरस्तीकरण मामलों से संबंधित आवश्यक रिपोर्ट/फाइलें नहीं रखीं। चौवालीस केन्द्रीय कर आयुक्तालयों में स्थित इन 78 रेंजों में, बैंक-एंड पोर्टल पर भी संबंधित रिपोर्टों के रखरखाव/अनुपलब्धता के अभाव के कारण, रद्दीकरण मामलों के संबंध में रेंज द्वारा की गई उचित कार्रवाई के बारे में लेखापरीक्षा कोई आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी। इसलिए, ये अवलोकन केवल उन 88 रेंजों तक सीमित हैं जिन्होंने लेखापरीक्षा को आवश्यक रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीबीआईसी की बैंक-एंड प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कर अधिकारी उन करदाताओं की पहचान कर सकें जिन्होंने अपेक्षित बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है तथा रद्दीकरण की कार्यवाही शुरू कर सकें। लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 रेंजों में, रद्द किए जाने योग्य पंजीकरण रद्द नहीं किए गए एवं दो रेंजों में, निर्धारित नियमों का पालन किए बिना, पूर्वव्यापी प्रभाव से पंजीकरण रद्द कर दिए गए। पच्चीस केन्द्रीय कर आयुक्तालयों में 46 रेंजों में रद्दीकरण में देरी देखी गई। इसके

अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने 44 केन्द्रीय कर आयुक्तालयों में 68 रैंजों में जीएसटीआर-10 दाखिल करने की निगरानी में अनुपालन संबंधी कमियां देखीं। जब पंजीकरण रद्द करने से संबंधित मुद्दा उठाया गया (अक्टूबर 2024), तो मंत्रालय/विभाग ने 81 मामलों में मुद्दों को स्वीकार कर लिया।

### 1. सभी मामलों में कार्रवाई शुरू नहीं की गई

लेखापरीक्षा ने पाया कि सात केंद्रीय कर आयुक्तालयों के अंतर्गत 12 रैंजों के 132 मामलों में करदाताओं के पंजीकरण रद्द किए जाने योग्य थे, लेकिन रद्द नहीं किए गए। कुछ उदाहरणात्मक मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. कोच्चि केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत कक्कनाड 1 रैंज में, लेखापरीक्षा ने 14 मामलों में पाया कि करदाताओं ने सात से 32 महीने तक रिटर्न दाखिल करने में चूक की थी। हालाँकि, इनमें से किसी भी मामले में न तो जीएसटीआर-3ए जारी किए गए एवं न ही उनके पंजीकरण रद्द करने के लिए कोई कदम उठाया गया। जब दिसंबर 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि रैंज ने नवंबर 2024 में सभी 14 करदाताओं के खिलाफ आरईजी-17 के रूप में स्वतः रद्दीकरण कार्यवाही शुरू कर दी थी, एवं बाद में, सभी करदाताओं के पंजीकरण रद्द कर दिए गए थे।

ii. लेखापरीक्षा ने बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध 'कारणवार निरस्तीकरण' रिपोर्ट एवं अप्रत्यक्ष कराधान में उन्नत विश्लेषण (एडीवीएआईटी) रिपोर्ट से निकाले गए करदाताओं के पंजीकरण को स्वतः निरस्त करने के आंकड़ों की जांच की। तदनुसार, लेखापरीक्षा ने बैंक खाता विवरण प्रस्तुत न करने के कारण रिपोर्ट निकाली एवं तीन श्रेणियों के अंतर्गत 63 मामलों में पाया कि करदाताओं ने अभी तक अपने बैंक खाते का विवरण प्रदान नहीं किया है, ये श्रेणियां हैं - बेंगलुरु उत्तर मध्य कर आयुक्तालय के अंतर्गत ईएनडी-1 श्रेणी, मैंगलोर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत होन्नावारा श्रेणी एवं बेंगलुरु पूर्व मध्य कर आयुक्तालय के अंतर्गत एईडी-5 श्रेणी। इसके बावजूद, रैंज द्वारा इन विवरणों को एकत्र करने या उनके पंजीकरण रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब सितंबर 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि ईएनडी-1 रैंज में, 15 मामलों में से 12

करदाताओं ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट कर दिया था एवं शेष तीन करदाताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। होन्नावारा रेंज में 30 मामलों में से 15 करदाताओं ने अपने जीएसटीआईएन में बैंक विवरण जोड़ दिया है। नौ मामलों में, जीएसटीआईएन में बैंक विवरण न जोड़े जाने के कारण जीएसटीआईएन रद्द कर दिए गए। शेष छः मामलों में, करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रद्दीकरण आवेदन के आधार पर जीएसटीआईएन को रद्द/निलंबित कर दिया गया। एईडी-5 रेंज में, 18 मामलों में से 14 करदाताओं ने जीएसटीआईएन जोड़कर अपने बैंक खाते को मान्य किया है। तीन मामलों में, जीएसटीआईएन में बैंक विवरण न जोड़े जाने के कारण जीएसटीआईएन रद्द कर दिया गया। एक मामले में, जीएसटीआईएन निलंबित कर दिया गया है।

लेखापरीक्षा को एडीवीएआईटी रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण अन्य रेंजों में उपरोक्त जांच नहीं की जा सकी।

इसके अलावा, रद्दीकरण की आवश्यकता वाले अनियमितताओं के मामलों को उजागर करने वाली आवश्यक रिपोर्टों की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा 166 नमूना श्रेणियों में से किसी में भी यह पता नहीं लगा सकी कि क्या रद्दीकरण की आवश्यकता वाले सभी मामलों पर कार्रवाई की गई थी, जैसे कि रिटर्न दाखिल न करना, व्यवसाय शुरू न करना, गलत पंजीकरण, या अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले, जिसमें जीएसटीआर-3बी एवं जीएसटीआर-2बी के बीच आईटीसी बेमेल शामिल हैं।

## 2. निगरानी तंत्र

सीजीएसटी नियमों के नियम 22(3) में यह प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति जिसने अपने पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन (आरईजी-16) प्रस्तुत किया है, अब पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो उचित अधिकारी उसके द्वारा निर्धारित तिथि से पंजीकरण को रद्द कर देगा एवं कर योग्य व्यक्ति को सूचित करेगा, जिसमें उसे धारा 29 की उप-धारा (5) के तहत भुगतान की जाने वाली राशि सहित किसी भी कर, ब्याज या जुर्माने के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा। विभाग ने सीबीआईसी द्वारा जारी एसओपी के तहत दिनांक 26 अक्टूबर 2018 को परिपत्र संख्या

69/43/2018-जीएसटी के तहत यह निर्धारित किया है कि किसी भी मामले में प्रभावी तिथि आवेदन की तिथि से पहले की तिथि नहीं होनी चाहिए।

स्वतः निरस्तीकरण के संबंध में, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 (2) के अनुसार, समुचित अधिकारी किसी व्यक्ति का जीएसटी पंजीकरण ऐसी तारीख से, जिसमें कोई पूर्वव्यापी तारीख भी शामिल है, रद्द कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, यदि उक्त उप-धारा में उल्लिखित परिस्थितियां संतुष्ट हों।

सामान्यतः पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन को सक्षम अधिकारी द्वारा तुरंत स्वीकार कर लिया जाना चाहिए एवं रद्द करने का आदेश फॉर्म जीएसटीआरईजी-19<sup>71</sup> में जारी किया जाना चाहिए, जिसमें रद्द करने की प्रभावी तिथि वही होगी जिस तिथि से आवेदक ने फॉर्म जीएसटीआरईजी-16 में रद्द करने की मांग की थी।

अधिकांश लेखापरीक्षित रेंजों में, संबंधित फाइलों या एमआईएस रिपोर्टों के अभाव के कारण इन सुरक्षा उपायों का सत्यापन संभव नहीं हो सका। केवल कोलकाता दक्षिण एवं मुंबई सेंट्रल केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत दो रेंजों में, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई संबंधित रिपोर्टों के कारण यह जाँच संभव हो पाई एवं यह पाया गया कि पंजीकरण पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द कर दिए गए थे। एक रेंज का उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

- i. कोलकाता-दक्षिण मध्य कर आयुक्तालय के अंतर्गत श्रेणी V के सात मामलों में, यह देखा गया कि स्वतः संज्ञान से किए गए निरस्तीकरण के पांच मामलों में, करदाताओं के पंजीकरण को पूर्व अवधि से मनमाने ढंग से रद्द कर दिया गया था, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि करदाताओं ने बाद की अवधि के लिए अपने रिटर्न दाखिल किए थे। शेष दो मामलों में भी, जहां करदाताओं के अनुरोध पर पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, यह देखा गया कि पंजीकरण पूर्वव्यापी रूप से रद्द कर दिया गया था, हालांकि करदाता ने बाद की अवधि के लिए रिटर्न दाखिल किया था। यद्यपि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 (2) उचित अधिकारी को किसी भी तिथि से

---

<sup>71</sup> यदि समुचित अधिकारी को लगता है कि पंजीकृत करदाता अब जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत होने के योग्य नहीं है, तो वह जीएसटी पंजीकरण रद्द करने के लिए जीएसटी आरईजी-19 जारी कर सकता है। (सीजीएसटी नियमों का नियम 22(3))।

पंजीकरण रद्द करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है, जिसमें पूर्वव्यापी प्रभाव भी शामिल है; इस विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे प्राप्तकर्ताओं द्वारा आईटीसी प्राप्त करने पर प्रभाव पड़ता है। जब नवंबर 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण, करदाता अपने पंजीकरण रद्द होने के बाद भी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम थे। ऐसी तकनीकी गड़बड़ियों को देखते हुए, सुरक्षा उपाय करना अनिवार्य है, ताकि रद्द किए गए करदाताओं द्वारा दी गई आईटीसी का दुरुपयोग न हो।

### 3. स्वतः रद्दीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29(2) के अनुसार, करदाता को एससीएन जारी किए बिना जीएसटी पंजीकरण को स्वतः रद्द नहीं किया जा सकता है एवं करदाता को कर अधिकारी द्वारा सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाता है। जैसा कि पहले बताया गया है, बैक-एंड पोर्टल में रेंज अधिकारी के डैशबोर्ड में आरईजी-17 पर अपेक्षित एमआईएस रिपोर्ट, आरईजी -17 जारी करने की केस-वार तारीख, आरईजी-19/20 जारी करने जैसी आगे की कार्रवाई आदि का विवरण उपलब्ध न होने के कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं थी कि सभी स्वतः संज्ञान मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं एवं चयनित रेंजों में से किसी में भी आरईजी-17 के मुद्दे एवं उचित निपटान को सत्यापित किया गया था या नहीं।

### 4. निरस्तीकरण में विलंब

आरईजी-19 में निरस्तीकरण आदेश आवेदन की तिथि (करदाता अनुरोध) से 30 दिनों के भीतर या स्वतः निरस्तीकरण के मामले में आरईजी-17 के उत्तर की तिथि से जारी किया जाना चाहिए। सीबीआईसी ने अपने परिपत्र संख्या 20/16/34/2019 जीएसटी/802/ दिनांक 24 मई 2021 के माध्यम से, पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया में देरी के मामलों पर सीएजी के अवलोकनों का हवाला देते हुए, विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से प्रावधानों का ईमानदारी से पालन करने के लिए दोहराया है। परिपत्र में कानूनी प्रावधान पर विचार किया गया है, जिसमें आवेदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण रद्द करने के आवेदन के संबंध में आदेश पारित करने का प्रावधान

है, एवं परिपत्र संख्या 69/43/2018-जीएसटी दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण में दोहराया गया है कि चूंकि पंजीकरण रद्द करने से रद्द करने की तिथि से पहले या बाद में किए गए किसी भी कार्य/चूक के लिए करदाता की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए समुचित अधिकारी को किसी भी देरी से बचने के लिए निर्धारित समय के भीतर निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 25 आयुक्तालयों की 88 रेंजों में से 46 रेंजों में से 3,022 मामलों में पंजीकरण रद्द करने में देरी हुई। एक रेंज का उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

i. देहरादून केन्द्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत रेंज-V ने 1,245 पंजीकरण रद्द कर दिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि रद्दीकरण के 622 मामलों (करदाताओं के अनुरोध पर) में से, 378 करदाताओं के पंजीकरण रद्दीकरण को पंजीकरण रद्दीकरण के लिए आवेदन की तारीख से एक से 227 दिनों तक की देरी के साथ मंजूरी दी गई थी। इसी प्रकार, शेष 623 मामलों में, जो स्वतः संज्ञान रद्दीकरण से संबंधित हैं, 511 करदाताओं के रद्दीकरण को एससीएन के उत्तर की तारीख से एक से 67 दिनों तक की देरी के साथ या एससीएन जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने की स्थिति में मंजूरी दी गई। यह मुद्दा अक्टूबर 2023 में उठाया गया था एवं इस मामले में मंत्रालय का जवाब (अप्रैल 2025) प्रतीक्षित था, लेकिन रद्दीकरण में देरी के कुछ अन्य मामलों में, मंत्रालय ने जवाब दिया कि देरी कोविड-19 महामारी एवं सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई थी।

##### **5. जीएसटीआर-10 दाखिल न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 45 के अनुसार, अंतिम रिटर्न जीएसटीआर-10, रद्दीकरण की प्रभावी तिथि या रद्दीकरण के आदेश की तिथि, जो भी बाद में हो, के तीन महीने के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। जिन करदाताओं का पंजीकरण 30 सितंबर 2018 को या उससे पहले रद्द कर दिया गया है, उनके लिए जीएसटीआर-10 प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2018 की अधिसूचना संख्या 58/2018-केन्द्रीय कर के तहत 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ा दी गई थी।

सीजीएसटी नियमों के नियम 68 के अनुसार एवं जैसा कि 24 दिसंबर 2019 के परिपत्र संख्या 129/48/2019-जीएसटी में निर्धारित है, जीएसटीआर-3ए करदाता को जारी किया जाना है, जहां जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं किया गया है। यदि करदाता नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अंतिम रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो धारा 29 की उप-धारा (5) के तहत करदाता की देयता निर्धारित करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 62 के तहत फॉर्म एसएमटी-13 में सीजीएसटी नियमों के नियम 100 के साथ एक निर्धारण आदेश जारी करना होगा। यदि करदाता आदेश एसएमटी-13 जारी होने के 30 दिनों के भीतर अंतिम रिटर्न दाखिल करता है, तो उक्त आदेश वापस लिया गया माना जाएगा। हालाँकि, ब्याज एवं विलंब शुल्क के भुगतान की देयता जारी रहेगी। यदि आदेश एसएमटी-13 जारी होने की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर उक्त रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो समुचित अधिकारी धारा 78 के तहत कार्यवाही एवं सीजीएसटी अधिनियम की धारा 79 के तहत वसूली शुरू कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने 44 केंद्रीय कर आयुक्तालयों में 88 रेंजों में से 68 रेंजों में 10,149 मामलों में जीएसटीआर-10 दाखिल करने में अनुपालन संबंधी कमियाँ पाईं। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

i. पटना-1 केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत गया रेंज में, 2020-21 के दौरान रद्द किए गए 1,135 मामलों (स्वतः संज्ञान-728, करदाता के अनुरोध पर-407) में से किसी भी मामले में जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद जीएसटीआर-10 दाखिल करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब अगस्त 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि मामलों की बड़ी संख्या एवं सीमित श्रमबल के कारण, सभी जीएसटीआईएन को व्यक्तिगत नोटिस जारी करना संभव नहीं था। यद्यपि सभी जीएसटीआईएन रद्द कर दिए गए हैं, फिर भी कई करदाताओं का पता नहीं चल पाया है या वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। पंजीकृत मोबाइल नंबरों के माध्यम से उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कई नंबर अमान्य थे या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। विशाल भौगोलिक क्षेत्राधिकार एवं मौजूदा कार्यभार को देखते हुए, सभी मामलों का भौतिक सत्यापन संभव नहीं था। हालाँकि मंत्रालय ने गया क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी संख्या में जीएसटीआईएन के प्रबंधन में श्रमबल की कमी एवं तार्किक चुनौतियों का

हवाला दिया है, लेकिन यह स्थिति करदाता संचार, निगरानी एवं अनुपालन सत्यापन प्रक्रियाओं में स्वचालन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है।

ii. पटना II केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत पूर्णिया रेंज में, 2020-21 के दौरान 826 रद्दीकरण मामलों (स्वतः संज्ञान-236, करदाता द्वारा रद्दीकरण-590) में से किसी में भी करदाताओं द्वारा जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं किया गया। जब सितंबर 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि 105 करदाताओं को पत्र जारी किए जा चुके हैं एवं शेष 721 के लिए पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

iii. इसी प्रकार, पटना I केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत दानापुर रेंज में 2020-21 के दौरान 555 निरस्तीकरण मामलों (स्वतः-327, करदाता द्वारा निरस्तीकरण-228) में से किसी में भी जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं किया गया। जब अक्टूबर 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि फाइल न करने वालों की सूची की रेंज द्वारा जाँच की गई एवं पाया गया कि अधिकांश मामलों में ऐसे करदाता शामिल थे जिनके पंजीकरण या तो स्वतः निरस्त हुए या अनिवार्यतः जीएसटीआर-10 दाखिल किए बिना स्वेच्छा से रद्द किए थे। कुछ करदाताओं ने औपचारिक समापन प्रक्रिया पूरी किए बिना ही बंद कर दिया होगा। जो कठिनाइयाँ देखी गईं उनमें करदाताओं का पता न लग पाना, नोटिसों का जवाब न देना एवं जीएसटीआर-10 दाखिल करने की बाध्यता के बारे में अनभिज्ञ होने दावे शामिल थे। संभागीय कार्यालय द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबरों एवं ईमेल के माध्यम से करदाताओं से संपर्क करने का प्रयास किया गया एवं उनसे अनुपालन करने का अनुरोध किया गया। जैसा कि पहले कहा गया है, इससे जीएसटीआर-10 के लिए जीएसटीआर-3ए जारी करने की प्रक्रिया को भी स्वचालित करने की आवश्यकता का पता चलता है।

iv. बेंगलुरु पूर्व केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत एएसडी-5 रेंज में, 2018-19 से 2020-21 तक 235 निरस्तीकरण मामलों में से किसी में भी, जुलाई 2023 तक जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं किया गया। जीएसटीआर-10 दाखिल करने के संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई शुरू नहीं की गई। जब जुलाई 2023 में इस ओर ध्यान दिलाया गया, तो रेंज अधीक्षक ने उत्तर दिया

(जुलाई 2023 एवं अक्टूबर 2023) कि पूरी प्रक्रिया प्रणाली-आधारित थी एवं दाखिल किए गए जीएसटीआर-10 का विवरण बैक-एंड प्रणाली में कर अधिकारियों के डैशबोर्ड में दर्ज नहीं किया जाता है। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जीएसटीआर-10 दाखिल न करने पर जीएसटीआर-3ए जारी करना अभी भी स्वचालित नहीं हुआ। जब अक्टूबर 2023 में इसकी सूचना दी गई, तो मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए जीएसटीआर-10 न भरने वालों की स्थिति का सत्यापन करने पर, रेंज ने पाया कि 35 करदाताओं ने जीएसटीआर-10 विवरण दाखिल किया है। शेष मामलों के संबंध में, जीएसटीआर-10 फाइल न करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं।

v. बेंगलुरु उत्तर मध्य कर आयुक्तालय के अंतर्गत ईएनडी-1 रेंज द्वारा नवंबर 2023 में जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं किए जाने के बावजूद पंजीकरण रद्द न करने पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ प्राप्त होने के बाद, उन्होंने उन सभी 63 मामलों में जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी किए, जहां जीएसटीआर-10 अभी तक दाखिल नहीं किए थे (अप्रैल 2025)।

सभी चयनित रेंज में, रेंज अधिकारी ने बताया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जीएसटीआर-10 दाखिल करने पर नज़र रखने के लिए उनके पास कोई जानकारी/रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। ऐसी व्यवस्था के अभाव में, रेंज द्वारा कोई वसूली कार्यवाही शुरू नहीं की गई।

**अनुशंसाएँ: डीओआरएफ चरण । प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाएँ नीचे दोहराई गई हैं:**

**8) विभाग रेंज में निगरानी तंत्र को मजबूत करे तथा यह सुनिश्चित करे कि पंजीकरण रद्द करने, निलंबित करने, एससीएन जारी करने तथा वसूली की प्रक्रियाओं में समुचित सावधानी बरती जाए।**

मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि सीजीएसटी नियमों के नियम 68 के अनुसार, फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस उन पंजीकृत करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाता है जो नियत तारीख के भीतर फॉर्म जीएसटीआर-3बी या कोई अन्य रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे हैं। विभाग

ने (अप्रैल 2023) क्षेत्रीय संरचनाओं से अनुरोध किया कि वे अन्य बातों के साथ-साथ निरस्तीकरण, पंजीकरण के निलंबन, एससीएन जारी करने एवं वसूली की प्रक्रियाओं में बरती जाने वाली उचित सावधानी के संबंध में जीएसटी भुगतान एवं रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर अपनी मसौदा प्रतिवेदन में सीएजी की अनुशंसाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

उन्होंने (नवंबर 2024) क्षेत्रीय कार्यालयों को पुनः निर्देश दिया कि वे पंजीकरण रद्द करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम एवं सीजीएसटी नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करें ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित हो सके।

लेखापरीक्षा उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देती है कि निर्धारित प्रक्रियाओं का लगातार एवं प्रभावी ढंग से पालन किया जाए।

9) विभाग पंजीकरण मॉड्यूल के अंतर्गत निरस्तीकरण कार्यप्रवाह में अपेक्षित सत्यापन नियंत्रण एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदनविशेषताएँ जोड़ सकता है, ताकि रेंज अधिकारियों को लंबित निरस्तीकरण आवेदनों की निगरानी करने, करदाताओं के अनुरोध पर पंजीकरण को निलंबित करने एवं आवेदन की तारीख एवं आरईजी-17 नोटिस जारी करने की तारीख से स्वतः निरस्तीकरण की सुविधा मिल सके एवं आवेदन की तारीख से पहले निरस्तीकरण की रोकथाम सुनिश्चित हो सके।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि सीबीआईसी-एसीईएस का जीएसटी एप्लिकेशन के बैक-एंड संचालन जून 2024 से जीएसटीएन बीओ में पोर्ट कर दिए गए हैं। जीएसटीएन ने बताया (अप्रैल 2025) कि पंजीकरण निरस्तीकरण (स्वतः एवं आवेदन पर) के लंबित मामलों के साथ-साथ करदाताओं के निलंबन की निगरानी के लिए एमआईएस प्रतिवेदन जीएसटीएन बीओ में पहले से ही उपलब्ध हैं। इस संबंध में एमआईएस प्रतिवेदन आरईजी 1.07, आरईजी 1.08, आरईजी 1.09, आरईजी 1.18, आरईजी 1.19 उपलब्ध हैं।

#### 4.8.4 जीएसटी रिटर्न में विसंगतियां-केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2018-19 से 2020-21 तक के जीएसटी रिटर्न आंकड़ों का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटी रिटर्न के बीच नियम-आधारित विचलन एवं तार्किक विसंगतियों की पहचान 18 मानदंडों के आधार पर की गई, जिन्हें मुख्य रूप से दो क्षेत्रों - आईटीसी एवं कर भुगतान - में वर्गीकृत किया जा सकता है।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए 10,124 विचलनों का एक नमूना लिया गया एवं 8,106 विचलनों में विभाग की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से लेखापरीक्षा द्वारा 2,519 मामलों में वैधानिक प्रावधानों से अनुपालन विचलन देखा गया, जिसमें ₹ 21,695.11<sup>72</sup> करोड़ की राशि शामिल थी, जोकि 31 प्रतिशत विसंगतियां/बेमेल आंकड़ें दर्शाती है, जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रियाएं प्रदान कीं। जोखिम मापदंडों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई जैसे ब्याज का कम भुगतान, जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं करना लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल करना, निश्चित समय-सीमा अवधि के बाद दाखिल जीएसटीआर-3बी पर आईटीसी का लाभ उठाना, आईटीसी बेमेल होना, अनुत्तरित देयता, आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान किए बिना आईटीसी पारित करना, आरसीएम के तहत कर का कम भुगतान एवं अतिरिक्त आईएसडी क्रेडिट।

पाँच हजार पाँच सौ चौवन मामलों में, जो प्राप्त प्रतिक्रियाओं का 69 प्रतिशत था, विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य था, जैसा कि प्रतिक्रिया में करदाताओं द्वारा आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों के बारे में बताया गया जिनमें से 523 मामले थे, एवं विभाग ने पहले ही 1,819 मामलों में सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी एवं 3,212 मामलों में अन्य वैध स्पष्टीकरण थे।

पन्द्रह निर्धारित जीएसटी रिटर्न<sup>73</sup> में से, सामान्य करदाताओं पर लागू निम्नलिखित मूल रिटर्न पर जीएसटी रिटर्न/आँकड़ों के बीच विचलन, विसंगतियों एवं बेमेल की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया:

<sup>72</sup> आवर्त से संबंधित विचलन; डी12, डी13 और डी14 केवल उस सीमा तक लिए गए हैं जहां कर विभाग द्वारा निर्धारित किया था।

<sup>73</sup> (i) जीएसटीआर-1, (ii) जीएसटीआर-2ए, (iii) जीएसटीआर-2बी, (iv) जीएसटीआर-3बी, (v) जीएसटीआर-4 (कंपोजिशन योजना के तहत करदाता), (vi) जीएसटीआर-5 (अनिवासी कर

- जीएसटीआर-1: सभी सामान्य एवं आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्न, जो माल एवं सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करते हैं एवं इसमें माल एवं सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण होता है।
- जीएसटीआर-3बी: करदाताओं द्वारा कर भुगतान सहित, बाहरी आपूर्ति एवं दावा किए गए आईटीसी का मासिक सारांश रिटर्न, अधिनियम की धारा 39(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर, सभी करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाना है। यह वह रिटर्न है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट एवं डेबिट तथा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट दर्ज करता है।
- जीएसटीआर-6: आगत सेवा वितरक के लिए मासिक विवरण जिसमें उनके वितरित आईटीसी एवं आवक आपूर्ति का रिटर्न दिया जाता है।
- जीएसटीआर-8: ई-कॉमर्स संचालकों द्वारा दाखिल किया जाने वाला मासिक रिटर्न, जिन्हें जीएसटी के तहत टीसीएस कटौती करना आवश्यक है, अक्टूबर 2018 में शुरू किया गया।
- जीएसटीआर-9: आईएसडी, टीडीएस कटौती /टीसीएस कटौतीकर्ताओं, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति एवं अनिवासी करदाता (एनआरटीपी) को छोड़कर सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर मदों (सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी) के अंतर्गत की गई एवं प्राप्त सभी आपूर्तियों का विवरण, साथ ही उनके आवर्त एवं लेखापरीक्षा विवरण शामिल होते हैं।

---

योग्य व्यक्ति), (vii) जीएसटीआर-5ए (अनिवासी ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति (ओआईडीएआर) सेवा प्रदाता), (viii) जीएसटीआर-6 (आईएसडी), (ix) जीएसटीआर-7 (टीडीएस काटने वाले करदाता), (x) जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स संचालक), (xi) जीएसटीआर-9 (वार्षिक विवरण), (xii) जीएसटीआर-10 (अंतिम विवरण), (xiii) जीएसटीआर-11 (विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) रखने वाला व्यक्ति और प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति), (xiv) सीएमपी-08, और (xv) आईटीसी-04 (किसी प्रिंसिपल/जॉब वर्कर द्वारा किसी को भेजे गए/से प्राप्त माल के विवरण के बारे में दाखिल किया जाने वाला विवरण जॉब वर्कर)।

- जीएसटीआर-9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹5 करोड़ से अधिक का आवर्त करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा फॉर्म। यह मूल रूप से जीएसटीआर-9 में दाखिल वार्षिक रिटर्न एवं करदाता के लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक समाधान विवरण है।
- जीएसटीआर-2ए: प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक प्रणाली-जनित रिटर्न है। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के सभी व्यापार-से-व्यापार (बी2बी) लेन-देन का विवरण शामिल होता है, जो उनके फॉर्म जीएसटीआर-1/5 में घोषित किए जाते हैं, जीएसटीआर-6 से आईएसडी, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-7 एवं जीएसटीआर-8 से विवरण, एवं भारतीय सीमा प्रभार के भारतीय सीमा प्रभार इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईगेट) पोर्टल से प्राप्त प्रवेश विपत्र पर विदेशों से माल के आयात का विवरण शामिल होता है।
- जीएसटीआर-2बी: यह नियमित करदाताओं (चाहे उन्होंने त्रैमासिक रिटर्न एवं मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना में शामिल होने का विकल्प चुना हो या नहीं) के लिए माल एवं जीएसटी शुरू किया गया एक मास-वार स्वचालित रूप से तैयार किया गया रिटर्न है, जो प्रत्येक माह के लिए पात्र एवं अपात्र आगत कर क्रेडिट प्रदान करता है। यह रिटर्न जीएसटीआर-2ए के समान है, लेकिन एक निश्चित अवधि के लिए स्थिर या अपरिवर्तित रहता है। यह रिटर्न अगस्त 2020 की कर अवधि से शुरू किया गया।

चिन्हित मापदंडों पर किए गए आँकड़ा विश्लेषण एवं उसके प्रभाव का विवरण तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3: किए गए आँकड़ा विश्लेषण का विवरण

लेखापरीक्षा दिशानिर्देश <sup>74</sup>	प्रयुक्त एल्गोरिथम	जोखिम मानदंड
<b>कार्यक्षेत्र: आईटीसी</b>		
डी1	जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना, इसके सभी संशोधनों के साथ, तालिका 4ए (5) में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी (घरेलू आपूर्ति पर उपार्जित) के साथ की गई, जिसमें तालिका 4बी (2) में रिवर्सल को छोड़कर, लेकिन जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी से आगामी वर्ष में प्राप्त आईटीसी एवं अवरुद्ध क्रेडिट शामिल हैं।	जीएसटीआर-2ए जीएसटीआर-3बी के बीच बेमेल आईटीसी
डी2	जीएसटीआर-2ए से उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के साथ की गई, जो जीएसटीआर-2ए से उपलब्ध आईटीसी को (स्वतः भरी गई गैर-संपादन योग्य फ़िल्ड के रूप में) कैप्चर करती है, लेकिन जीएसटीआर-2ए में उन प्रविष्टियों को छोड़ देती है, जहां आपूर्तिकर्ता ने अपनी फाइलिंग की नियत तिथि तक जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं किया है एवं उस अवधि के लिए आईटीसी को भी छोड़ देती है, जिसके दौरान प्राप्तकर्ता करदाता कंपोजिशन योजना के तहत था।	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना आईटीसी पारित कर दिया गया
डी3 <sup>75</sup>	अगले वर्ष के अक्टूबर के बाद दायर 2018-19 से 2020-21 की अवधि से संबंधित जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 के माध्यम से प्राप्त आईटीसी।	कट-ऑफ अवधि के बाद दायर की गई आईटीसी का लाभ जीएसटीआर-3बी में लिया गया।

<sup>74</sup> डी15 (एनआरटीपी करों का भुगतान नहीं कर रहे हैं), डी18 (पुनः पंजीकरण अभी भी व्यवसाय संचालित कर रहा है) और डी19 (कंपोजिशन सामान्य लेवी में स्थानांतरित नहीं हो रही है) दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए क्योंकि कोई भौतिक कमी सामने नहीं आई।

<sup>75</sup> जीएसटी परिषद की इस सिफारिश को प्रभावी करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किया था, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 की धारा 118 के माध्यम से 1 जुलाई 2017 से प्रभावी किया गया, जो यह निर्धारित करता है कि उप-धारा (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए बीजक या डेबिट नोट के संबंध में, पंजीकृत व्यक्ति धारा 39 के तहत किसी भी रिटर्न में आईटीसी लेने का हकदार होगा जो 30 नवंबर 2021 तक दायर किया जाता है। यह वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए दिशानिर्देश 3 में विचलन को प्रभावित करता है।

लेखापरीक्षा दिशानिर्देश <sup>74</sup>	प्रयुक्त एल्गोरिथम	जोखिम मानदंड
डी4	प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-9 तालिका 6 जी या जीएसटीआर-3बी तालिका 4(ए)(4) में प्राप्त आईएसडी आईटीसी की तुलना वितरक जीएसटीआईएन के जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए एवं तालिका 9ए के योग से की गई।	आईएसडी क्रेडिट का अनुचित लाभ लेना।
डी5	जीएसटीआर-9 तालिका 4जी (देय कर) में आरसीएम भुगतानों की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका 6सी, 6डी एवं 6एफ (आईटीसी प्राप्त) में प्राप्त आईटीसी से की गई। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, उनमें जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1(घ) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी 4(ए)(2) एवं 4(3) से की गई। जीएसटीआर-9 एवं जीएसटीआर-3बी में जो भी अंतर अधिक था, उसे उस स्थिति में माना गया जब दोनों उपलब्ध थे।	आरसीएम के तहत कर का कम भुगतान बनाम जीएसटीआर-3बी/ जीएसटीआर-9 में प्राप्त आईटीसी
डी6	जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ में सकारात्मक आंकड़ा एवं तालिका 13 में दिए गए बेमेल के कारणों की जांच	वार्षिक रिटर्न एवं लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का बेमेल होना
डी7	जीएसटीआर-9सी तालिका 14टी में सकारात्मक आँकड़ों एवं तालिका 15 में दिए गए बेमेल के कारणों की जाँच	करदाताओं के वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आईटीसी एवं वित्तीय विवरणों में व्यय के बीच सामंजस्य
डी8	विरसती रिटर्न (एसटी-3 एवं ईआर-1) के समापन शेष की तुलना ट्रांसशनल आईटीसी-1 रिटर्न के 5(ए) आंकड़े से की गई। ऐसे मामलों की पहचान की गई जहाँ ट्रांसशनल आईटीसी-1 तालिका 5(ए) एसटी-3 एवं ईआर-1 में क्रेडिट के समापन शेष से अधिक थी।	पुरानी व्यवस्था से पारगमन के दौरान प्राप्त अतिरिक्त आईटीसी।
<b>कार्यक्षेत्र: कर भुगतान</b>		
डी9	अग्रिम एवं संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, जीएसटीआर-1 (सारणी 4 से 11) एवं जीएसटीआर-9 (सारणी 4एन, 10 एवं 11) के बीच कर देयता में से जो अधिक है, उसकी तुलना जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1(ए) एवं 3.1(बी) में दिए गए कर भुगतान के विवरण से की गई। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, उनमें जीएसटीआर-3बी पर दिए गए कर की तुलना	करों की अनसुलझी देनदारियाँ।

लेखापरीक्षा दिशानिर्देश <sup>74</sup>	प्रयुक्त एल्गोरिथम	जोखिम मानदंड
	जीएसटीआर-1 देयता से की गई।	
डी10	जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1(ए)+(बी) की तुलना ई-वे बिल में घोषित कर देयता से की गई एवं जिन मामलों में जीएसटीआर-3बी ई-वे बिल से कम है, उनकी पहचान की गई।	ई-वे बिल सत्यापन के आधार पर कर देयता का दमन
डी11	जीएसटीआर-9सी तालिका 9आर में ऋणात्मक आंकड़ों एवं तालिका 10 में दिए गए बेमेल के कारणों की जाँच	खातों एवं विवरण के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल
डी12	जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(ए) की तुलना जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 के स्तंभ 6 से की गई। ऐसे मामलों की पहचान की गई जहाँ जीएसटीआर-3बी का मूल्य जीएसटीआर-2ए से कम है।	टीडीएस कटौती विवरण की तुलना करके कर योग्य आपूर्ति की कम घोषणा
डी13	जीएसटीआर-9सी तालिका 5बी में वर्ष के आरंभ में बिल न किया गया राजस्व, तालिका 5एच में दर्शाए गए पिछले जीएसटीआर-9सी के बिल न किए गए राजस्व से मेल खाना चाहिए। कोई भी बेमेल, कर योग्य आवर्त के छिपे होने का संकेत देता है।	जीएसटीआर-9सी में घोषित बिल न किए गए राजस्व के आधार पर कर योग्य मूल्य का दमन।
डी14	जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा एवं बेमेल के लिए तालिका 8 में दिए गए कारणों की जाँच	जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य आवर्त में बेमेल
डी16	ऐसे कंपोजिशन करदाताओं की पहचान की गई जिनका अखिल भारतीय आधार) केंद्रीय एवं राज्य क्षेत्राधिकार (पर एक ही पैन के सभी जीएसटीआईएन के अंतर्गत आवर्त 2018-19 में ₹1 करोड़ एवं 2019-20 में ₹1.5 करोड़ की आवर्त सीमा को पार कर गया है।	करदाता कंपोजिशन लेवी स्कीम (सीएलएस) के तहत बने रहने के लिए अपात्र
डी17	ई-कॉमर्स जीएसटीआर-8, 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हुआ जब टीसीएस प्रावधान प्रभावी हुए। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीआईएन जो कंपोजिशन स्कीम के तहत जीएसटीआर-4/सीएमपी-08 भी दाखिल कर रहे हैं।	कंपोजिशन करदाता ई-कॉमर्स सुविधा का भी लाभ उठा रहे हैं, इसलिए वे कंपोजिशन स्कीम में बने रहने के लिए अपात्र हैं
डी20	ऐसे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया है, लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल किया है या जहाँ जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है, वे करदाताओं को	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया था,लेकिन जीएसटीआर-

लेखापरीक्षा दिशानिर्देश <sup>74</sup>	प्रयुक्त एल्गोरिथम	जोखिम मानदंड
	दर्शाते हैं जो कर का भुगतान किए बिना व्यवसाय कर रहे हैं।	1 उपलब्ध है
डी21	जीएसटीआर-3बी के विलंबित दाखिल पर कर भुगतान के नकद भाग पर 18 प्रतिशत की दर से गणना की गई ब्याज, जीएसटीआर-3बी में घोषित ब्याज की तुलना।	ब्याज का कम भुगतान

अखिल भारतीय आँकड़ा विश्लेषण में बड़ी संख्या में अत्यधिक धन मूल्यों वाले विचलन भी दर्शाए गए हैं, जो बुनियादी सत्यापन नियंत्रण की कमी को इंगित करते हैं, जो कि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में बनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, ई-वे बिल के आधार पर कर देयता को कम करने के लिए, विचलन की संख्या 3,24,048 थी, जिसका धन मूल्य ₹ 71,91,811 करोड़ था, एवं जीएसटीआर-1, 3बी एवं 9 रिटर्न में कर देयता बेमेल होने के कारण विचलन की संख्या 11,30,143 थी एवं धन मूल्य ₹ 10,88,229 करोड़ था। इन अवास्तविक धन मूल्य के आंकड़ों ने संकेत दिया कि जीएसटी प्रणाली एवं ई-वे बिल प्रणाली में आँकड़ों को दर्ज करने एवं सत्यापन के नियंत्रण या तो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या पूरी तरह से गायब हैं।

इस (एसएससीए) के एक भाग के रूप में, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के 18 मानदंडों में से प्रत्येक में विवरण में शीर्ष विचलन/विसंगतियों में से 10,124 मामलों का एक नमूना चुना। करदाताओं के अभिलेखों की आगे की जाँच किए बिना, मई 2023 एवं जुलाई 2023 के बीच संबंधित रेंज को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किए गए। इन मामलों में लेखापरीक्षा जाँच से पहचाने गए विचलन/विसंगतियों पर विभाग की कार्रवाई की पुष्टि तक सीमित थी। विभाग को जारी किए गए 10,124 विचलन/विसंगतियों में से, 8,106 मामलों के लिए प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं।

तीन सौ सात मामलों में, जो कुल मामलों का चार प्रतिशत है, विभाग ने कहा कि वह ₹33,017 करोड़ के अंतर्निहित विचलन की जाँच कर रहा है। हालाँकि 714 मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए विचलन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके तर्क साक्ष्यों से पुष्ट नहीं हुए एवं इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन योग्य नहीं थे।

#### 4.8.4.1 जीएसटी रिटर्न में अनुपालन विचलन- केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा प्रश्नावली पर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, 18 मापदंडों में से प्रत्येक के अनुपालन विचलन में परिवर्तित होने की सीमा को तालिका 4.4 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 4.4: कमियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा दिशानिर्देश	नमूना		मामले जहाँ उत्तर प्राप्त हुए <sup>76</sup>		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ, पृष्ठताछ से पहले की गई कार्रवाई, शामिल हैं		विभाग द्वारा स्वीकार किए गए मामले जिनमें कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है		अनुपालन विचलन			
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+10
डी1- आईटीसी बेमेल (आर3बी एवं आर2ए)	1,074	32,809.07	849	27,349.27	549	17,918.28	281	5,719.78	12	282.57	293	6,002.35
डी2- आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना आईटीसी पारित किया गया	534	9,311.16	395	7,251.79	265	4,199.00	112	1,509.63	13	172.64	125	1,682.27
डी3- सीमा अवधि के बाद दाखिल किए गए 3बी पर प्राप्त आईटीसी	804	3,019.29	650	2,331.68	298	1,093.51	342	1,069.90	9	21.79	351	1,091.69
डी4- अतिरिक्त आईएसडी क्रेडिट	569	519.65	458	421.86	307	266.00	101	76.04	3	1.66	104	77.70
डी5- आरसीएम पर कर का कम भुगतान	670	3,972.23	554	3,249.13	463	2,561.91	116	346.79	2	4.04	118	350.83
डी6- तालिका 12एफ	269	3,463.40	227	3,212.68	168	2,718.00	45	170.55	2	5.08	47	175.63
डी7- तालिका 14टी	263	3,086.19	214	2,513.61	170	2,085.91	33	83.32	2	10.02	35	93.34
डी8- सी/बी से अधिक ट्रांशानल	779	1,302.57	693	1,156.91	526	885.00	90	110.46	11	31.47	101	141.93

<sup>76</sup> प्रत्येक दिशानिर्देश के लिए प्रत्येक जीएसटीआईएन को एक ही मामला माना जाता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि जीएसटीआईएन + दिशानिर्देश का एक ही संयोजन, विभिन्न वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए विभाग से प्राप्त प्रतिक्रिया (8,106) के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में फिट हो सकता है।

2025 का प्रतिवेदन सं. 25 (अप्रत्यक्ष कर - माल और सेवा कर)

लेखापरीक्षा दिशानिर्देश	नमूना		मामले जहाँ उत्तर प्राप्त हुए <sup>76</sup>		विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ, पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई, शामिल हैं		विभाग द्वारा स्वीकार किए गए मामले जिनमें कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है		अनुपालन विचलन		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+10	13=9+11
आईटीसी												
डी9- अप्रदत्त कर देयता (आर1 एवं आर9)	1,079	32,670.84	865	24,271.70	716	17,232.25	243	3,307.00	11	156.24	254	3,463.24
डी10- देय कर का दमन (ई-वे बिल)	808	7,99,582.36	638	7,73,830.48	493	7,60,077.70	100	3,648.79	2	64.32	102	3,713.11
डी11- कर का कम भुगतान (तालिका 9आर)	265	2,558.60	203	2,094.04	189	1,913.10	24	155.93	3	2.65	27	158.58
डी12- कर का कम भुगतान (टीडीएस/टीसीएस)	401	7,935.52	307	7,139.11	203	6,576.54	72	47.82	2	एनक्यू	74	47.82
डी13- बिल न किया गया राजस्व	269	13,904.88	215	10,024.19	162	6,122.63	32	28.86	4	एनक्यू	36	28.86
डी14- तालिका 7जी	269	3,31,997.80	217	2,90,112.14	174	2,12,856.98	25	2,667.38			25	2,667.38
डी16- अपात्र <sup>77</sup>	62	एनक्यू	50	एनक्यू	17	एनक्यू	20	4.77			20	4.77
डी17- ई-कॉमर्स कंपोजीशन लेवी <sup>78</sup>	126	एनक्यू	107	एनक्यू	70	एनक्यू	31	0.30	1	एनक्यू	32	0.30
डी20- जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है	806	4,678.91	662	3,651.28	293	1,661.02	347	1,747.02	5	40.55	352	1,787.57
डी21- ब्याज का भुगतान न करना	1,077	985.27	802	723.51	491	418.31	407	194.34	16	13.40	423	207.74
<b>कुल</b>	<b>10,124</b>	<b>12,51,797.74</b>	<b>8,106</b>	<b>11,59,333.38</b>	<b>5,554</b>	<b>10,38,585.84</b>	<b>2,421</b>	<b>20,888.68</b>	<b>98</b>	<b>806.43</b>	<b>2,519</b>	<b>21,695.11</b>

एनक्यू - अहर्ता प्राप्त नहीं।

विभाग द्वारा उत्तर दिए गए 8,106 मामलों में से 2,519 मामलों में अनुपालन विचलन पाया गया, जिससे ₹ 21,695.11 करोड़ का राजस्व प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, ₹ 8,32,453.41 करोड़ के बेमेल से जुड़े 3,131 मामलों में बेमेल होने के वैध कारण थे एवं आँकड़ों प्रविष्टि त्रुटियों के कारण 523

<sup>77</sup> इस दिशानिर्देश के लिए मौद्रिक मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

<sup>78</sup> इस दिशानिर्देश के लिए मौद्रिक मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

मामलों में ₹ 61,715.87 करोड़ बेमेल पाए गए। विभाग ने ₹ 20,888.68<sup>79</sup> करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,421 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है या कार्रवाई शुरू कर दी है। इन मामलों में से, विभाग ने 257 मामलों में ₹ 124.13 करोड़ की वसूली की है, 1276 मामलों में ₹12,453.90<sup>80</sup> करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है या डीआरसी-01बी<sup>81</sup>, डीआरसी-01डी<sup>82</sup>, डीआरसी-13<sup>83</sup> जारी किए हैं, 116 मामलों में ₹ 811.55<sup>84</sup> करोड़ के लिए फॉर्म एसएमटी-10/डीआरसी-01ए में विसंगतियों की सूचना करदाताओं को नोटिस जारी की है। सात सौ बहत्त मामलों में, जिनमें ₹ 7,499.10<sup>85</sup> करोड़ का कर प्रभाव था, विभाग ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार कर लिया है एवं संबंधित करदाताओं के साथ पत्राचार कर रहा है।

दो हजार चार सौ इक्कीस मामलों में से कुछ उदाहरणात्मक मामले<sup>86</sup>, जहाँ विभाग ने कार्रवाई स्वीकार की या शुरू की, नीचे दिए गए हैं:

- i. **पारगमन के दौरान आईटीसी का अत्यधिक/अनियमित लाभ उठाना-** यह देखा गया कि अहमदाबाद दक्षिण मध्य कर आयुक्तालय के रेंज II डिवीजन II - वटवा I के अंतर्गत आने वाले एक करदाता के मामले में, टीआरएन -1 तालिका 5(ए) में दावा किया गया पारगमन कालीन आईटीसी, जून 2017 तक संवेट समापन शेष से अधिक था। अक्टूबर 2023 में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, रेंज अधिकारी ने बताया (सितंबर 2023) कि करदाता के पास जून 2017 के रिटर्न से पहले

---

<sup>79</sup> आवर्त से संबंधित विचलन; डी12, डी13 और डी14 को ध्यान में नहीं लिया गया, सिवाय उन मामलों के जहाँ कर की मात्रा विभाग द्वारा वसूली या एससीएन के माध्यम से निर्धारित की गई।

<sup>80</sup> बाहरी आपूर्ति के विवरण में दर्ज देयता और रिटर्न में दर्ज देयता में अंतर की सूचना।

<sup>81</sup> धारा 79 के अंतर्गत वसूली योग्य राशि की सूचना।

<sup>82</sup> सीजीएसटी अधिनियम की धारा 79(1)(सी) के अंतर्गत किसी तीसरे व्यक्ति को सूचना।

<sup>83</sup> आवर्त से संबंधित विचलन; डी12, डी13 और डी14 जहाँ भी कर की राशि विभाग द्वारा निर्धारित की गई है।

<sup>84</sup> आवर्त से संबंधित विचलन; डी12, डी13 और डी14 को ध्यान में नहीं लिया गया।

<sup>85</sup> आवर्त से संबंधित विचलन; डी12, डी13 और डी14 को ध्यान में नहीं लिया गया।

<sup>86</sup> अठारह दिशानिर्देशों में से प्रत्येक से लिया गया ताकि उन्हें वर्णनात्मक रूप में और अधिक स्पष्ट किया जा सके।

₹ 8.90 करोड़ का संचित शेष था, जो अप्रयुक्त रह गया था एवं इसलिए करदाता ने उसका लाभ उठाया। जब संबंधित ईआर-1 एवं एसटी-3 रिटर्न मांगे गए, तो रेंज अधिकारी ने कहा कि मार्च 2021 के दौरान उनके परिसर में हुई एक आग दुर्घटना के कारण भौतिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। दावों की प्रामाणिकता का समर्थन करने के लिए किसी भी दस्तावेज के अभाव में, लेखापरीक्षा के खंडन के आधार पर, विभाग ने अंततः नवंबर 2023 में ₹ 8.91 करोड़ वसूल किए। मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में अपने जवाब में कहा कि जुर्माने के भुगतान के लिए फरवरी 2024 में डीआरसी-01 भी जारी कर दिया गया है।

**ii. जीएसटीआर-3बी की देरी से फाइलिंग पर ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान करना**

मुंबई-मध्य केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत प्रभाग VI की श्रेणी I के एक करदाता के मामले में, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न देरी से दाखिल करने से उत्पन्न ₹1.26 करोड़ की ब्याज देयता का भुगतान न किए जाने का मामला सामने आया एवं जून 2023 में विभाग को सूचित किया गया। लेखापरीक्षा के बताने पर, विभाग ने सितंबर 2023 में डीआरसी-01ए जारी किया। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, विवादित ब्याज की मांग करते हुए, वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि के लिए अक्टूबर 2023 में डीआरसी-01 जारी किया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि डीआरसी-01 की भी पुष्टि हो गई है।

**iii. सीमा अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी पर प्राप्त आईटीसी**

बोलपुर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत आसनसोल I प्रभाग के रेंज II से संबंधित एक मामले में, जुलाई 2023 में निर्धारित अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी पर 2018-19 एवं 2020-21 की अवधि के लिए ₹3.53 करोड़ की आईटीसी की अनियमित प्राप्ति का मामला उजागर हुआ। मंत्रालय ने अप्रैल 2025 में बताया कि विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए ₹1.88 करोड़ की वसूली कर ली है एवं करदाता

को वर्ष 2020-21 के लिए ₹0.85 करोड़ का मांग पत्र जारी किया है। 24 अप्रैल 2024 के ओआईओ के माध्यम से मांग की पुष्टि की गई है। हालाँकि, 2018-19 से संबंधित शेष ₹0.79 करोड़ की राशि के लिए अभी कार्रवाई शुरू की जानी है।

**iv. आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त आईटीसी**

इस दिशानिर्देश के तहत, विभाग को वडोदरा। केंद्रीय कर आयुक्तालय के तहत रेंज IV में प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त आईटीसी एवं वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चुकाए गए ₹ 14.14 करोड़ के कर के अंतर की जांच करने की आवश्यकता थी। जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए की तुलना जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी से करने पर अंतर देखा गया। अंतर आपूर्ति के स्थान एवं प्राप्तकर्ता में अंतर के कारण या आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण को रद्द करने के बाद जारी किए गए बीजक पर आईटीसी का लाभ उठाने के कारण हो सकता है, ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता आईटीसी को उलटने के लिए उत्तरदायी है। अंतर आपूर्तिकर्ता द्वारा अपना विवरण दाखिल नहीं करने एवं इस प्रकार कर देयता का निर्वहन नहीं करने के कारण भी हो सकता है। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि आपत्ति की गई राशि के लिए तीन वर्षों हेतु एससीएन जारी किया गया था तथा इसकी पुष्टि अप्रैल 2024 में की गई थी।

**v. जीएसटीआर-3बी फ़ाइल नहीं किया गया परंतु जीएसटीआर-1 उपलब्ध**

वाराणसी केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत आजमगढ़ रेंज, डिवीजन- आजमगढ़ के तहत पंजीकृत एक करदाता ने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया एवं इसलिए उनकी कर देयता की भरपाई नहीं हुई, हालाँकि इसने नवंबर 2018 से फरवरी 2019 तक के महीनों के लिए नियमित रूप से जीएसटीआर-1 दाखिल किया। इन महीनों के लिए जीएसटीआर-1 में घोषित कर देयता 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 1.97 करोड़ थी एवं इसलिए जुलाई 2023 में कर के रूप में समतुल्य राशि का निर्वहन नहीं होने का जोखिम उजागर हुआ। जवाब में, मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025)

कि करदाता को जनवरी 2025 में मांग पत्र जारी किया गया जिसमें ब्याज एवं जुर्माने के साथ ₹ 1.97 करोड़ की मांग की गई।

**vi. अप्राप्त कर देयता (जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-9)**

दिल्ली पश्चिम मध्य कर आयुक्तालय के राजौरी गार्डन डिवीजन के रेंज 123 के अंतर्गत एक करदाता के संबंध में, 2018-19 के लिए ₹28.64 करोड़ एवं 2019-20 के लिए ₹15.76 करोड़ की अघोषित देनदारी पर जीएसटीआर-1 एवं जीएसटीआर-9 की तुलना करने पर, सितंबर 2023 में यह मामला उठाया गया। लेखापरीक्षा संबंधी पूछताछ के बाद, विभाग ने 2017-18 अवधि सहित ₹58.52 करोड़ के लिए डीआरसी-01 (नवंबर 2023) जारी किया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने बताया कि करदाता का पंजीकरण 4 दिसंबर 2019 से स्वतः रद्द कर दिया गया है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2025)।

**vii. बेमेल आईटीसी (जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी)**

- मेरठ केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत शामिल। रेंज के एक करदाता के मामले में, वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी एवं जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी के बीच ₹22.18 करोड़ की आईटीसी बेमेल जुलाई 2023 में उजागर हुई। उत्तर में (अक्टूबर 2023), विभाग ने बताया कि मार्च 2021 के दौरान जीएसटीआर-3बी में प्राप्त ₹22.17 करोड़ (पुनः संशोधित मूल्य) के अतिरिक्त आईटीसी में से, करदाता ने अगस्त 2021 के जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹22.14 करोड़ की आईटीसी को उलट दिया है, जिसे 17 अगस्त 2023 को विलंब से दाखिल किया गया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि शेष ₹0.02 करोड़ की राशि के लिए डीआरसी-1ए जारी किया गया।
- उज्जैन केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत पीथमपुर-1 संभाग के रेंज III में एक करदाता के मामले में, वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी एवं जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी के बीच आईटीसी बेमेल को अगस्त 2023 में उजागर किया गया।

मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि ₹11.47 करोड़ की वसूली के लिए दिसंबर 2023 में मांग पत्र जारी किया है।

- कोड़ीकोड केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत कोड़ीकोड रेंज V में एक करदाता के मामले में, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी एवं जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी के बीच आईटीसी बेमेल को अगस्त 2023 में उजागर किया था। उत्तर में (अप्रैल 2025), मंत्रालय ने बताया कि करदाता के पास मौजूद बीजक की ताकत के बिना करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 8.19 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 0.15 करोड़ है। करदाता ने सहमति व्यक्त की है एवं वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए ₹ 8.19 करोड़ एवं ₹ 0.15 करोड़ की राशि का भुगतान डीआरसी-03 दिनांक 31 जनवरी 2024 एवं 27 फरवरी 2024 के माध्यम से किया है।

**viii. आरसीएम के तहत कर का कम भुगतान**

- कोच्चि केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत एर्नाकुलम रेंज 3 में एक करदाता से संबंधित वर्ष 2018-19 के लिए आरसीएम के तहत आपूर्ति के लिए प्राप्त आईटीसी की तुलना में कर के कम भुगतान का मामला सामने आया, जिसकी राशि ₹ 1.39 करोड़ थी एवं जून 2023 में रेंज को सूचित किया गया। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि मांग नोटिस दिसंबर 2023 में जारी किया गया एवं फरवरी 2024 में पुष्टि की गई।
- इसी तरह, कोलकाता उत्तर आयुक्तालय के अंतर्गत श्यामबाजार डिवीजन के रेंज VI के भीतर एक करदाता के मामले में, अगस्त 2023 में एक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ जारी होने के बाद, विभाग ने जनवरी 2024 में एक डीआरसी-01 जारी किया, जिसमें आरसीएम के तहत 2018-19 एवं 2019-20 के लिए संबंधित ब्याज एवं दंड के साथ ₹ 1.96 करोड़ का कर भुगतान की मांग की गई। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि अप्रैल 2024 में मांग की पुष्टि हो गई है।

**ix. इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) तंत्र के अंतर्गत प्राप्त अतिरिक्त आईटीसी**

- एक करदाता से संबंधित मामले में, वर्ष 2018-19 के लिए आईएसडी तंत्र के माध्यम से प्राप्त ₹0.44 करोड़ की अतिरिक्त आईटीसी की

सूचना अगस्त 2023 में रांची केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत रांची दक्षिण प्रभाग के रेंज IV को दी गई। परिणामस्वरूप, विभाग ने दिसंबर 2023 में करदाता से 2018-19 से 2020-21 तक के बाद के दो वर्षों के लिए ₹1.48 करोड़ की कर राशि की मांग करते हुए डीआरसी-01 जारी किया। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि मांग नोटिस पर अप्रैल 2024 में निर्णय दिया गया।

**x. कर योग्य मूल्य को छिपाना (बिल रहित राजस्व)**

- कर योग्य मूल्य को छिपाना (बिल रहित राजस्व) लेखापरीक्षा में पाया गया कि बेंगलुरु पूर्व केंद्रीय कर आयुक्तालय के एईडी-8 रेंज के अंतर्गत आने वाले एक करदाता के मामले में, एक वर्ष के समापन शेष एवं अगले वर्ष के आरंभिक शेष में मिलान नहीं था। लेखापरीक्षा ने सितम्बर 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि के लिए ₹ 68.12 करोड़ के कर योग्य मूल्य के संभावित छिपाव की ओर इशारा किया। इसके जवाब में, विभाग ने सितंबर 2023 में करदाता को एसएमटी-10 जारी कर इस विसंगति के लिए स्पष्टीकरण माँगा। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2025)।

**xi. जीएसटीआर-9 सी की तालिका 9आर में घोषित कर भुगतान रिटर्न में विसंगति**

- भोपाल केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले रायसेन रेंज के एक करदाता के मामले में लेखा पुस्तकों एवं वार्षिक रिटर्न के बीच कर भुगतान में विसंगति पाई गई। लेखापरीक्षा ने विभाग को (जुलाई 2023) 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 1.32 करोड़ के कर के कम भुगतान का संकेत दिया। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि मांग नोटिस दिसंबर 2023 में जारी किया गया था एवं मार्च 2024 में इसकी पुष्टि की थी।
- इसी प्रकार, बेलगावी केंद्रीय कर आयुक्तालय के तहत बेलगावी उत्तर रेंज के भीतर एक करदाता के मामले में, 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 3.07 करोड़ की कर राशि के कम भुगतान को विभाग को बताया गया (अगस्त 2023)। मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि विभाग ने करदाता को दिसंबर 2023 में डीआरसी-01 जारी किया है, जिसमें लागू ब्याज एवं जुर्माने के साथ ₹ 3.07 करोड़ की कर देयता की मांग की है।

**xii. ई-वे बिल की तुलना में कर देयता का दमन**

- अक्टूबर 2023 में, वडोदरा । केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत प्रभाग I के रेंज IV के ध्यान में जीएसटीआर-3बी रिटर्न एवं ई-वे बिल के बीच कर देयता में विसंगति का मामला लाया गया था। इससे 2018-19 से 2020-21 के दौरान ₹147.71 करोड़ के कर के कम भुगतान का जोखिम पैदा हुआ। विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2024), कि करदाता के जवाब की गहन जाँच के बाद, ब्याज एवं जुर्माने सहित बकाया राशि के लिए एक माँग नोटिस (दिसंबर 2023) जारी किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि अप्रैल 2024 में डिमांड नोटिस की पुष्टि हो गई है।
- करदाता से संबंधित 2018-19 की अवधि के लिए ई-वे बिल की तुलना में जीएसटीआर-3बी में ₹1.78 करोड़ की कर देयता कम घोषित करने का एक समान मामला जुलाई 2023 में पटना ॥ केंद्रीय कर आयुक्तालय के तहत गोपालगंज रेंज के ध्यान में लाया गया था। जवाब में विभाग ने बताया (जनवरी 2024) कि डीआरसी-01ए दिसंबर 2023 में जारी किया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया (अप्रैल 2025) कि संतोषजनक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण, रेंज ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 6 मार्च 2020 से पंजीकरण रद्द कर दिया एवं एक एससीएन जारी करने की प्रक्रिया में है।
- रंगारेड्डी केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत नागोले रेंज के एक करदाता के मामले में, कर योग्य मूल्य की कम घोषणा के कारण वर्ष 2020-21 के लिए ₹19.66 करोड़ के कर के कम भुगतान का जोखिम, जैसा कि जीएसटीआर-3बी एवं ई-वे बिल में रिपोर्ट की गई कर देनदारियों के बीच तुलना से स्पष्ट होता है, की पहचान की गई एवं जुलाई 2023 में रिपोर्ट की गई। जवाब में (सितंबर 2023), रेंज ने कोई विसंगति नहीं होने का दावा करते हुए एक समाधान विवरण भेजा। लेखापरीक्षा ने समाधान विवरण की जांच की एवं पाया कि 'सेवा बीजक, डेबिट नोट्स एवं क्रेडिट नोट्स - ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माल की कोई आवाजाही नहीं है' से संबंधित कारणों का हवाला देते हुए, जीएसटीआर-3बी में कर देयता से ₹22.66 करोड़ की राशि काट ली थी। सबसे पहले, यदि करदाता 'सेवाएँ' एवं 'वस्तुएँ' दोनों प्रदान करता है, तो जीएसटीआर-3बी कर देयता ई-वे बिल कर देयता से अधिक होनी चाहिए। दूसरे, यदि ग्राहकों से वस्तुओं की वापसी से संबंधित लेन-देन थे, तो संबंधित डेबिट नोट्स एवं क्रेडिट नोट्स

समकक्ष ई-वे बिल द्वारा समर्थित होने चाहिए। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि विभाग ने करदाता के लेन-देन की गहन जाँच नहीं की थी एवं केवल करदाता द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर ही भरोसा किया। मंत्रालय ने अपने उत्तर में (अप्रैल 2025) कहा कि विभाग ने नवंबर 2024 में ₹ 26.20 करोड़ की राशि के लिए माँग नोटिस जारी किया है।

**xiii. कर योग्य मूल्य (टीडीएस/टीसीएस) का दमन**

- एक मामला जहाँ कटौतीकर्ता के स्रोत पर कर कटौती विवरण में घोषित कर योग्य मूल्य, करदाता द्वारा जीएसटीआर-3बी में घोषित कर योग्य मूल्य से अधिक था, मदुरै केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत पलयमकोट्टई रेंज को (अगस्त 2023) बताया गया। इसके परिणामस्वरूप 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान ₹1.02 करोड़ की कर योग्य आपूर्ति की कम घोषणा हुई। जवाब में, विभाग/मंत्रालय ने (क्रमशः जनवरी 2024 एवं अप्रैल 2025) सूचित किया कि करदाता को वर्ष 2018-19 के लिए ₹0.25 करोड़ एवं 2019-20 के लिए ₹0.22 करोड़ का कर मांगने का नोटिस दिसंबर 2023 में जारी किया गया है।

**xiv. वार्षिक रिटर्न एवं वित्तीय विवरणों के बीच कर योग्य कारोबार में बेमेल**

- वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 में कर योग्य आवर्त की तुलना में कम कर योग्य आवर्त को जीएसटीआर-9सी (समाधान विवरण) में स्पष्ट करना आवश्यक है। कम कर योग्य आवर्त, कर योग्य आपूर्ति की रिपोर्टिंग में गैर-रिपोर्टिंग, कम रिपोर्टिंग, चूक एवं त्रुटि के कारण हो सकता है, जिसका कर देयता पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला इंदौर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत रेंज V के अंतर्गत एक करदाता से संबंधित था एवं विभाग से अनुरोध किया गया था (अगस्त 2023) कि वह जीएसटीआर-9 में कर योग्य आवर्त की इतनी कम घोषणा के कारणों की जाँच करे, जिसकी राशि 2018-19 के दौरान ₹89.95 करोड़ थी। जवाब में, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता को दिसंबर 2023 में एक माँग नोटिस दिया गया एवं अप्रैल 2024 में इसकी पुष्टि की गई।
- इसी प्रकार, राउरकेला केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत जोडा-1 रेंज को 2018-19 से 2020-21 के दौरान एक करदाता के वित्तीय विवरण में कर योग्य आवर्त एवं जीएसटीआर-9सी में वार्षिक रिटर्न के बीच ₹1,733.60 करोड़ के अंतर के कारणों की जांच करने का अनुरोध

किया गया। चूंकि करदाता ने असंगत अंतर के कारणों को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कोई स्पष्टीकरण या व्याख्या नहीं दी, इसलिए विभाग ने (दिसंबर 2023) डीआरसी-01 जारी किया, जिसमें रिपोर्ट की गई अवधि के लिए ₹35.59 करोड़ का कर मांगा गया। मंत्रालय ने आगे बताया (अप्रैल 2025) कि मांग नोटिस की पुष्टि अप्रैल 2024 में की गई।

**xv. अनुचित आईटीसी का लाभ उठाया गया (जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी)**

- विभाग से अनुरोध किया गया कि वह वर्ष 2018-19 के लिए रांची केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत बलियापुर रेंज के एक करदाता के जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी<sup>87</sup> में दर्शाए गए वार्षिक रिटर्न एवं वित्तीय विवरणों के बीच ₹1.01 करोड़ के आईटीसी बेमेल के कारणों की जाँच करे। इस मामले में यह अंतर अयोग्य वस्तुओं पर आईटीसी का लाभ उठाने की संभावना को दर्शाता है। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (नवंबर 2023), मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता को ₹1.01 करोड़ का एससीएन जारी किया गया था एवं अप्रैल 2024 में इस पर निर्णय दिया गया।

**xvi. अनियमित आईटीसी प्राप्त (जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ)**

- विभाग से अनुरोध किया गया था कि वह इंदौर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत इंदौर VI संभाग के रेंज I के एक करदाता के जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ<sup>88</sup> में दर्शाए गए वार्षिक रिटर्न एवं वित्तीय विवरणों के बीच 2018-19 एवं 2020-21 की अवधि के लिए ₹10.22 करोड़ के आईटीसी बेमेल के कारणों की जाँच करे। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 2023), मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि दिसंबर 2023 में एक माँग नोटिस जारी किया गया था एवं अप्रैल 2024 में इसकी पुष्टि की थी।

**xvii. ई-कॉमर्स के अंतर्गत कंपोजिशन लेवी लाभार्थी**

- जुलाई 2023 में दिल्ली पूर्व आयुक्तालय के अंतर्गत शाहदरा डिवीजन की रेंज 144 में कंपोजिशन करदाता द्वारा अपनी आपूर्ति के लिए ई-

<sup>87</sup> असमाधानित आईटीसी (प्राप्त पात्र आईटीसी की कुल राशि और वार्षिक रिटर्न में दावा किए गए आईटीसी के बीच का अंतर)

<sup>88</sup> असमाधानित आईटीसी (वार्षिक रिटर्न में दावा किए गए आईटीसी और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार प्राप्त आईटीसी के बीच का अंतर)

कॉमर्स सुविधा का अनियमित रूप से लाभ उठाने का एक मामला सामने आया था। जवाब में विभाग ने बताया कि एक करदाता ने दिसंबर 2023 में 2020-21 की अवधि के लिए ₹ 0.03 करोड़ का अंतर कर चुकाया है। हालाँकि, चूँकि उत्तर में यह नहीं बताया गया कि करदाता ने सीएलएस के तहत अपने पंजीकरण को सामान्य में कब परिवर्तित किया, इसलिए लेखापरीक्षा ने विभाग से मामले की जाँच करने का अनुरोध किया था। इसके बाद, मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि करदाता ने सितंबर 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए दिसंबर 2023 में डीआरसी-03 के माध्यम से लागू ब्याज एवं 15 प्रतिशत जुर्माने के साथ कर की अंतर राशि का भुगतान कर दिया। इसके अलावा, करदाता अब जनवरी 2021 से कंपोजिशन लेवी से सामान्य करदाता में स्थानांतरित हो गया है।

#### xviii. गलत आवर्त के कारण करदाता सीएलएस लेवी में बने रहने के लिए अयोग्य

- जबलपुर केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत पन्ना रेंज के एक करदाता ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान पात्र आवर्त सीमा को पार कर लिया। हालाँकि, करदाता ने सीएलएस में कर का भुगतान जारी रखा। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (अगस्त 2023) विभाग ने सत्यापन के बाद दिसंबर 2023 में एक डीआरसी-01 जारी किया, जिसमें 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए ₹1.22 करोड़ के अंतर कर भुगतान की मांग की गई। मंत्रालय ने (अप्रैल 2025) सूचित किया कि मांग नोटिस की पुष्टि मार्च 2024 में की थी।

#### 4.8.4.2 विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करना

विभाग को 2018<sup>89</sup> विसंगतियों के बारे में सूचित किया था, जिसमें ₹28,531.02<sup>90</sup> करोड़ की राशि की बेमेल/विसंगतियां थीं, जिनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

<sup>89</sup> कुल विचलन - प्राप्त प्रतिक्रियाएँ (10,124-8,106 = 2,018)

<sup>90</sup> इसमें ₹46,562.76 करोड़ के D12, D13 और D14 आयामों के अंतर्गत टर्नओवर में अंतर से संबंधित बेमेल राशि के लिए 18 प्रतिशत की दर से कर प्रभाव शामिल है और इसमें ई-वे बिल पर D10 आयाम शामिल नहीं हैं, जिनमें व्यापक विसंगति दिखाई गई थी।

चूँकि वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के लिए माँग नोटिस जारी करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए विभाग द्वारा निष्क्रियता के कारण पहचानी गई विसंगतियों के समाधान न होने का जोखिम है, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹23,633.97<sup>91</sup> करोड़ का संभावित राजस्व नुकसान हो सकता है, जब तक कि विस्तारित अवधि लागू न की जाए।

#### 4.8.4.3 अनुपालन विचलन जहाँ विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया जाता है

जिन 8,106 मामलों में विभाग का उत्तर प्राप्त हुआ, उनमें से 2,342 मामलों में, उत्तर लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कारणों से स्वीकार किए गए:

##### 1. करदाताओं द्वारा आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ

आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ (523 मामले) प्राप्त कुल प्रतिक्रियाओं का छः प्रतिशत एवं उन मामलों का नौ प्रतिशत थीं जहाँ विभाग की प्रतिक्रियाएँ लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार की गईं, जिनमें पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई एवं किसी कार्रवाई की आवश्यकता न होने वाले बंद मामले शामिल थे। इन आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों का राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अधिकांश आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियाँ आरसीएम, कर देयता के समाधान (जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर), बिल न किए गए राजस्व घोषणा के माध्यम से कर का छिपाव, एवं जीएसटीआर-9सी की 12एफ एवं 14टी तालिकाओं में घोषणा से संबंधित हैं।

हालाँकि, आंकड़ा प्रविष्टि त्रुटियों की दर डीओआरएफ चरण 1 में देखी गई 17 प्रतिशत की तुलना में घटकर छः प्रतिशत रह गई है।

सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2022 की संख्या 5) ने अनुशंसा की है कि विभाग को अनुचित आंकड़ा प्रविष्टियों को रोकने या ऐसी घटनाओं के प्रति करदाताओं को सचेत करने के उद्देश्य से उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इसने समग्र आंकड़ा विश्वसनीयता एवं अखंडता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा तत्वों पर

---

<sup>91</sup> आवर्त-आधारित विचलन, D12, D13 और D14 आयाम और ई-वे बिल पर D10 आयाम शामिल नहीं हैं, जिनमें व्यापक विसंगति दिखाई गई थी।

केंद्रित पोस्ट-फैक्टो आंकड़ा एनालिटिक्स के साथ इन नियंत्रणों को बढ़ाने का सुझाव दिया।

## 2. लेखापरीक्षा प्रश्न जारी होने से पहले की गई कार्रवाई

जैसा कि ऊपर तालिका 4.4 में संक्षेप में बताया गया है, विभाग पहले ही 1,819 मामलों में कार्रवाई कर चुका था, जो प्राप्त 8,106 प्रतिक्रियाओं का 22 प्रतिशत है।

### 4.8.4.4 अनुपालन विचलन जहाँ लेखापरीक्षा विभाग के उत्तर से सहमत नहीं थी

दो हजार पाँच सौ उन्नीस अनुपालन विचलनों में से, विभाग ने ₹ 806.43 करोड़ की राशि के 98 मामलों को स्वीकार नहीं किया है। इन मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर स्पष्ट रूप से अभ्युक्ति किए बिना केवल करदाताओं के स्पष्टीकरण अग्रेषित किए। कुछ उदाहरणात्मक मामले जहाँ लेखापरीक्षा विभाग के उत्तर से सहमत नहीं थी, नीचे दिए गए हैं:

#### i. आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान किए बिना प्राप्त आईटीसी

एक करदाता के लिए जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए एवं जीएसटीआर-2ए के बीच वर्ष 2020-21 के लिए ₹7.49 करोड़ की आईटीसी राशि में विसंगति देखी गई। इससे यह चिंता पैदा हुई कि करदाता संभावित रूप से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कर प्रेषण के बिना आईटीसी का दावा कर सकते हैं। यह मुद्दा सितंबर 2023 में अगरतला केंद्रीय कर आयुक्तालय के तहत अगरतला II रेंज के ध्यान में लाया गया। जवाब में, रेंज ने केवल यह दावा किया कि करदाता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईटीसी प्राप्त करने का हकदार था, लेकिन आईटीसी के बराबर कर के प्रेषण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तदनुसार, रेंज को सीबीआईटीसी द्वारा जारी परिपत्र संख्या 183/15/2022-जीएसटी दिनांक 27 दिसंबर 2022 एवं 193/05/2023-जीएसटी दिनांक 17 जुलाई 2023 के अनुसार कार्रवाई करने एवं आपूर्तिकर्ताओं के क्षेत्राधिकार वाले रेंज अधिकारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, उनके जवाब के साथ ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए एवं मंत्रालय के जवाब की प्रतीक्षा की गई (अप्रैल 2025)।

## ii. पारगमन क्रेडिट के माध्यम से अतिरिक्त आईटीसी

एक करदाता द्वारा सीजीएसटी अधिनियम के पारगमन प्रावधानों के माध्यम से ₹ 23.47 करोड़ की अतिरिक्त आईटीसी प्राप्त करने का मामला उजागर किया गया एवं संबंधित रेंज को इसकी सूचना दी गई (सितंबर 2023)। मंत्रालय द्वारा भेजे गए उत्तर (अप्रैल 2025) में, रेंज ने कहा कि, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे क्रेडिट की वसूली के लिए कार्रवाई संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण दाखिल करने की नियत तिथि से पाँच वर्षों के भीतर शुरू की जानी चाहिए, एवं ऐसी कार्रवाई शुरू करने की समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है। परिणामस्वरूप, यह कहा गया कि धारा 74 के तहत कार्रवाई करना संभव नहीं था। हालाँकि, यह प्रतिक्रिया स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महामारी को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए धारा 73 के तहत डिमांड नोटिस जारी करने की समय सीमा 30 सितंबर 2024 तक एवं धारा 74 के तहत 5 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई थी। इसलिए, विभाग के पास धारा 73 के तहत भी कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त समय था।

### 4.8.4.5 नियंत्रण तंत्र को बढ़ाने के लिए रिटर्न फाइल करने में इनपुट नियंत्रणों का विश्लेषण

इससे पहले, लेखापरीक्षा ने विभिन्न जीएसटी रिटर्न के लिए आवश्यक सत्यापन नियंत्रणों पर कुछ अनुशंसाएँ<sup>92</sup> की थीं। यह पुनः दोहराया जाता है कि कर रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सटीकता, अनुपालन एवं अखंडता सुनिश्चित करने के लिए रिटर्न में सत्यापन नियंत्रण स्थापित करना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं:

i. विभाग को जीएसटीआर-9 आंकड़ा की तालिका 8ए के उपयोग को प्रभावी ढंग से जांच प्रक्रिया में एकीकृत करना चाहिए। उचित सत्यापन नियंत्रण के माध्यम से, जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए उन लेनदेन को बाहर करती है जहाँ कर सीमा अवधि के बाद चुकाया गया था; जहाँ आपूर्तिकर्ता ने उस अवधि से संबंधित जीएसटी पहचान संख्या आपूर्ति में संशोधन किया है जब

<sup>92</sup> 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 7 के अध्याय VI में

आपूर्तिकर्ता कंपोजिशन स्कीम के तहत था, आपूर्तिकर्ता के रद्दीकरण की प्रभावी तिथि के बाद के दस्तावेज़; ऐसे बीजक जहाँ आपूर्ति का स्थान एवं आपूर्तिकर्ता का स्थान प्राप्तकर्ता के राज्य से भिन्न है। यदि विभागीय अधिकारियों को उपरोक्त परिदृश्यों में शामिल चालानों की सूची उपलब्ध करा दी जाए, तो जांच प्रक्रिया को एवं बेहतर बनाया जा सकता है। इससे संबंधित अधिकारी आपूर्तिकर्ताओं एवं प्राप्तकर्ताओं, दोनों की जाँच करके विवरण की अधिक व्यापक रूप से जांच कर सकेंगे।

ii. ई-वे बिलों में घोषित प्रविष्टियों एवं स्रोत पर कर कटौती घोषणाओं के बीच संबंध स्थापित करके कर योग्य मूल्यों की कम घोषणा को रोकने के लिए निवारक उपाय लागू किए जा सकते हैं, जैसे कि जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(ए) को जीएसटीआर-7 की तालिका 3 के कॉलम 2 एवं जीएसटीआर-8 की तालिका 3 के कॉलम 4 के साथ संरेखित करना। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करना कि जीएसटीआर-3बी (तालिका 3.1(ए) + (बी)) में दर्ज कर योग्य आपूर्ति एवं शून्य-मूल्यांकित आपूर्ति का योग ई-वे बिलों में घोषित कर देयता से कम न हो, एक एवं नियंत्रण तंत्र के रूप में काम कर सकता है। इसके लिए, रैंज अधिकारी द्वारा सत्यापन या जांच में इसका उपयोग करने के लिए एक हल्की चेतावनी वाला संदेश शुरू किया जा सकता है।

#### अनुशंसाएँ:

10) लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि, समय- बाधित होने से पहले लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई 2,325 (उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं एवं विभाग द्वारा उसकी जांच चल रही है) विसंगतियों एवं विचलनों को विभाग तत्काल आगे बढ़ाए एवं प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु विचलन के कारणों का विश्लेषण करे ताकि इस प्रकार के विचलन दोहराए न जाएं।

अधिकांश समस्याओं के लिए लिपिकीय या मिलान संबंधी त्रुटियों को जिम्मेदार ठहराते हुए, मंत्रालय ने (अप्रैल 2025) कहा कि 49 प्रतिशत मामलों के नमूना सत्यापन पर विभाग को विचलन मूल्य के 85 प्रतिशत में कोई विसंगतियां नहीं मिलीं, मंत्रालय ने कहा कि ये विचलन अपरिष्कृत आंकड़ा विश्लेषण पर आधारित हैं एवं सामग्री राजस्व जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने

के लिए एवं अधिक संवीक्षा की आवश्यकता है। पहले से ही जांच एवं लेखापरीक्षा गतिविधियों में लगे हुए क्षेत्रीय संरचनाओं पर बोझ को भी इसने रेखांकित किया था एवं महत्वपूर्ण राजस्व प्रभाव वाले मामलों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

जहां मंत्रालय ने यह कहा है कि विचलन का बड़ा भाग लिपिक, टाइपोग्राफिकल एवं तत्काल राजस्व प्रभाव के बिना है, वहीं लेखापरीक्षा ने इस बात पर जोर दिया गया है कि विभाग ने कुल ₹ 20,888.68 करोड़ राशि की चूक को स्वीकार किया है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह विचलन प्रणालीगत मुद्दों को उजागर करते हुए जीएसटी प्रणाली में मजबूत सत्यापन नियंत्रण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि लेखापरीक्षा का ध्यान पुष्ट राजस्व हानि के मामलों की पहचान करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अनुपालन एवं नियंत्रण ढांचे में कमियों को दूर करने के लिए भी था। विसंगतियों की बड़ी मात्रा, भले ही वह आंशिक रूप से आंकड़ा प्रविष्टि या मिलान मुद्दों से उत्पन्न हो, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की कमी एवं आंकड़ों की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रणालीगत अधिप्रमाणन की आवश्यकता की ओर इशारा करती हैं।

यह भी बताया गया है कि आयामों में विचलन की पहचान करने के लिए निर्धारित सीमा को उच्च स्तर पर रखा गया था, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल भौतिक विसंगतियों को ही चिह्नित किया जाए। इसके बावजूद, आंतरिक अनुपालन एवं आंकड़ों की सटीकता में गंभीर अंतर को दर्शाते हुए मामले बड़ी संख्या में आए।

#### **अनुशंसा:**

**11) आंकड़ा प्रविष्टि कमियों, करदाता अनुपालन में तेजी एवं बेहतर संवीक्षा हेतु विभाग, जीएसटी विवरणियों के पैरा 4.8.4.5. में इंगित अधिप्रमाणन नियंत्रण शुरू करने पर विचार कर सकता है।**

जीएसटीएन ने कहा (अप्रैल 2025) कि रिटर्न में अधिक अधिप्रमाणन सम्मिलित करने से, रिटर्न दाखिल करने की आसान प्रक्रिया पर इसका

विपरीत प्रभाव पर सकता है। इसके अलावा, ऐसे अधिप्रमाणन बनाने से वास्तविक आंकड़ा प्रविष्टि किनारे तक सीमित हो सकती है एवं इससे राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आगे यह बताया गया कि जहां तक पैरा 4.8.4.5 में उल्लिखित मुद्दों का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि ई-वे बिल/टीडीएस घोषणाओं में घोषित मूल्यों में अंतर के सही कारण हो सकते हैं, एवं इसलिए, जैसा कि उक्त पैराग्राफ में स्वीकार किया गया है, कठोर अधिप्रमाणन की आश्वस्ति नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, विधि समिति द्वारा अनुमोदित मानकों के आधार पर जीएसटीएन बैक-ऑफिस (बीओ) में एक स्वचालित रिटर्न जांच मॉड्यूल (एआरएसएम) विकासाधीन है। पैरा 4.8.4.5 में उठाए गए मुद्दे, अर्थात् बेमेल आईटीसी, एवं ई-वे बिल/टीडीएस/टीसीएस की बेमेल घोषणाएँ जैसा कि रिटर्न के संबंध में है, इन अनुमोदित मापदंडों का हिस्सा हैं।

लेखापरीक्षा इस संबंध में उठाए गए सकारात्मक कदमों या मृदु सजगता को स्वीकार करती है। हालाँकि यह फिर से दोहराया जाता है कि अधिप्रमाणन नियंत्रण या मृदु सजगता यदि विचारपूर्वक डिज़ाइन किए गए हैं तो आंकड़ा प्रविष्टि कमियों एवं सही मामलों या सरल अनुपालन से समझौता किए बिना प्रणालीगत विसंगतियों में काफी सुधार हो सकता है।


#### **4.8.5 जीएसटी रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा**

इस एसएससीए के विस्तृत लेखापरीक्षा भाग में लेखापरीक्षा के उद्देश्य 'यह सुनिश्चित करना कि नियम एवं प्रक्रियाएं कर अनुपालन पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करती हैं एवं करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा है' को संबोधित किया था। इस भाग में, लेखापरीक्षा सत्यापन में करदाताओं के आंकलन रिटर्न पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो आंकड़ा विश्लेषण के माध्यम से विचलन/खतरे के लक्षणों/विसंगतियों के जोखिमों को दर्शाता था।

पूर्व निर्धारित जोखिम कारकों के आधार पर पूरे भारत में 1,106 करदाताओं के रिटर्न का चयन किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कर के संभावित गैर/लघु भुगतान, आईटीसी का अधिक/अनियमित लाभ, गलत छूट

दावे आदि सम्मिलित थे। इक्कीस सीबीआईसी क्षेत्रों में विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चिन्हित नमूनों एवं नमूनों के क्षेत्रवार वितरण को सारणी 4.1 में निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है:

सारणी 4.1: विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए नमूना



नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, अधिकारिता सीमाओं ने लेखापरीक्षा हेतु नमूने के तौर पर चुने गए 1,106 में से 20 मामलों में वित्तीय विवरणों, जीएसटीआर-9सी एवं जीएसटीआर-2ए जैसे बुनियादी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे। इसलिए, इन मामलों में ₹ 914.78 करोड़ की चिन्हित की गई अनुन्मोचित देनदारियों/अनियमित आईटीसी दावों के अंतर्निहित जोखिमों को संबोधित नहीं किया जा सकता था।

विस्तृत लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा ने पाया कि कर दाताओं द्वारा आईटीसी का लाभ उठाने एवं उपयोग करने के साथ-साथ ₹ 2,349.62 करोड़ के कर भुगतान में भी जीएसटी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षित 1,086 मामलों में से 549 मामलों में, जो लेखापरीक्षित मामलों का लगभग 50 प्रतिशत था, आंकलन अभिलेख आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। आंकलन के लिए आवश्यक छोटे अभिलेख जैसे बीजक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आदि लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्षेत्र में सीमाएं आ गयीं थीं। परिणामस्वरूप, आंशिक रूप से प्रस्तुत इन मामलों में, करदाताओं

द्वारा दाखिल किए गए आंकलन रिटर्न्स में उपलब्ध सूचना तक ही लेखापरीक्षा सीमित थी एवं इस पर ₹ 31,517.42 करोड़ राशि के अंतर्निहित जोखिमों की पूरी तरह जांच नहीं की जा सकती थी।

शुरू में अपनाई गई लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, प्रारंभ में एक डेक्स समीक्षा आयोजित करनी थी, जीएसटीआर-9सी के भाग के रूप में करदाताओं द्वारा दायर वित्तीय विवरणों सहित, चयनित जीएसटी रिटर्न्स; एवं बैंक प्रणाली में उपलब्ध अन्य अभिलेखों, जो सीएजी के क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अधिकारियों को प्रदान किए गए सिंगल साइन-ऑन आइडेंटिटी (एसएसओआईडी) के माध्यम से प्रयोग किए जा सकते थे। डेस्क समीक्षा<sup>93</sup> परिणाम के आधार पर, किए जाने वाली लेखापरीक्षा के जांच की सीमा तय की गई एवं चिन्हित जोखिमों के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करने के लिए सीबीआईसी क्षेत्र संरचनाओं में विस्तृत लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। इन मामलों के लेखापरीक्षा सत्यापन में जहां भी आवश्यक हो, संबंधित सीबीआईसी क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से करदाताओं के प्रासंगिक छोटे अभिलेखों तक पहुंचना सम्मिलित था।

जैसा कि डीओआरएफ चरण-1 प्रतिवेदन में रेखांकित किया गया है, जीएसटीआर-9सी के साथ अपलोड किए गए वित्तीय विवरणों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए विभाग को अभी एक तंत्र स्थापित करना है। तथापि, कई मामलों में, हमने देखा कि करदाताओं द्वारा अपलोड किए गए संलग्नक या तो गायब थे या उनमें केवल मूल बैलेंस शीट या लाभ एवं हानि का विवरण शामिल था। इसके अलावा, बहु-स्थान इकाइयों के मामले में, इन विवरणों को अक्सर समेकित किया जाता था, जिससे रिटर्न्स की संवीक्षा के लिए सीमित सहायता मिलती थी।

<sup>93</sup> सीबीआईसी बैंक-एंड जीएसटी आवेदन को दिए गए एसएसओआईडी आधारित रिमोट एक्सेस के माध्यम से क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में डेस्क समीक्षा की गई थी। यह डेस्क समीक्षा लेखापरीक्षा के फोकस क्षेत्र को निर्धारित करने और उन लेन-देन की पहचान करने के लिए की गई जिनमें मूलभूत सत्यापन के लिए संभावित रूप से त्रुटिपूर्ण होने की संभावना है।

#### 4.8.5.1 कार्यक्षेत्र की सीमा

चयनित जीएसटी रिटर्नों के विस्तृत लेखापरीक्षा में कथित जोखिमों को संबोधित करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत आंकलन हेतु, अंतर्निहित छोटे अभिलेखों के मूल सत्यापन की परिकल्पना की गई थी। इस संदर्भ में छोटे अभिलेख, अधिनियम की धारा 35 के तहत निर्दिष्ट सांविधिक अभिलेख हैं। करदाताओं द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं द्वारा उचित आंकलन तथा कर संग्रह सुनिश्चित करने हेतु इन अभिलेखों का सत्यापन आवश्यक था।

#### क) अभिलेखों को प्रस्तुत न करना।

आंचलिक अधिकारितावार के अनुसार अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करना तालिका 4.5 में संक्षेपित किया गया है

तालिका 4.5: क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों के विषय में

अधिकारिता अंचल	कुल नमूना आकार	प्रस्तुत न करने से संदर्भित मामले	आईटीसी/कर देनदारी के अंतर्निहित जोखिम (₹ करोड़ में)
	करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या	
बैंगलूरु	63	3	30.09
भोपाल	87	4	290.59
भुवनेश्वर	46	5	378.53
चेन्नई	95	1	48.45
तिरुअनंतपुरम	38	7	167.12
<b>कुल योग</b>	<b>329</b>	<b>20</b>	<b>914.78<sup>94</sup></b>

जब इस ओर इंगित किया गया (अक्टूबर 2024), तो मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि दो मामलों में, सम्मिलित जोखिम के लिए मांग नोटिस जारी किए गए थे एवं अन्य दो मामलों में, लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे। हालाँकि, रिपोर्टिंग चुनौतियों के कारण लेखापरीक्षा इन मामलों को

<sup>94</sup> जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए में आईटीसी में अंतर के कारण और जीएसटीआर-1, 3बी और 9 में दर्शाई गई कर देयता में अंतर के कारण।

सत्यापित नहीं कर सकी, क्योंकि लेखापरीक्षा पूरी होने के बहुत दिनों बाद अभिलेखों को प्रस्तुत किया गया था।

### ख) आंशिक रूप से प्रस्तुत

आंचलिक अधिकारितावार अभिलेखों को आंशिक रूप से प्रस्तुत करने को तालिका 4.6 में संक्षेपित किया गया है

तालिका 4.6: क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट किए गए अभिलेखों को आंशिक रूप से प्रस्तुत करने से संबंधित

अधिकारिता अंचल	नमूना आकार	आंशिक रूप से प्रस्तुत	आईटीसी/कर देनदारी के अंतर्निहित जोखिम (₹ करोड़ में )
	करदाताओं की संख्या	करदाताओं की संख्या	
अहमदाबाद	40	21	549.18
बेंगलूरु	63	12	1,709.60
भोपाल	87	20	354.13
भुवनेश्वर	46	22	2,950.83
चंडीगढ़	25	15	231.94
चेन्नई	95	8	1054.64
दिल्ली	58	34	2835.56
हैदराबाद	81	40	2299.22
जयपुर	53	38	989.13
तिरुअनंतपुरम	38	9	615.25
कलकत्ता	107	38	617.87
लखनऊ	29	26	1,399.86
मेरठ	47	41	2,560.10
मुंबई	83	65	5,296.79
नागपुर	13	7	15.40
पंचकुला	45	18	1553.59
पुणे	18	6	728.38
रांची	52	52	3,411.60
शिलांग	48	38	270.76
वडोदरा	20	5	1.21
विशाखापटनम	58	34	2072.38
<b>कुल योग</b>	<b>1106</b>	<b>549</b>	<b>31,517.42<sup>95</sup></b>

<sup>95</sup> जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए में आईटीसी में अंतर के कारण और जीएसटीआर-1, 3बी और 9 में दर्शाई गई कर देयता में अंतर के कारण।

जब यह इंगित किया गया (अक्टूबर 2024), तो मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि इनमें से 145 मामलों में लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं। हालाँकि, रिपोर्टिंग चुनौतियों के कारण लेखापरीक्षा इन अभिलेखों को सत्यापित नहीं कर सकी, क्योंकि लेखापरीक्षा पूरी होने के बहुत दिनों बाद अभिलेखों को प्रस्तुत किया गया था।

आंशिक रूप से प्रस्तुत मामलों की अत्यधिक संख्या एवं इन 549 विस्तृत लेखापरीक्षा मामलों में सम्मिलित जोखिमों के संभावित उच्च मौद्रिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि बोर्ड, समय-प्रतिबंधित होने के निकट पहुंचे मामलों को प्राथमिकता के आधार सत्यापित करने के लिए डीजीएआरएम मामलों की तरह एक तंत्र तैयार कर सकता है।

#### अनुशंसा:

**12) लेखापरीक्षा समनुदेशन के संचालन के दौरान करदाताओं से संबन्धित अभिलेखों को विभाग समय पर उपलब्ध करा सकता है अन्यथा यह जीएसटी राजस्व की लेखापरीक्षा के दायरे को काफी सीमित कर देता है।**

मंत्रालय ने (अप्रैल 2025) कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए दस्तावेज/विवरण करदाताओं के पास उपलब्ध हैं एवं कभी-कभी करदाता अभिलेख देने से इनकार कर देते हैं। सत्यापन के प्रत्येक मामले में करदाता से दस्तावेज मांगना एक दखल देने वाली प्रक्रिया है एवं इससे करदाता पर अनुपालन बोझ के साथ-साथ क्षेत्रीय अधिकारियों पर कार्यभार भी बढ़ जाता है।

मंत्रालय की अभ्युक्ति स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान मांगे गए दस्तावेज सीजीएसटी अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत निर्दिष्ट सांविधिक अभिलेख हैं, एवं सरकारी खाते में देय जीएसटी के आंकलन हेतु आवश्यक हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत सीएजी को राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने का अधिदेश है ताकि वह आश्वस्त हो सके कि राजस्व के आंकलन, संग्रह एवं उचित आवंटन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए नियम एवं प्रक्रियाएं बनाई गई हैं।

#### 4.8.5.2 जीएसटी रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा -लेखापरीक्षा निष्कर्ष

जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में करदाताओं को मुख्यतः अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत दाखिल किए गए स्व-मूल्यांकन रिटर्न से अवगत कराया जाता है। आईटीसी का लाभ उठाने एवं उपयोग करने, कर देयता का आंकलन करने एवं देय करों के निर्वहन की शुद्धता का मूल्यांकन करके, लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न की सत्यता की पुष्टि की थी। इस भाग के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को क) जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एवं भुगतान, ख) आईटीसी का उपयोग एवं ग) कर देयता के निर्वहन जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करके निम्न प्रकार से चर्चा की गई है:

#### क) जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एवं भुगतान पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

पंजीकृत व्यक्ति को व्यवसाय के प्रकार के आधार पर मासिक या त्रैमासिक जीएसटी रिटर्न एवं वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा। जीएसटीआर-1 रिटर्न में मासिक रूप से दाखिल की जाने वाली वस्तु एवं सेवा की बाह्य आपूर्ति का बीजक-वार विवरण होता है (₹ पाँच करोड़ तक के कुल बिक्री की सीमा वाले करदाताओं के लिए त्रैमासिक आधार पर)। जीएसटीआर-3बी रिटर्न एक सारांश रिटर्न है जो किसी विशेष कर अवधि के लिए जीएसटी देनदारियों का सारांश घोषित करता है। इस रिटर्न में करदाता द्वारा की गई बाह्य आपूर्ति का सारांश, उस पर जीएसटी देयता, आंतरिक आपूर्ति पर करदाता के लिए पात्र आईटीसी, कर देयता के भुगतान के लिए समायोजित आईटीसी, तथा किए गए कर भुगतान शामिल होते हैं। इस प्रकार जीएसटीआर-3बी रिटर्न, संबंधित कर अवधि के लिए करदाताओं द्वारा घोषित कर देयता का स्व-मूल्यांकन है। इसके अतिरिक्त, जीएसटीआर-9 रिटर्न में मासिक रिटर्न के वार्षिक सारांश, पूरे वर्ष के लिए लेन-देन पर अद्यतन जानकारी प्रदान करना, जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2बी एवं जीएसटीआर-3बी रिटर्न का सारांश प्रदान करना सम्मिलित है। इन रिटर्न्स के अतिरिक्त, लेखा पुस्तकों के साथ रिटर्न में प्रतिवेदित लेन-देन के मिलान हेतु जीएसटीआर-9सी प्रारूप में मिलान विवरण दाखिल करना आवश्यक है।

इन आंकलन रिटर्नों को दाखिल करने के लिए निर्धारित समय-सीमा में किसी भी प्रकार के विचलन का सरकार को मिलने वाले राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा एवं

इस प्रकार रिटर्न दाखिल करने एवं कर भुगतान में विलंब, अधिनियम में परिकल्पित दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करता है। रिटर्न फाइलिंग एवं कर भुगतान पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण नीचे दिया गया है:

### 1. करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, स्वयं ब्याज का भुगतान ऐसी दर से करें जो अठारह प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि परिषद की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। सीजीएसटी नियमों के नियम 61(2), 87(6) एवं 87(7) के साथ पठित अधिनियम की धारा 39(7), 49 एवं 50(1) के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में केवल राशि जमा करना ही कर का भुगतान नहीं है, बल्कि जब जीएसटीआर-3बी दाखिल की जाती है, तब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा राशि को कर के भुगतान के लिए डेबिट किया जाता है। इस प्रकार, ऐसे सभी मामलों में ब्याज देनदारी अपरिहार्य है जहां रिटर्न नियत तिथि के बाद दाखिल किया गया था।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण किए गए 324 मामले, जो लेखापरीक्षित किए गए कुल 1,086 मामलों का 30 प्रतिशत हैं, में पाया गया कि करदाताओं ने कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान नहीं किया था या आईटीसी क्रेडिट का गलत उपयोग किया था। इन मामलों में सरकार को देय कुल ब्याज ₹63.92 करोड़ है।

जब इस ओर इंगित किया गया तो मंत्रालय/विभाग ने ₹ 54.98 करोड़ के मूल्य वाले 190 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिसमें से 121 मामलों में ₹ 4.27 करोड़ की वसूली की गई थी। शेष 134 मामलों में जवाब प्रतीक्षित/खंडन किया गया था। कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

**i कर देयता पर ब्याज के भुगतान की घोषणा प्रासंगिक कर अवधि में नहीं किया जाना**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार, वस्तु पर कर का भुगतान करने की देयता आपूर्ति के समय आवश्यक होगी जो कि निम्न में से जो भी पहले हो, होगी:

- क) आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि अथवा आपूर्ति के संबंध में बीजक जारी करने की अपेक्षित अंतिम तिथि; या
- ख) जिस तिथि को आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति के संबंध में भुगतान प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50(1) के परंतुक के अनुसार, धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार नियत तिथि के पश्चात्, उक्त अवधि के लिए रिटर्न में घोषित एवं कर अवधि के दौरान की गई आपूर्ति के संबंध में देय कर पर ब्याज; उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् ऐसा रिटर्न प्रस्तुत किए जाने के अलावा, कर के उस भाग पर देय होगा जिसका भुगतान इलैक्ट्रॉनिक नकद बही जमा करके किया जाता है। हालाँकि, कर अवधि के दौरान भुगतान योग्य कर के लिए ब्याज, जिसका विवरण उक्त कर अवधि के रिटर्न में घोषित नहीं किया गया है, की गणना संपूर्ण देनदारी के लिए की जाएगी।

चेन्नई दक्षिण आयुक्तालय के अधिकारिता में आने वाला एक करदाता, अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहनों एवं पुर्जों की आपूर्ति करता है। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि यद्यपि करदाता ने अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर आपूर्ति के लिए बीजक जारी कर दिए थे, लेकिन वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए प्रासंगिक कर अवधि हेतु दाखिल रिटर्न में वह विवरण घोषित नहीं किए गए थे। इन बीजकों का विवरण बाद की कर अवधि में घोषित किया गया था एवं 30 दिनों से 550 दिनों तक के विलंब के साथ कर देनदारी का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, करदाता को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 (1) के अनुसार कर के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा, साथ ही संपूर्ण देनदारी पर

ब्याज भी देना होगा, क्योंकि देनदारी उस कर अवधि में घोषित नहीं की गई थी जिससे यह संबंधित है। इस मामले में भुगतान योग्य ब्याज ₹18.64 करोड़ है। इस ओर इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), मंत्रालय ने उत्तर दिया कि (अप्रैल 2025) इस संबंध में जारी नोटिस को मांग की पुष्टि करते हुए अधिनिर्णित (अप्रैल 2024) किया गया था।

## ii आईटीसी रिवर्सल पर ब्याज का भुगतान न करना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (2) के अंतर्गत परंतुक 2 में कहा गया है कि जहां कोई प्राप्तकर्ता उस आपूर्ति के अलावा जिस पर कर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर भुगतान योग्य है, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में विफल रहता है, आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तिथि से 180 दिनों की अवधि के भीतर आपूर्ति के मूल्य की राशि एवं उस पर कर का भुगतान, प्राप्तकर्ता द्वारा लाभ उठाए गए आईटीसी के बराबर राशि को धारा 50 (3) के अंतर्गत भुगतान योग्य ब्याज के साथ उसकी आउटपुट कर देनदारी में जोड़ा जाएगा। नियम 88बी (3) के अनुसार, गलत तरह से लाभ उठाए गयी एवं उपयोग की गयी ऐसी आईटीसी के, इस तरह के उपयोग करने की तिथि से शुरू होकर ऐसे क्रेडिट के रिवर्सल की तिथि तक या ऐसी राशि के संबंध में कर के भुगतान तक की अवधि के लिए, ब्याज की गणना की जाएगी।

जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (2) के दूसरे परंतुक में निर्धारित किया गया था, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय के अधिकारिता के अंतर्गत एक करदाता ने उन आपूर्तियों पर आईटीसी के दावे को रिवर्स कर दिया, जिसके लिए बीजक जारी होने की तिथि से निर्धारित 180 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं किया गया था। जैसा कि वार्षिक रिटर्न में दर्शाया गया है, इस संबंध में करदाता ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए ₹ 40.77 करोड़ की कुल आईटीसी राशि रिवर्स कर दी थी। तथापि, चूंकि करदाता ने आईटीसी का पूर्ण उपयोग कर लिया है, इसलिए अधिनियम की धारा 50(3) के अंतर्गत ₹2.79 करोड़ की ब्याज देयता का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस ओर इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024) मंत्रालय ने

उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि जनवरी 2024 में जारी मांग नोटिस ने अप्रैल 2024 में मांग की पुष्टि की है।

**ख) आईटीसी के उपयोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जिसका उपयोग उसके व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है या किया जाना है एवं उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा आईटीसी<sup>96</sup> का उपयोग बाह्य आपूर्ति पर कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है, ताकि करों के व्यापक प्रभाव से बचा जा सके।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(2) एवं 17, आईटीसी का लाभ उठाने के लिए पात्रता एवं शर्तें निर्धारित करती हैं। सीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी / यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है एवं एसजीएसटी / यूटीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए 1,086 मामलों में, अनियमित रूप से लाभ उठाए गए आईटीसी; अपात्र आपूर्तियों पर किए गए आईटीसी दावे; आईटीसी का गैर या कम रिवर्सल तथा आईटीसी का अत्यधिक लाभ उठाना के कारण 253 मामलों में ₹1,693.72 करोड़ का अनुपालन विचलन पाया गया था।

<sup>96</sup> आईटीसी अर्थात् इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या उसके उसके विस्तार में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया जीएसटी। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग बाहरी आपूर्ति पर करों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।

## 1. आईटीसी का अनियमित लाभ उठाना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(2) आईटीसी का लाभ उठाने के लिए शर्तें निर्धारित करती हैं। आईटीसी का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं:

- करदाता के पास कर बीजक या कोई ऐसा कर भुगतान दस्तावेज होना चाहिए जो निर्धारित किया गया हो।
- करदाता को वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त हो गई हैं।
- ऐसी आपूर्ति के संबंध में प्रभारित कर का भुगतान वास्तव में सरकार को नकद में या उक्त आपूर्ति के संबंध में ग्राह्य आईटीसी के माध्यम से किया गया है।
- करदाताओं ने आईटीसी का लाभ उठाने के लिए रिटर्न प्रस्तुत किया है।
- कर के साथ वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान, आपूर्तिकर्ता को बीजक जारी होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

सीजीएसटी नियमों के नियम 36 में आईटीसी का दावा करने के लिए दस्तावेजी आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं। करदाता (क) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी बीजक, (ख) प्राप्तकर्ता द्वारा कर भुगतान के प्रमाण के साथ जारी बीजक, (ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी डेबिट नोट, (घ) सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रविष्टि बिल या इसी तरह का दस्तावेज, (ड) परिशोधित बीजक एवं (च) आईएसडी द्वारा जारी दस्तावेज के आधार पर आईटीसी का लाभ उठा सकता है। तथापि, जिस वर्ष से बीजक संबंधित है, या वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि, जो भी पहले हो, उसके अगले वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह के बाद आईटीसी का लाभ नहीं लिया जाएगा।

आगे, आईटीसी का गलत तरीके से लाभ उठाने से रोकने के लिए, सीबीआईसी ने अधिसूचना संख्या 49/2019-केंद्रीय कर, दिनांक 9 अक्टूबर 2019 द्वारा सीजीएसटी नियम 36(4) प्रस्तुत किया। नियम यह निर्धारित करता है कि धारा 37 (1) के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपलोड नहीं किए गए बीजकों या डेबिट नोट्स, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए बीजक या डेबिट

नोटों के लिए पात्र क्रेडिट का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सीबीआईसी ने इस सीमा को परिशोधित करके 10 प्रतिशत (जनवरी 2020 से दिसंबर 2020) एवं पाँच प्रतिशत (जनवरी 2021 से दिसंबर 2021) कर दिया। इसे क्रमशः अधिसूचना संख्या 75/2019-केंद्रीय कर दिनांक 26 दिसंबर 2019 एवं 94/2020-केंद्रीय कर दिनांक 22 दिसंबर 2020 के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने 1,086 मामलों में से 187 मामलों में अनुपालन कमियों को पाया, जहां करदाताओं ने ₹ 1,428.80 करोड़ के अनियमित आईटीसी का लाभ उठाया था। ये कमियां मुख्य रूप से समय-बाधित दस्तावेज़ पर लिए गए क्रेडिट, वस्तु की प्राप्ति के बिना क्रेडिट का दावा, सीमा अवधि के बाद दाखिल रिटर्न में क्रेडिट का दावा एवं कर का भुगतान किए बिना क्रेडिट का दावा करने के कारण थीं।

जब यह इंगित किया गया, मंत्रालय /विभाग ने ₹ 815.52 करोड़ के मौद्रिक मूल्य से संबन्धित 143 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार कीं जिसमें से 37 मामलों में ₹ 10.11 करोड़ की राशि वसूल की गई थी। शेष 44 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित/खंडन किया गया था।

आईटीसी के उपयोग के निष्कर्षों पर कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

**i. आपूर्ति पर कर का भुगतान किए बिना आईटीसी का लाभ उठाया गया**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(1)(सी)के अनुसार, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं की किसी आपूर्ति या दोनों के संबंध में किसी भी इनपुट कर के क्रेडिट का हकदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसी आपूर्ति के संबंध में लगाया गया कर वास्तव में या तो नकद में या उक्त आपूर्ति के संबंध में स्वीकार्य आईटीसी के उपयोग के माध्यम से सरकार को भुगतान नहीं किया गया हो। वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए, सूरत आयुक्तालय के अधिकारिता में आने वाले किसी करदाता द्वारा दावा किए गए इनपुट कर के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि जहां विक्रेताओं ने अपना जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया था, वहाँ करदाता ने आपूर्ति

पर आईटीसी का दावा किया था। उक्त अवधि के दौरान ₹ 0.62 करोड़ की कुल आईटीसी का दावा किया गया था, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता ने कर का भुगतान नहीं किया था। इस ओर इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023), मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि ₹ 0.28 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 0.62 करोड़ की वसूली की गयी थी।

## ii. मासिक/वार्षिक रिटर्न में लाभ उठाई गयी अतिरिक्त आईटीसी

जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए, संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने जीएसटीआर-1 में घोषित सभी आईटीसी को एकत्रित करते हुए करदाता के जीएसटीआर 2-ए रिटर्न की तालिका 3,4,5 एवं 6 से स्वतः प्राप्त आईटीसी को दर्शाती है। यह आयात एवं आवक आपूर्ति के लिए देय प्रतिलोम प्रभार के अलावा उपलब्ध कुल क्रेडिट को दर्शाता है, लेकिन इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों से प्राप्त सेवाएं शामिल हैं, जो उस वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं जिसके लिए रिटर्न है। हालाँकि, यह उन मामलों को प्रतिबिंबित नहीं करता है जहाँ जीएसटीआर-1 को सीमा अवधि के बाद दाखिल किया गया था, या जहाँ आपूर्ति के स्थान के बीजक, प्राप्तकर्ता की स्थिति एवं रद्द करने की प्रभावी तिथि के बाद जारी बीजक से भिन्न होते हैं।

लेखापरीक्षा ने रिटर्न स्तर की तुलना में पाया कि करदाताओं द्वारा मासिक एवं वार्षिक रिटर्न पर अतिरिक्त आईटीसी का दावा किया गया था। सूरत आयुक्तालय की अधिकारिता में एक करदाता एवं बेंगलूर उत्तर आयुक्तालय की अधिकारिता में एक अन्य करदाता के संबंध में क्रमशः 2018-19 से 2020-21 एवं 2018-19 से 2019-20 के बीच की अवधि के दौरान ₹399.44 करोड़ एवं ₹375.97 करोड़ की राशि के दो उच्च मूल्य विचलन इस श्रेणी में पाए गए हैं।

जब इस ओर इंगित किया गया (अक्टूबर 2023 एवं मार्च 2024) तो विभाग ने सूरत आयुक्तालय के अधिकारिता में आने वाले करदाता के मामले में एससीएन (दिसंबर 2023) जारी किया था। बेंगलूर उत्तर आयुक्तालय की अधिकारिता में आने वाले करदाता के मामले में मंत्रालय ने अभ्युक्ति अस्वीकार (अप्रैल 2025) करते हुए ये कहा कि जीएसटीआर-3बी में गलत वर्गीकरण के कारण आईटीसी का अतिरिक्त लाभ उठाया गया था, जिन्हें

जीएसटीआर-9 में सुधारा गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखाओं की पुस्तकों में सीमा शुल्क रिवर्सल प्रतिबिंबित नहीं किया गया जिससे भिन्नता उत्पन्न हुई। मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि करदाता द्वारा लाभ उठाये गए अतिरिक्त आईटीसी का निर्धारण करते समय ही इन कारणों को ध्यान में रखा गया था।

## 2. आईटीसी का अनुचित लाभ उठाना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर आईटीसी का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जिनका उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के मंतव्य से किया जाता है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) उन वस्तुओं एवं आपूर्तियों की सूची प्रदान करती है जिन पर आईटीसी का लाभ नहीं उठाया जा सकता है सिवाय इसके कि जब बाह्य कर योग्य आपूर्ति, सेवाओं की समान श्रेणी की हो।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 18 में स्टॉक में रखे गए इनपुट के संबंध में इनपुट कर के क्रेडिट एवं ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति ने उस तिथि से 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन किया है जिस दिन वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाता है, उस तिथि के ठीक पहले दिन स्टॉक में रखे अर्ध-तैयार या तैयार वस्तुओं में निहित इनपुट का लाभ उठाने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने 1,086 मामलों में से 42 मामलों में गैर-अनुपालन पाया, जहां करदाताओं ने ₹ 248.04 करोड़ के अपात्र आईटीसी का लाभ उठाया था। ये कमियां मुख्य रूप से कार्य निविदा आपूर्ति; उन वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति जिनका उपयोग व्यवसाय के लिए नहीं किया गया था; या निरुद्ध/गैर अनुमत वस्तुओं पर आईटीसी का लाभ उठाने के कारण थीं।

इस ओर इंगित करने पर मंत्रालय/विभाग ने ₹ 213.80 करोड़ के मौद्रिक मूल्य से जुड़े 33 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, जिनमें से 15 मामलों में ₹ 2.94 करोड़ की वसूली की गई थी। शेष नौ मामलों में उत्तर प्रतीक्षित/खंडन किया गया था। अपात्र आईटीसी का लाभ उठाने के कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दर्शाये गए हैं:

**i. कार्य निविदा आपूर्ति पर आईटीसी का लाभ उठाया गया**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) (सी) के अनुसार, अचल संपत्ति (संयंत्र एवं मशीनरी के अलावा) के निर्माण के लिए आपूर्ति किए जाने पर कार्य निविदा सेवाओं के संबंध में आईटीसी उपलब्ध नहीं होगी, सिवाय इसके कि जहां यह भविष्य की कार्य निविदा सेवाओं की आपूर्ति हेतु एक इनपुट सेवा हो। उप-धारा (डी) में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा अपने खाते पर किसी अचल संपत्ति (संयंत्र या मशीनरी के अलावा) के निर्माण के लिए प्राप्त वस्तुएं या सेवाएं या दोनों, जिसमें ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों भी शामिल हों जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, को अपात्र माना जाएगा।

क) रिफाइनरी स्थापित करने के भाग के रूप में, भुवनेश्वर आयुक्तालय के अधिकारिता में आने वाले एक करदाता ने कच्चे तेल एवं तैयार उत्पादों के लिए टैंक (भंडारण) सुविधा के निर्माण के साथ-साथ महानदी नदी से रिफाइनरी तक पाइप जल परिवहन के निर्माण हेतु दो करदाताओं के साथ बीओओटी<sup>97</sup> समझौते किए थे। सुविधा के संचालन एवं रखरखाव के लिए मासिक शुल्क के साथ, आपूर्तिकर्ता पूर्ण टैंक सुविधाओं एवं जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के विकास हेतु पूंजी पर रिटर्न के मासिक नियत शुल्क के हकदार थे। यह पाया गया कि करदाता, पूंजी के रिटर्न के लिए मासिक नियत शुल्क पर लगने वाले आईटीसी का दावा कर रहा था।

चूंकि करदाता द्वारा आबंटित भूमि पर संपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया था, जिसे यथास्थिति, संविदा की समाप्ति या समय से पहले समाप्ति पर करदाता को सौंपा जाना था, इसका निर्माण सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) के प्रावधानों के अनुसार, कार्य निविदा की भविष्य की आपूर्ति हेतु इनपुट सेवा के रूप में नहीं किया जा सकता है।

---

<sup>97</sup> निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) एक प्रकार का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल है जिसका उपयोग आमतौर पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए किया जाता है। बीओओटी व्यवस्था में, एक निजी संस्था एक निश्चित अवधि के लिए बुनियादी ढांचे के डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी लेती है।

2018-19 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान इस मामले में, करदाता द्वारा दावा किया गया अपात्र क्रेडिट ₹ 121.82 करोड़ है। जब यह मामला विभाग के संज्ञान में लाया गया (जनवरी 2024) तो विभाग ने अभ्युक्तियों को स्वीकार करके एससीएन (जनवरी 2024) जारी किया था। मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि अप्रैल 2024 में इसे अधिनिर्णित किया गया था।

ख) एक करदाता, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय की अधिकारिता के अंतर्गत बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति करता है। करदाता द्वारा दावा किए गए आईटीसी के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि करदाता ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान परिसर से संबंधित निर्माण/आंतरिक कार्य से संबंधित कार्य निविदा सेवाओं के संदर्भ में आईटीसी का दावा किया था। चूंकि करदाता कार्य निविदा सेवाओं की आगे की आपूर्ति में संलग्न नहीं है, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार ऐसी सेवाएं आईटीसी के लिए पात्र आपूर्ति नहीं हैं, इसलिए इस मामले में करदाता द्वारा दावा किया गया अपात्र आईटीसी ₹ 26.9 करोड़ था। जब इस ओर इंगित किया गया (दिसंबर 2023), तो मंत्रालय/विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (अप्रैल 2025) को स्वीकार किया एवं कहा कि इस संबंध में जारी एससीएन को मांग की पुष्टि करते हुए अधिनिर्णित किया गया था तथा ₹ 1.83 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी।

**ii. इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा वितरित क्रेडिट पर लाभ उठाये गए अतिरिक्त आईटीसी**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 20(1) में यह प्रावधान है कि आईएसडी, वितरित की जा रही आईटीसी राशि से युक्त दस्तावेज जारी करके केन्द्रीय कर या एकीकृत कर के क्रेडिट का वितरण करेगा। धारा 20 (2) में कहा गया है कि आईएसडी उन शर्तों के अधीन क्रेडिट वितरित कर सकता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त भी शामिल है कि वितरित क्रेडिट की राशि वितरण के लिए उपलब्ध क्रेडिट की राशि से अधिक नहीं होगी।

नवी मुंबई आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता ने अपने आईएसडी द्वारा वितरित ऋण के आधार पर आईटीसी का दावा किया था। वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान आईएसडी वितरण पर करदाता द्वारा ₹ 77.95 करोड़ की

कुल आईटीसी का दावा किया गया था। हालाँकि, सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि इस अवधि के दौरान आईएसडी द्वारा वितरित कुल इनपुट कर केवल ₹ 27.9 करोड़ था, जैसा कि आईएसडी द्वारा दाखिल जीएसटीआर-6<sup>98</sup> रिटर्न से पाया गया था। इस तरह, करदाता ने आईएसडी द्वारा वितरित क्रेडिट से अधिक आईटीसी का दावा किया था। इस मामले में करदाता द्वारा दावा की गई अतिरिक्त राशि ₹ 75.16 करोड़ है। जब इस ओर इंगित किया गया (नवंबर 2023), तो मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि अतिरिक्त क्रेडिट के मांग की पुष्टि करते हुए इस संबंध में जारी एससीएन को अप्रैल 2024 में अधिनिर्णित किया गया था।

**iii. व्यक्तिगत उपभोग हेतु उपयोग की जाने वाली सेवाओं पर आईटीसी का लाभ उठाया गया।**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) (जी) के अनुसार, व्यक्तिगत उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में आईटीसी उपलब्ध नहीं होगी।

कोच्चि आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता ने 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि के लिए अपने कर्मचारियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने पर ₹1.20 करोड़ की आईटीसी राशि का अनियमित रूप से लाभ उठाया। चूंकि आवासीय सुविधाओं की आपूर्ति कर्मचारियों के व्यक्तिगत उपभोग के लिए थी, इसलिए यह इनपुट टैक्स लाभ का पात्र नहीं था। इस ओर इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), मंत्रालय ने (अप्रैल 2025) में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया एवं कहा कि अतिरिक्त क्रेडिट के मांग की पुष्टि करते हुए इस संबंध में जारी एससीएन को अप्रैल 2024 में अधिनिर्णित किया गया था।

**3. आईटीसी का नॉन रिवर्सल/ शॉर्ट रिवर्सल**

सीजीएसटी नियमों के नियम 42 एवं 43 के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार, जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से शून्य-रेटेड आपूर्ति सहित कर

---

<sup>98</sup> जीएसटीआर-6 आईएसडी द्वारा दाखिल किया गया मासिक रिटर्न है जिसमें आईटीसी के वितरण के लिए जारी दस्तावेजों का विवरण होता है।

योग्य आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए एवं आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, क्रेडिट की राशि इनपुट कर के इतने हिस्से तक सीमित होगी जो शून्य-रेटेड आपूर्ति सहित उक्त कर योग्य आपूर्ति के परिणामस्वरूप है।

लेखपरीक्षा ने 1,086 मामलों में से 24 में गैर-अनुपालन पाया, जहां सीजीएसटी नियमों के नियम 42 एवं 43 के गलत आवेदन एवं नियम 37 के अंतर्गत भुगतान योग्य ट्रेड पर आईटीसी के नॉन-रिवर्सल के कारण करदाताओं ने ₹16.88 करोड़ की आईटीसी को या तो रिवर्स नहीं किया था या कम रिवर्स किया था।

जब इस ओर इंगित किया गया तो विभाग ने ₹16.61 करोड़ राशि से जुड़े 20 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया, जिनमें से आठ मामलों में ₹0.08 करोड़ की वसूली की गई थी। शेष चार मामलों में उत्तर प्रतीक्षित/खंडन किया गया था। एक उदाहरणात्मक मामला निम्नलिखित है:

**i. छूट/शून्य दर वाली आपूर्ति पर लागू आईटीसी का नॉन-रिवर्सल**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्यों के लिए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में आईटीसी के निर्धारण एवं उसके रिवर्सल का तरीका सीजीएसटी नियमों के नियम 42(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाएगा।

चेन्नई उत्तर आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता अध्याय शीर्ष 0401 के अंतर्गत दूध से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति करता है। आपूर्ति किए गए कुछ उत्पादों पर जीएसटी की दर शून्य होती है जबकि अन्य उत्पादों पर जीएसटी की दर 5 या 12 प्रतिशत होती है। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया था कि करदाता ने वर्ष 2018-19 के लिए अपने वार्षिक रिटर्न में ₹20.46 करोड़ के शून्य दर /छूट प्राप्त वस्तुओं की कुल बिक्री घोषित की थी, तथापि, सीजीएसटी नियमों के नियम 42 के अनुसार छूट प्राप्त आपूर्ति पर लागू आईटीसी का रिवर्सल, जिसकी आनुपातिक गणना<sup>99</sup> ₹1.96 करोड़ पर की गयी

<sup>99</sup> छूट प्राप्त आवर्त/कुल आवर्त X सामान्य आईटीसी

थी, नहीं किया गया था। जब इस ओर इंगित किया गया (दिसंबर 2023), तो मंत्रालय ने अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए कहा (अप्रैल 2025) कि मांग की पुष्टि करते हुए इस संबंध में जारी एससीएन को अधिनिर्णित (अप्रैल 2024) किया गया था।

### ग) कर देनदारी के निर्वहन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

जीएसटी में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति कर योग्य है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9, मानव उपभोग के लिए शराब की आपूर्ति को छोड़कर सभी अंतर-राज्यीय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर सीजीएसटी के उगाही एवं संग्रहण को प्राधिकृत करने वाली धारा है। कर योग्य आपूर्ति का मूल्य अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है, तथा यह 20 प्रतिशत से अधिक की दर पर नहीं होता है, जैसा कि जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अंतरराज्यीय वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर आईजीएसटी उगाही एवं संग्रहण केंद्र सरकार के पास निहित है, जिसकी अधिकतम सीमा 40 प्रतिशत दर की है।

इसी प्रकार, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (3) एवं 9 (4) तथा आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (3) एवं 5 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर प्रतिलोम प्रभार लगाने का प्रावधान है, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता के बजाय जीएसटी के भुगतान के लिए प्राप्तकर्ता उत्तरदायी होगा।

एक हजार छियासी मामलों में, लेखापरीक्षा ने ₹591.98 करोड़ राशि के अनुपालन विचलन के 164 मामले पाये, जहां आपूर्ति पर करदाताओं ने या तो कर का भुगतान नहीं किया था या कम भुगतान किया था। आपूर्ति का गलत वर्गीकरण, कर योग्य आपूर्ति को बाहर रखना, छूट का गलत लाभ उठाना, आपूर्ति का कम मूल्यांकन एवं आपूर्ति के समय एवं आपूर्ति के स्थान का पालन न करना आदि में मुख्य रूप से कमियां पायी गई थीं।

## 1. आपूर्ति का गलत वर्गीकरण

वस्तुओं की आपूर्ति पर कर की दर इसके वर्गीकरण, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (एचएसएन कोड<sup>100</sup> पर आधारित) एवं इसकी व्याख्या के लिए जारी अधिसूचनाओं<sup>101</sup> पर आधारित है।

वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण तीन मामलों में ₹9.39 करोड़ की राशि का अनुपालन विचलन लेखापरीक्षा में पाया गया था। जब इस ओर इंगित किया गया तो विभाग ने ₹8.92 करोड़ मूल्य से जुड़े दो मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया एवं शेष एक मामले में उत्तर प्रतीक्षित है। एक उदाहरणात्मक मामला निम्नलिखित है:

एचएसएन की व्याख्या के नियम सामान्य व्याख्यात्मक नियमों (जीआईआर) में दिए गए हैं।, जीआईआर के नियम 1 के अनुसार, वस्तुओं का वर्गीकरण शीर्ष की शर्तों एवं अनुभाग/अध्याय नोट्स के अनुसार निर्धारित किया जाना है। तदनुसार, अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले रेलवे या ट्रामवे रोलिंग स्टॉक एवं हिस्सों एवं उसके सहायक उपकरणों के अलावा अन्य वाहनों को इस अध्याय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है। एक मामले में, बंगलूर पश्चिम केंद्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत मोटर वाहनों, पुर्जों एवं सहायक उपकरणों की आपूर्ति में करने वाले एक करदाता ने कुछ वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 87 के बजाय अन्य अध्यायों के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया था, जहां जीएसटी की दर कम थी। यह जीआईआर<sup>102</sup> एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय<sup>103</sup> के उस निर्णय के विरुद्ध था जिसमें कहा गया था कि अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले भाग केवल तभी अध्याय 87 में सम्मिलित किए जाएंगे जब वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे:

<sup>100</sup> एचएसएन- 'हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित की गई है और इसे वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए वैश्विक मानक माना जाता है।

<sup>101</sup> संख्या 1/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 और 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017

<sup>102</sup> धारा XVII का नोट 2

<sup>103</sup> मैसर्स इंटेल डिज़ाइन सिस्टम (इंडिया) प्रा. लि. (2008 (223) ईएलटी 135 (एससी) के मामले में,

- उन्हें केवल या मुख्य रूप से अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग के लिए उपयुक्त माना जाना चाहिए; तथा
- उन्हें धारा नोट XVII के प्रावधानों से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

इस मामले में दोनों शर्तें पूरी हुई थीं। इसलिए, करदाता द्वारा अपनाया गया वर्गीकरण गलत था एवं इस प्रकार, 2018-19 से 2020-21 तक के वर्षों के दौरान पुर्जों<sup>104</sup> एवं सहायक उपकरणों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹8.58 करोड़ का कर भुगतान कम हुआ था। इस ओर इंगित करने पर (नवंबर 2023), मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि ₹8.58 करोड़ के विभेदक कर की मांग करते हुए दिसंबर 2023 में एससीएन जारी कर दिया गया था।

## 2. आपूर्ति का अपवर्जन

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 में आपूर्ति को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इसमें वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सभी प्रकार शामिल हैं, जैसे बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान, जो किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के प्रतिफल के रूप में किया जाता है या करने पर सहमति होती है। इसमें प्रतिफल हेतु सेवाओं का आयात भी शामिल है, चाहे वह व्यवसाय के दौरान हो या विस्तार के लिए हो। यह एक समावेशी परिभाषा है जिसके मुख्य सिद्धान्त हैं (1) आपूर्ति, वस्तुओं या सेवाओं की होनी चाहिए, (2) किसी प्रतिफल के लिए आपूर्ति की जानी है, (3) आपूर्ति व्यवसाय के क्रम में या उसे आगे बढ़ाने के लिए की जानी है, (4) कर योग्य व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की जानी चाहिए (5) आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति होनी चाहिए, एवं (6) आपूर्ति कर योग्य दायरे के भीतर की जानी चाहिए। अनुसूची I में कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट किया गया है जो बिना प्रतिफल के ही बनी थीं, उन्हें आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। अनुसूची II कुछ गतिविधियों या लेन-देनों को वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में निर्दिष्ट करती है।

---

<sup>104</sup> कृत्रिम चमड़ा: 4115, सुरक्षा काँच: 7007, टैंक, कास्क 7310 आदि

लेखापरीक्षा ने 1,086 मामलों में से 68 में अनुपालन विचलन पाया, जिसमें ₹70.90 करोड़ के कर का भुगतान न करना सम्मिलित था, जहां करदाता ने आपूर्ति को कर योग्य कुल बिक्री से बाहर रखा था, जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं किया गया था।

जब इस ओर इंगित किया गया तो विभाग ने ₹35.20 करोड़ राशि से जुड़े 54 मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया, जिनमें से ₹0.34 करोड़ की राशि से जुड़े 18 मामलों में वसूली की गई थी। शेष 14 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित/खंडन किया गया था। कुछ उदाहरणात्मक मामले निम्नलिखित हैं:

**i. कार्य निविदा आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान न करना**

अधिसूचना संख्या 3/2022-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 जुलाई 2022 द्वारा संशोधित किया गया अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 ने सड़क निर्माण से संबंधित कार्य निविदा की समग्र आपूर्ति के लिए 12 प्रतिशत की जीएसटी दर निर्धारित की थी। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(31) के अनुसार, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से संबन्धित प्रतिफल में, प्राप्तकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में, प्रतिक्रिया में या प्रलोभन के लिए किए गए या किया जाने वाला कोई भी भुगतान सम्मिलित है, चाहे वह नकद में हो या अन्यथा, लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सब्सिडी शामिल नहीं होगी। इसलिए, आवश्यक नहीं है कि आपूर्ति के लिए प्रतिफल प्राप्तकर्ता की ओर से ही आए, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भी हो सकता है।

बैंगलूरु उत्तर-पश्चिम आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत समझौते के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-13 (एनएच-13) परियोजना के विस्तार के निर्माण के लिए कार्य निविदा सेवाएं प्रदान की थीं। यह संविदा डीबीएफओटी<sup>105</sup> मॉडल के

<sup>105</sup> डीबीएफओटी: डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर, निर्माण परिचालन हस्तांतरण मॉडल है जिसमें परियोजना को डिजाइन करने और परियोजना को आंशिक या पूरी तरह से वित्तपोषित करने के लिए रियायतग्राही की आवश्यकता होती है।

अंतर्गत निष्पादित की गयी थी, जिसमें एनएचएआई ने भूमि का मालिक होने के नाते निर्माण पूरा होने पर रियायत की अवधि के लिए टोल शुल्क वसूलने के अधिकार के साथ एनएच-13 के निर्माण हेतु वित्त पोषण एवं निर्माण का अधिकार करदाता को दिया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि, इस कारण का हवाला देते हुए कि आपूर्ति स्वयं की गई थी, करदाता ने सड़क निर्माण के लिए आपूर्ति किए गए कार्य निविदा पर जीएसटी का भुगतान नहीं किया था एवं अधिसूचना संख्या 12/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की प्रविष्टि क्र. सं. 23 के अनुसार एकत्र किए गए टोल शुल्क पर छूट का दावा कर रहा था। हालाँकि, करदाता द्वारा एकत्र किया जा रहा टोल शुल्क, सड़क निर्माण के कार्य संविदा आपूर्ति के लिए किए गए खर्च के बदले में है एवं इसे प्रतिफल की परिभाषा के अनुसार कार्य निविदा की आपूर्ति के लिए प्रतिफल के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार, करदाता कार्य निविदा सेवाओं की समग्र आपूर्ति के लिए टोल शुल्क के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर छूट का दावा नहीं कर सकता है। इसके अलावा, आपूर्ति को स्वयं को प्रदान आपूर्ति नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भूमि का स्वामित्व एनएचएआई के पास है। परिणामस्वरूप, करदाता को 2019-20 से 2020-21 तक की अवधि के लिए एकत्रित ₹105.66 करोड़ के टोल राजस्व पर 12 प्रतिशत की दर से ₹12.68 करोड़ के आईजीएसटी का भुगतान करना होगा।

इस ओर इंगित किए जाने पर (फरवरी 2024), मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि रियायत समझौतों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की करयोग्यता का मुद्दा, जैसे कि टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) एवं इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) मॉडल, वर्तमान में जांच के दायरे में है। इसके अखिल भारतीय पहलुओं को देखते हुए, व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही टिप्पणियां दी जा सकती हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समय संवेदनशीलता को देखते हुए, विभाग यह सुनिश्चित करे कि मामला सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या 74 के अंतर्गत समय-बाधित न हो।

**ii. कॉर्पोरेट गारंटी पर जीएसटी का भुगतान न होना**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7(1)(सी) के अनुसार अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट गतिविधियां, जिन्हें बिना किसी प्रतिफल के बनाया जाए या बनाए जाने की सहमति हो, को आपूर्ति माना जाएगा। अनुसूची 1 के क्र. सं. 2 में निर्दिष्ट करता है कि संबंधित व्यक्तियों के बीच या अलग-अलग व्यक्तियों के बीच जैसा कि धारा 25 में निर्दिष्ट किया गया है, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति, जब व्यवसाय के दौरान या उसके विस्तार हेतु की जाती है, तो यह एक कर योग्य आपूर्ति होगी। सीबीआईसी परिपत्र संख्या 204/16/2023-जीएसटी दिनांक 27 अक्टूबर 2023 ने स्पष्ट किया था कि जहां एक कंपनी द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थानों को दूसरी कंपनी को क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की जाती है, जहां दोनों कंपनियां संबंधित हैं, वहां गतिविधि को सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची 1 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षों के बीच सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही वह बिना किसी प्रतिफल के प्रदान की गई हो। इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 52/2023-केन्द्रीय कर दिनांक 26 अक्टूबर 2023 के माध्यम से सम्मिलित सीजीएसटी नियमों के नियम 28(2) में यह प्रावधान है कि किसी सेवा प्रदाता द्वारा किसी प्राप्तकर्ता, जो कि एक संबंधित व्यक्ति है, को उक्त प्राप्तकर्ता की ओर से किसी बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान को कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य, प्रस्तावित गारंटी की राशि का एक प्रतिशत या वास्तविक प्रतिफल, जो भी अधिक हो, माना जाएगा।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए दिल्ली-दक्षिण आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत एक करदाता के जीएसटी मूल्यांकन रिटर्न के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि करदाता ने वित्तीय संस्थानों को उनके संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण के एवज में वित्तीय गारंटी की पेशकश की थी। इस अवधि के दौरान करदाता द्वारा अपने संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों के एवज में दी गई कुल गारंटी राशि ₹161.93 करोड़ थी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आपूर्ति के लिए प्रतिफल दी गई वित्तीय गारंटी का एक प्रतिशत होगा, जिस पर कर देय होगा। हालाँकि, यह पाया गया कि

करदाता ने इस राशि पर जीएसटी देयता का भुगतान नहीं किया है, जो ₹0.42 करोड़ है। यह बात विभाग के ध्यान में लाई गई (नवंबर 2023), मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2025)।

**अनुशंसा :**

**13) विभाग, डीबीएफओटी मॉडल में शामिल कार्य अनुबंध आपूर्ति की कर-देयता को स्पष्ट कर सकता है, ऐसी आपूर्तियों के अखिल भारतीय निहितार्थ को देखते हुए, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(31) के तहत आपूर्ति के लिए प्रतिफल की परिभाषा पर विचार करते हुए।**

मंत्रालय ने कहा कि जहाँ भी रियायतग्राहियों को टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी), अभियांत्रिकी, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) आदि जैसे विभिन्न मॉडलों के तहत रियायतें प्रदान की जाती हैं, वहाँ सेवाओं की कर-देयता का विषय विचाराधीन है। इस विषय का पूरे भारत पर प्रभाव को देखते हुए, विस्तृत विचार-विमर्श एवं चर्चा के बाद ही इस विषय पर कोई टिप्पणी दी जा सकती है।

### **3. छूट का गलत लाभ उठाना**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, जहां सरकार संतुष्ट हो कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वह परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना के माध्यम से सामान्य रूप या पूर्ण रूप से छूट दे सकती है, या ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं, वस्तु या सेवाएं या दोनों किसी भी देय कर के संपूर्ण या किसी भाग से विनिर्दिष्ट विवरण से पूरी तरह से या किसी भी हिस्से से कर उस पर लागू होने वाली ऐसी तारीख से अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, सामान्यतः छूट दी जा सकती है। इस धारा से स्पष्ट होता है कि जहाँ किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों के संबंध में उस पर लगने वाले कर के पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्रदान की गई है, वहाँ ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्ति पर प्रभावी दर से

अधिक कर नहीं वसूलेगा। अधिसूचनाओं<sup>106</sup> द्वारा लगभग 149 वस्तुओं एवं लगभग 81 सेवाओं को सीजीएसटी/एसजीएसटी के कर से छूट दी गई।

लेखापरीक्षा ने 1,086 मामलों में से 11 में अनुपालन विचलन पाया, जिसकी राशि ₹64.65 करोड़ थी, जहाँ करदाताओं ने गलत तरीके से छूट का लाभ उठाया, जिसके परिणामस्वरूप कर देयता का भुगतान नहीं हुआ।

जब इस ओर ध्यान दिलाया गया, तो विभाग ने ₹16.34 करोड़ मूल्य के सात मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया। शेष चार मामलों में उत्तर प्रतीक्षित/खंडन किया गया।

कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिए गए हैं:

**i अंतर्निहित शर्तों को पूरा किए बिना अधिसूचना के तहत रियायती दर का लाभ उठाना**

अधिसूचना संख्या 13/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 26 जुलाई 2018 द्वारा किसी रेस्तरां, भोजनालय, मेस, कैंटीन सहित भोजनालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं, चाहे वे भोजन हों या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई पेय पदार्थ, की किसी सेवा के रूप में या उसके भाग के रूप में आपूर्ति पर पांच प्रतिशत की रियायती दर लागू की गई है, चाहे वह उस परिसर में हो या उससे दूर जहां ऐसा भोजन या मानव उपभोग के लिए कोई वस्तु या पेय पदार्थ की आपूर्ति की जाती है। यह रियायती दर इस शर्त के अधीन लागू है कि सेवा आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया गया इनपुट टैक्स नहीं लिया गया है।

बेंगलुरु पश्चिम केन्द्रीय कर आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता, एक कैंटीन के माध्यम से अपने कर्मचारियों को कुछ राशि के बदले में खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध करा रहा था। करदाता ने ऊपर उल्लिखित अधिसूचना संख्या 13/2018 के तहत लाभ प्राप्त किया था एवं उस राशि पर पाँच प्रतिशत की

---

<sup>106</sup> वस्तुओं के लिए अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 और 2/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 तथा सेवाओं के लिए अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 और 12/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017।

रियायती दर से कर का भुगतान किया गया था। यद्यपि करदाता ने केवल कैंटीन सुविधा प्रदान करने में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं पर कोई आईटीसी का लाभ नहीं उठाया था, फिर भी उसने कैंटीन सुविधा, प्रबंधन, सुरक्षा सेवाएँ, हाउसकीपिंग, कीट नियंत्रण आदि जैसी सामान्य सेवाओं पर आईटीसी का लाभ उठाया था, जिसमें कैंटीन सुविधा भी शामिल थी। अतः, करदाता रियायती कर दर का दावा करने के लिए अधिसूचनाओं में अंतर्निहित शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था। परिणामस्वरूप, करदाता संबंधित एसएसी<sup>107</sup> कोड 996339 के तहत कैंटीन सेवाओं पर 18 प्रतिशत की मानक दर से जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए जीएसटी का परिणामी कम भुगतान ₹5.91 करोड़ था। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर (नवंबर 2023), मंत्रालय ने बताया कि (अप्रैल 2025) दिसंबर 2023 में एस.सी.एन. जारी किया गया है, जिसमें ब्याज सहित कम भुगतान किए गए कर की मांग की गई है।

## ii. छूट का गलत दावा

दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017 केंद्रीय कर (दर) की क्रम संख्या 24, के तहत कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन को प्रोत्साहन करने वाली सेवाओं, जिनमें कृषि विस्तार सेवाएँ शामिल हैं, को छूट प्रदान करती है, लेकिन इसमें अनुसंधान संबंधी सेवाएँ शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 13 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना संख्या 32/2017-केंद्रीय कर (दर) द्वारा दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017-केंद्रीय कर(दर) में क्रम संख्या 9सी जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत किसी सरकारी संस्था द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र

---

<sup>107</sup> एसएसी कोड का अर्थ है सेवा लेखा कोड। यह भारत में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं पर लागू होता है ताकि भारत में सेवाओं पर जीएसटी की पहचान, वर्गीकरण, मापन और प्रयोज्यता का निर्धारण किया जा सके।

शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के विरुद्ध सेवा आपूर्ति को छूट प्रदान की गई है।

एक करदाता, जो बेंगलुरु उत्तर आयुक्तालय के अंतर्गत पंजीकृत एक सरकारी प्राधिकरण है, निजी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित कृषि के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएँ चला रहा था, एवं उन पर बौद्धिक संपदा अधिकार या तो प्रायोजक एजेंसी के स्वामित्व में हैं या विश्वविद्यालय एवं प्रायोजक एजेंसी के संयुक्त स्वामित्व में हैं, जिन्हें गैर-अनन्य आधार पर अन्य उद्यमियों को हस्तांतरित किया जा सकता है। यह आपूर्ति एसएसी कोड 998114 'कृषि विज्ञान में अनुसंधान एवं प्रायोगिक विकास सेवाएँ' के अंतर्गत वर्गीकृत है, क्योंकि यह आपूर्ति किसी भी छूट अधिसूचना के अंतर्गत नहीं आती है, इस पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगता है। हालाँकि, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान निजी एजेंसियों से प्राप्त कुल अनुदान ₹10.52 करोड़ पर जीएसटी का भुगतान न करने से ₹ 1.89 करोड़ का नुकसान हुआ है। जब यह बात संज्ञान में लाई गई (नवंबर 2023), तो मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि एस.सी.एन. अगस्त 2024 में जारी किया गया है।

#### **अनुशंसा:**

**14) विभाग अधिसूचना संख्या 11/2017 के तहत कृषि सहायता सेवाओं की परिभाषा में अनुसंधान से संबंधित गतिविधि को शामिल करने के लिए कृषि के संबंध में आपूर्ति पर कराधान की समीक्षा कर सकता है।**

मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2025) कि अनुसंधान एवं विकास सेवाओं पर जीएसटी के मुद्दे पर जीएसटी परिषद की 54वीं एवं 55वीं बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था, जो क्रमशः 9 सितंबर 2024 एवं 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई थीं। इन चर्चाओं के बाद, परिषद ने सरकारी संस्थाओं, अनुसंधान संघों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों या आयकर अधिनियम की धारा 35(1) (ii) या (iii) के तहत अधिसूचित अन्य संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुसंधान एवं विकास सेवाओं जो कि अनुदान के एवज में प्रदान की गई हों, के लिए छूट की सिफारिश की। यह अधिसूचना संख्या- 08/2024-केंद्रीय कर (दर) - दिनांक 8 अक्टूबर 2024, 10 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो गई है।

#### 4. आपूर्ति के समय, मूल्य एवं स्थान से संबंधित विचलन

सीजीएसटी अधिनियम का अध्याय IV वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के समय एवं मूल्य के प्रावधानों से संबंधित है। आपूर्ति का समय यह निर्धारित करेगा कि आपूर्ति के संबंध में कर देयता का निर्वहन कब किया जाएगा। वस्तु या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति या दोनों का मूल्य अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आईजीएसटी अधिनियम के अध्याय V में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने वाले प्रावधानों से संबंधित है। चूंकि जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है, इसलिए आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर उस राज्य को प्राप्त होगा जहां आपूर्ति का स्थान निर्धारित किया गया है। अधिनियम की धारायें 10 से 14 तक वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं के स्थान के निर्धारण के लिए उपयुक्त प्रावधानों को विनिर्दिष्ट करती हैं। इसके अलावा, इन प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 7 से 9 आपूर्ति की स्वरूप को अंतर-राज्य या अंतर-राज्य के रूप में निर्धारित करने के लिए प्रावधानों को निर्धारित करती है, जिसके आधार पर एसजीएसटी/यूटीजीएसटी एवं सीजीएसटी/आईजीएसटी का शुल्क निर्धारित किया जाता है।

लेखापरीक्षा में 1,086 मामलों में से 29 के अनुपालन में 48.78 करोड़ रुपये की विचलन देखी गई, जहां करदाताओं ने आपूर्ति के समय के अनुसार कर का निर्वहन नहीं किया है, आपूर्ति के स्थान को गलत तरीके से निर्धारित किया है एवं आपूर्ति के कम मूल्यांकन के कारण कम कर का भुगतान किया है।

जब इस की ओर ध्यानाकर्षित किया गया तो विभाग ने 24 मामलों में 44.35 करोड़ रुपये का मौद्रिक मूल्य की लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया, जिसमें से आठ मामलों में 1.24 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी। शेष पांच मामलों में जवाब का इंतजार किया गया/अस्वीकृत कर दिया गया।

कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

**i. अग्रिमों पर कर का भुगतान न करना**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 13(2) में प्रावधान किया गया है कि सेवाओं की आपूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों में जो से सबसे पहले होगा, अर्थात्:

- (क) आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या भुगतान प्राप्त करने की तारीख, जो भी पहले हो; या
- (ख) सेवा प्रदान करने की तिथि, यदि बीजक धारा 31 के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, जो भी पहले हो; या
- (ग) वह तिथि जिस पर प्राप्तकर्ता अपनी लेखा पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शाता है, उस मामले में जहां खंड (क) या खंड (ख) के उपबंध लागू नहीं होते हैं:

लखनऊ आयुक्तालय के तहत करदाता अधिनियम के तहत कर योग्य आपूर्ति में लगा हुआ है। वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 के लिए करदाता के वार्षिक रिटर्न के साथ दायर वित्तीय विवरण की जांच के दौरान यह देखा गया कि करदाता को आपूर्ति के लिए 0.56 करोड़ रुपये का अग्रिम प्राप्त हुआ है। अग्रिम में प्राप्त प्रतिफल के संबंध में आपूर्ति का समय वह तिथि है जिस पर करदाता अपनी लेखा पुस्तकों में प्राप्ति को दर्शाता है। हालांकि, यह देखा गया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹0.10 करोड़ की कर देयता का निर्वहन नहीं किया गया। जब इसकी तरफ ध्यान दिलाया (दिसंबर 2023) गया, तो मंत्रालय ने (अप्रैल 2025) अवलोकन को स्वीकार कर लिया एवं वसूली के लिए एससीएन जारी किया गया।

**ii. आपूर्ति के अवमूल्यन के कारण कर का कम भुगतान**

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों का मूल्य लेन-देन मूल्य होगा, जो वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य है, जहां

आपूर्तिकर्ता एवं आपूर्ति अदाता संबंधित नहीं हैं एवं आपूर्ति के लिए एकमात्र आधार मूल्य है। सीजीएसटी नियमों के नियम 27 में कहा गया है कि जहां वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक प्रतिफल पूरी तरह से नकद में नहीं है, आपूर्ति का मूल्य खुले बाजार मूल्य होगा, या यदि खुले बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो नकद में प्रतिफल की कुल राशि एवं नकद में प्रतिफल के बराबर किसी भी अतिरिक्त राशि होगी, यदि ऐसी राशि आपूर्ति के समय ज्ञात है।

बैंगलुरु उत्तर मध्य कर आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता के लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि करदाता अपने ग्राहकों को लॉयल्टी प्रोग्राम प्रदान कर रहा था। यह योजना ग्राहकों को की गई खरीदारी के आधार पर रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा करने की अनुमति देती है, जिन्हें बाद में मुफ्त उड़ानों या रियायती हवाई किराए के लिए भुनाया जा सकता है। जब ग्राहक इस कार्यक्रम के तहत एयरलाइन से हवाई टिकट खरीदता है, तो टिकट की कीमत पर आधार किराया, भुनाए जाने वाले संचित रिवॉर्ड पॉइंट्स के अनुपात में कम हो जाता है। करदाता केवल मौद्रिक रूप में प्राप्त मूल्य पर ही कर का भुगतान कर रहा था, जिसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स का मौद्रिक घटक शामिल नहीं था। यह ऊपर उल्लिखित नियम के प्रावधानों के विपरीत है, जिसके परिणामस्वरूप भुनाए गए रिवॉर्ड पॉइंट्स की सीमा तक आपूर्ति का कम मूल्यांकन हुआ। नियम 27 के उपबंधों के अनुसार, इस मामले में आपूर्ति का मूल्य टिकट का खुला बाजार मूल्य होगा। हालांकि, ऑडिट कर के कम भुगतान की मात्रा की गणना नहीं कर सका, क्योंकि रिवॉर्ड पॉइंट की कुल राशि की अनुपस्थिति में। आपूर्ति के अवमूल्यन के कारण कर के कम भुगतान की सूचना विभाग को दी गई (फरवरी 2024)। मंत्रालय ने जवाब दिया (अप्रैल 2025) कि कोई शॉर्ट पेमेंट नहीं है, क्योंकि जीएसटी पूरी कीमत पर रिवॉर्ड पॉइंट की वापसी के बावजूद एकत्र किया जा रहा है।

यह उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि प्रस्तुत नमूना चालानों को लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ने पर पता चला कि भुनाए गए रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा तक करयोग्य आपूर्ति का कम मूल्यांकन किया गया था।

### iii. आपूर्ति स्थान के गलत निर्धारण के कारण कर का भुगतान न करना

आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13(3) में प्रावधान है कि वस्तुओं के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, जिसे सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को या सेवाएं प्रदान करने के लिए आपूर्तिकर्ता की ओर से भेजे गए व्यक्ति को भौतिक रूप से उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, वह स्थान होगा जहां सेवाएं वास्तव में प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2(6) तब सेवाओं के निर्यात को किसी भी सेवा की आपूर्ति के रूप में परिभाषित करती है जब i) सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत में स्थित हो; ii) सेवाओं का प्राप्तकर्ता भारत के बाहर स्थित हो; iii) सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत के बाहर हो; iv) ऐसी सेवा का भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया हो एवं v) सेवा का आपूर्तिकर्ता एवं सेवा का प्राप्तकर्ता धारा 8 में स्पष्टीकरण 1 के अनुसार केवल एक अलग व्यक्ति की स्थापना नहीं हैं।

बेंगलुरु पश्चिम आयुक्तालय के अंतर्गत एक करदाता भारत के भीतर एवं बाहर मोटर कारों के विनिर्माण एवं बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ है एवं घरेलू बाजार में अपनी समूह कंपनियों द्वारा निर्मित आयातित कारों की बिक्री एवं सेवाओं का प्रबंधन भी करता है। आयातित कारों की वारंटी सेवाओं के संबंध में, करदाता उनके डीलरशिप के माध्यम से सर्विसिंग करता है एवं विदेशी समूह कंपनी संबंधित खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगी। यह व्यवस्था उप-अनुबंध के रूप में संचालित होती है, जहां करदाता के डीलरों द्वारा करदाता की ओर से ग्राहकों को वारंटी सेवाएं प्रदान की जाती हैं एवं इस तरह के वारंटी दायित्वों को पूरा करने में शामिल राशि को डीलर द्वारा बीजक के माध्यम से वापस लिया जाता है, जिस पर करदाता आईटीसी का दावा करता है। दूसरी ओर करदाता अपने विदेशी समकक्षों से इस वारंटी व्यय का दावा करता है, एवं प्रतिफल विदेशी मुद्रा में किया जाता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि करदाता ने आपूर्ति को सेवाओं के निर्यात के रूप में वर्गीकृत किया था एवं कर का भुगतान नहीं किया गया था, जो अनियमित है क्योंकि आपूर्ति का स्थान भारत में है। वारंटी सेवाएँ, माल अर्थात् मोटर वाहनों के संबंध में प्रदान की जाती हैं, जो आपूर्तिकर्ता को भारत में आपूर्ति करने के लिए भौतिक रूप से

उपलब्ध कराई जाती हैं एवं इस प्रकार आपूर्ति का स्थान भारत है। यह आपूर्ति एसएसी कोड '998599 - सहायक सेवाएँ' के अंतर्गत वर्गीकृत है। चूँकि यह आपूर्ति निर्यात सेवाओं के लिए योग्य नहीं है, इसलिए करदाता इस आपूर्ति पर आईजीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस अवधि के लिए वारंटी सेवाओं के लिए प्राप्त राशि पर देय आईजीएसटी ₹15.90 करोड़ था। जब इस ओर ध्यान दिलाया गया (नवंबर 2023), तो मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया (अप्रैल 2025) एवं भुगतान न किए गए कर की मांग करते हुए एससीएन जारी किया।

#### 5. प्रतिलोम प्रभार तंत्र के तहत कर भुगतान।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) एवं आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिन पर कर का भुगतान ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के अदाता द्वारा प्रतिलोम प्रभार तंत्र के आधार पर किया जाएगा एवं इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अदाता पर लागू होंगे।

लेखापरीक्षा में 1,086 मामलों में से 53 में अनुपालन विचलन पाया गया, जिसकी राशि ₹398.26 करोड़ थी। ये विचलन आरसीएम के तहत कर का भुगतान न करने या कम भुगतान करने के हैं।

जब इस ओर ध्यान दिलाया गया, तो विभाग ने ₹70.85 करोड़ के 48 मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया, जिनमें से 23 मामलों में ₹1.04 करोड़ की राशि वसूल की गई। शेष पाँच मामलों में उत्तर प्रतीक्षित/खंडित किया गया। कुछ उदाहरणात्मक मामले आगे दिए गए हैं:

#### i. प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर का भुगतान न करना

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार,

राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यावसायिक इकाई को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर लगाया जाएगा। अधिसूचना की क्रम संख्या 5 उन आपूर्तियों को विनिर्दिष्ट करती है जहाँ अदाता कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 15(1) विनिर्दिष्ट करती है कि वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य लेनदेन मूल्य होगा, जो आपूर्ति के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत है, जहाँ आपूर्तिकर्ता एवं आपूर्ति के अदाता संबंधित नहीं हैं, एवं कीमत ही आपूर्ति के लिए एकमात्र प्रतिफल है। आपूर्ति के मूल्य में इस अधिनियम के अलावा किसी भी समय लागू कानून के तहत लगाए गए सभी कर एवं शुल्क शामिल होंगे।

राउरकेला आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक करदाता को ओडिशा राज्य सरकार से लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर प्राकृतिक संसाधनों (जल) का औद्योगिक या व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से करदाता द्वारा प्राप्त आपूर्ति को एसएसी कोड 997338 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसका विवरण 'अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार हेतु लाइसेंसिंग सेवाएँ' है। अधिसूचना संख्या 13/2017 - केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के अनुसार, करदाता प्रतिलोम प्रभार आधार पर आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, करदाता आरसीएम के तहत कर का भुगतान नहीं कर रहा था। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान आपूर्ति के लिए करदाता द्वारा भुगतान किया गया कुल लाइसेंस शुल्क ₹79.95 करोड़ था। लाइसेंस शुल्क राशि पर अनुमोदित कर देयता ₹14.39 करोड़ है। जब यह बात संज्ञान में लाई गई (नवंबर 2023), तो मंत्रालय ने बताया (अप्रैल 2025) कि भुगतान न किए गए कर की मांग करते हुए एससीएन जारी किया गया था।

## ii. कर का कम भुगतान

अधिसूचना संख्या 13/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 की क्रम संख्या 5 के अनुसार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यावसायिक इकाई को प्रदान की जाने वाली

सेवाएँ प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर योग्य हैं। दूरसंचार स्पेक्ट्रम के उपयोग के अधिकार हेतु लाइसेंसिंग सेवाएँ, अधिसूचना संख्या 11/2017 केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017 के अनुसार 18 प्रतिशत की दर से कर देय हैं। अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 एवं 8/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के अंतर्गत आईजीएसटी के लिए समान प्रावधान हैं।

क) सिकंदराबाद आयुक्तालय के तहत एक करदाता ने दूरसंचार विभाग, भारत सरकार को स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान किया था। जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट है, करदाता ने वर्ष 2018-19 के लिए प्रतिलोम प्रभार आधार पर जीएसटी देयता का भुगतान किया था। हालाँकि, चालानों के सत्यापन पर, यह पाया गया कि वर्ष के लिए आपूर्ति पर भुगतान किया गया जीएसटी 18 प्रतिशत की लागू दर के बजाय 12 प्रतिशत था, जिसके परिणामस्वरूप कर का कम भुगतान हुआ। इस अवधि के लिए आपूर्ति पर देय अंतर कर ₹ 2.32 करोड़ था। जब इस ओर ध्यान दिलाया गया (दिसंबर 2023), तो मंत्रालय ने बताया कि (अप्रैल 2025) आपत्ति की गई राशि की मांग करते हुए जारी किए गए एससीएन पर निर्णय ले लिया गया है।

ख) लेखापरीक्षा में पाया गया कि बेलगावी आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले एक करदाता ने वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा खनन अधिकार प्रदान करने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को किए गए भुगतान पर ₹325.43 करोड़ की जीएसटी राशि का भुगतान नहीं किया। यह बात विभाग के संज्ञान में लाई गई (नवंबर 2023) एवं उत्तर प्रतीक्षित (अप्रैल 2025) है।

#### 4.9 राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव

माल एवं सेवा कर भुगतान में सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी आदि जैसे विभिन्न घटक शामिल होते हैं एवं ये केंद्र एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के राजस्व को प्रभावित करते हैं। इस रिपोर्ट में उल्लिखित लेखापरीक्षा अवलोकनों में, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के राजस्व के निष्कर्षों के मौद्रिक प्रभाव परिशिष्ट-II में दिया गया है।

#### 4.10 निष्कर्ष एवं सिफारिशों का सारांश

माल एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न दाखिल करने पर विभाग की निगरानी पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) का दूसरा चरण, डीओआरएफ के पहले चरण के लेखापरीक्षा के क्रम में शुरू किया गया। इस लेखापरीक्षा में रिटर्न दाखिल करने के रुझानों एवं निरंतर डाटा विसंगतियों के संदर्भ में 2020-21 तक की अवधि को सम्मिलित किया गया, ताकि रिटर्न दाखिल करने एवं कर भुगतान की निगरानी, अनुपालन की सीमा एवं अन्य विभागीय निरीक्षण कार्यों में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन किया जा सके।

डीओआरएफ चरण । लेखापरीक्षा के समान यह एसएससीए मुख्य रूप से डाटा विश्लेषण द्वारा संचालित था, जिसके माध्यम से 2018-19 से 2020-21 के लिए दायर जीएसटी रिटर्न में जोखिम क्षेत्रों, चेतावनी संकेतों एवं कुछ मामलों में नियम-आधारित विचलन एवं तार्किक विसंगतियों को उजागर किया गया।

एसएससीए में सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं (रेंजों) के निरीक्षण कार्यों का दो स्तरों पर मूल्यांकन किया गया - वैश्विक डाटा प्रश्नों के माध्यम से डाटा स्तर पर एवं कार्यात्मक स्तर पर, रेंजों एवं जीएसटी रिटर्न, दोनों का गहन एवं विस्तृत लेखापरीक्षा, जिसमें जोखिम-आधारित दृष्टिकोण से करदाताओं के रिकॉर्ड तक पहुँच शामिल थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा नमूने में 166 रेंज, वैश्विक प्रश्नों के माध्यम से चुने गए 18 मापदंडों में 10,124 उच्च मूल्य की विसंगतियाँ एवं वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के जीएसटी रिटर्न के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन के आधार पर चुने गए 1,106 करदाता शामिल थे।

विभाग ने रिटर्न की जाँच के लिए एक एसओपी (मार्च 2022) तैयार करने के बाद, वर्ष 2022-23 से रिटर्न की जाँच शुरू कर दी है। हालाँकि, चयनित रेंजों में से किसी ने भी जाँच एसओपी में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया एवं आवश्यक अभिलेख भी नहीं रखे गए। लेखापरीक्षा ने एसएमटी-10 जारी करने, प्रतिक्रिया प्राप्त करने एवं माँग नोटिस जारी करने में देरी देखी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने रेंजों द्वारा की गई जाँच में भी कमियाँ पाईं, जहाँ कुछ

निर्धारित जाँचों की अनदेखी की गई थी। 166 रैजों की समीक्षा से पता चला कि रैजों के आवश्यक निरीक्षण कार्यों जैसे रिटर्न दाखिल करने की निगरानी, करदाता अनुपालन, तथा डीजीएआरएम रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई का दस्तावेजीकरण खराब था तथा मूल्यांकन योग्य नहीं था। प्रधान आयुक्त कार्यालय द्वारा आवंटित मामलों एवं उनके अनुपालन तथा रैजों द्वारा अनुरक्षित एवं उपलब्ध कराई गई फाइलों के आंकड़ों में व्यापक विसंगतियाँ पाई गईं। यद्यपि विभाग ने अपनी बैक-एंड प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया था, सीबीआईसी बैक-एंड प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण एवं रैज अधिकारियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने, लंबित मामलों एवं पंजीकरण रद्द करने आदि की निगरानी की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाओं/कार्यक्षमताओं का अभाव था, जिन्हें पूर्व सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं डीओआरएफ चरण-1 रिपोर्ट में उजागर किया गया था। इस प्रकार, रैजों के कार्य न तो पूरी तरह से डिजिटल थे एवं न ही पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से किए जाते थे।

अखिल भारतीय स्तर पर लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित की गई 10,124 उच्च-मूल्य वाली डाटा विसंगतियों का प्रभाव ₹12,51,797.74 करोड़ (आयाम डी12, डी13 एवं डी14 से संबंधित ₹3,53,838.20 करोड़ की आवर्त राशि सहित) था। इन विसंगतियों में डाटा प्रविष्टि त्रुटियाँ भी शामिल थीं, जिससे पता चलता है कि सत्यापन नियंत्रणों को एवं मज़बूत करने की आवश्यकता है। विभाग ने 8,106 मामलों का निपटारा किया। इनमें से, 2,519 मामले, जो 30 प्रतिशत हैं, में स्पष्ट रूप से अनुपालन संबंधी कमियाँ पाई गईं, जिनसे ₹21,695.11 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ। कुछ जोखिम मानदंडों जैसे कि आईटीसी असंगति, बकाया देयता, ई-वे बिल डाटा से तुलना करके कर योग्य देयता को छिपाना, आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान किए बिना आईटीसी पारित करना, जीएसटीआर-3बी दाखिल न करना लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल करना, निर्धारित समय-सीमा के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी पर आईटीसी का लाभ उठाना - ब्याज का कम भुगतान में विचलन की दर अपेक्षाकृत अधिक देखी गई। जबकि छः प्रतिशत मामलों में डाटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण विसंगतियाँ हुईं, 22 प्रतिशत मामलों में विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई कर दी थी। विभाग ने विसंगतियों के 2,018 मामलों में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

जीएसटी रिटर्न के विस्तृत लेखापरीक्षा से भी गैर-अनुपालन के महत्वपूर्ण उदाहरण सामने आए। शुरुआत में, 1,106 करदाताओं के नमूने में से 20 मामलों में वित्तीय विवरण, जीएसटीआर-9सी एवं जीएसटीआर-2ए जैसे आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए एवं अन्य 549 मामलों में जोखिम-आधारित दृष्टिकोण से मांगे गए विस्तृत करदाता अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे दायरा काफी सीमित हो गया। ये मामले आईटीसी का लाभ एवं कर भुगतान में पाई गई विसंगतियों के कारण ₹32,432.22 करोड़ के संभावित जोखिम को दर्शाते हैं। पूरी तरह या आंशिक रूप से लेखापरीक्षित 1,086 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 2,349.62 करोड़ रुपये के राजस्व प्रभाव के 741 अनुपालन विचलन पाए। इन विचलनों के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षण किए गए 1,086 करदाताओं में से 438 ने अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया।

इसके मुख्य कारणों में अयोग्य एवं अनियमित आईटीसी का लाभ उठाना, आपूर्ति का गलत वर्गीकरण, कराधान के लिए आपूर्ति का बहिष्करण, आपूर्ति का कम मूल्यांकन एवं आरसीएम के तहत कर का गलत निस्तारण शामिल था।

अनुपालन में कमी की महत्वपूर्ण दर को ध्यान में रखते हुए, विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामलों को समय समाप्त होने से पहले सुधारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए। एक प्रणालीगत पद्धति से, जैसा कि डीओआरएफ चरण-1 रिपोर्ट में अनुशंसित है, विभाग को दस्तावेज़ीकरण की गुणवत्ता को मजबूत करने एवं रिटर्न दाखिल करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, डीजीएआरएम प्रतिवेदनों के अनुवर्तन, पंजीकरण रद्द करने एवं चूककर्ताओं से बकाया की वसूली पर प्रभावी पर्यवेक्षण स्थापित करने एवं बनाए रखने के लिए रेंज में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सीबीआईसी के बैक-एंड एप्लिकेशन में कुछ सत्यापन नियंत्रणों एवं एमआईएस सुविधाओं को शीघ्रता से लागू करने की आवश्यकता है। विभाग डाटा की गुणवत्ता एवं करदाता अनुपालन में सुधार तथा रिटर्न की जाँच को सुगम बनाने के लिए जीएसटी रिटर्न में अतिरिक्त सत्यापन नियंत्रण लागू करने पर भी विचार कर सकता है।


इस अध्याय में प्रस्तुत लेखापरीक्षा अनुशंसाओं का सारांश इस प्रकार है:

1. विभाग, जैसा कि डीओआरएफ चरण-1 रिपोर्ट में पहले ही बताया गया है, बैक-एंड प्रणाली में बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) एवं एमआईएस रिपोर्टों को शामिल करने में तेजी ला सकता है एवं जब तक स्वचालन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक विभाग मैनुअल रिकॉर्ड/रजिस्ट्रों का उचित रखरखाव सुनिश्चित कर सकता है।
2. विभाग अधीक्षक एवं निरीक्षक स्तर पर कार्यभार सौंपने/अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को लागू कर सकता है।
3. विभाग बैक-एंड पोर्टल में 'नॉन-फाइलर देखें' सुविधा का विस्तार कर सकता है ताकि रेंज अधिकारी सभी श्रेणियों के पंजीयकों के रिटर्न न भरने वालों की पहचान कर सकें एवं उन्हें नोटिस जारी कर सकें। वर्तमान में, यह सुविधा केवल जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-10 एवं सीएमपी-08 के लिए उपलब्ध है।
4. विभाग जीएसटीआर-3ए से संबंधित सभी संबंधित रिटर्न जैसे जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-4 आदि के लिए बैक-एंड प्रणाली में एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध करा सकता है एवं जीएसटीआर-3बी के अतिरिक्त रिटर्न न भरने वाले सभी लोगों के लिए जीएसटीआर-3ए के स्वतः सृजन की सुविधा का विस्तार कर सकता है।
5. विभाग प्रभावी निगरानी के लिए, जैसा कि डीओआरएफ चरण-1 रिपोर्ट में पहले ही बताया गया है, बैक-एंड प्रणाली में कर अधिकारियों को आकलन आदेश (एसएमटी-13/14) एवं मांग आदेश (डीआरसी-07) जारी करने से संबंधित एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध करा सकता है।
6. (क) डीजीएआरएम रिपोर्टों से संबंधित अनुवर्ती गतिविधियों के संपूर्ण सेट का कार्यप्रवाह स्वचालन बैक-एंड प्रणाली के एक भाग के रूप में किया जा सकता है।  
(ख) विभाग डीजीएआरएम रिपोर्टों एवं डीजीएआरएम रिपोर्टों के सत्यापन से संबंधित अभिलेखों/फाइलों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकता है।

7. विभाग को डीजीएआरएम जोखिमों के अनुपालन की निगरानी में सुधार करना चाहिए, ताकि आंकड़ों के संदर्भ में राजस्व की प्राप्ति न होने या उसका अनुसरण न किए जाने की संभावना को समाप्त किया जा सके तथा साथ ही, जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूना जांच मामलों की समीक्षा की जा सके।
8. विभाग को रेंजों में निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकरण को रद्द करने, निलंबित करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा वसूली की प्रक्रियाओं में समुचित सावधानी बरती जाए।
9. विभाग पंजीकरण मॉड्यूल के अंतर्गत निरस्तीकरण कार्यप्रवाह में आवश्यक सत्यापन नियंत्रण एवं एमआईएस रिपोर्ट/विशेषताएं का उपयोग कर सकता है, ताकि रेंज अधिकारियों को आवेदन की तिथि एवं आरईजी-17 नोटिस जारी करने की तिथि से क्रमशः लंबित निरस्तीकरण आवेदनों, करदाताओं के अनुरोध पर पंजीकरण के निलंबन एवं स्वतः निरस्तीकरण की निगरानी करने में सुविधा हो एवं आवेदन की तिथि से पहले निरस्तीकरण की रोकथाम सुनिश्चित हो सके।
10. विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 2,325 (जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं तथा जो विभाग द्वारा जांच के अधीन हैं) विसंगतियों एवं विचलनों पर समय समाप्त होने से पहले तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए तथा ऐसे विचलनों के कारणों का विश्लेषण कर प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसे विचलनों की पुनरावृत्ति न हो।
11. विभाग डाटा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने, करदाताओं के अनुपालन को बढ़ाने एवं बेहतर जांच की सुविधा के लिए जीएसटी रिटर्न में पैरा 4.8.4.5 में उल्लिखित वैधता नियंत्रणों को लागू करने पर विचार कर सकता है।
12. विभाग को लेखापरीक्षा के दौरान करदाताओं के रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध कराने चाहिए, अन्यथा इससे जीएसटी राजस्व की लेखापरीक्षा का दायरा काफी सीमित हो जाता है।


13. विभाग, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2(31) के तहत आपूर्ति के लिए प्रतिफल की परिभाषा पर विचार करते हुए, ऐसी आपूर्ति के अखिल भारतीय निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए, डीबीएफओटी मॉडल में शामिल कार्य अनुबंध आपूर्ति की करदेयता को स्पष्ट कर सकता है।
14. विभाग अधिसूचना संख्या 11/2017 के तहत कृषि सहायता सेवाओं की परिभाषा में अनुसंधान संबंधी गतिविधि को शामिल करने के लिए कृषि से संबंधित आपूर्ति पर कराधान की समीक्षा कर सकता है।

नई दिल्ली  
दिनांक: 3 दिसम्बर 2025

  
(स्मिता गोपाल)  
प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 5 दिसम्बर 2025

  
(के. संजय मूर्ति)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



---

---

परिशिष्ट

---

---



**परिशिष्ट-I: 2022-23 एवं 2023-24 की अवधि के दौरान पाई गई केंद्रीय  
उत्पाद शुल्क पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ  
(पैरा संख्या 2.3 देखें)**

(राशि करोड़ रुपये में)

डीकपी सं.	आयुक्तालय	आपत्ति की गई राशि	विभाग द्वारा स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	मंत्रालय का जवाब	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
9	गुरुग्राम	8.52	8.52	0.50	बहुप्रतीक्षित	शून्य
	हल्दिया	4.46	4.46	0.00	बहुप्रतीक्षित	शून्य
	वडोदरा-1	2.23	2.23	0.76	बहुप्रतीक्षित	शून्य
	गुंटूर	2.29	0.00	0.00	बहुप्रतीक्षित	शून्य
	<b>कुल</b>	<b>17.5</b>	<b>15.21</b>	<b>1.26</b>	---	---

**परिशिष्ट II: राज्य माल एवं सेवा कर पर प्रभाव  
(पैरा 4.9 देखें)**

(राशि करोड़ रुपये में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/पैरा संख्या	संख्या	शामिल राज्य माल एवं सेवा कर राशि	स्वीकृत राज्य माल एवं सेवा कर राशि	वसूल की गई राज्य माल एवं सेवा कर राशि
<b>आंध्र प्रदेश</b>	<b>180</b>	<b>419.09</b>	<b>132.90</b>	<b>0.48</b>
4.8.2.2 (2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (3)	1	0.01	0.01	0.00
4.8.3.2 (2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (3)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.4	144	412.13	130.20	0.25
4.8.5.2 (क)(1)	24	2.55	2.11	0.23
4.8.5.2 (ख)(1)	1	0.54	0.54	0.00
4.8.5.2 (ख)(2)	1	2.86	0.00	0.00
4.8.5.2 (ख)(3)	1	0.09	0.00	0.00
4.8.5.2 (ग)(4)	1	0.04	0.04	0.00
4.8.5.2 (ग)(5)	1	0.87	0.00	0.00
<b>अरुणाचल प्रदेश</b>	<b>7</b>	<b>3.26</b>	<b>3.25</b>	<b>0.00</b>
4.8.3.1 (2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	6	3.26	3.25	0.00
<b>असम</b>	<b>137</b>	<b>233.82</b>	<b>173.30</b>	<b>0.32</b>
4.8.3.1 (2)	4	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (3)	3	0.03	0.03	0.00
4.8.3.3 (3)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.4	98	231.48	171.18	0.31
4.8.5.2 (क)(1)	12	0.50	0.28	0.01
4.8.5.2 (ख)(1)	16	1.81	1.81	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	1	0.00	0.00	0.00
<b>बिहार</b>	<b>282</b>	<b>176.48</b>	<b>156.75</b>	<b>0.47</b>
4.8.3.1 (2)	5	0.00	0.00	0.00

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/पैरा संख्या	संख्या	शामिल राज्य माल एवं सेवा कर राशि	स्वीकृत राज्य माल एवं सेवा कर राशि	वसूल की गई राज्य माल एवं सेवा कर राशि
4.8.3.1 (3)	3	0.11	0.08	0.00
4.8.3.3 (3)	5	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	6	0.00	0.00	0.00
4.8.4	253	176.23	156.56	0.47
4.8.5.2 (क)(1)	10	0.14	0.11	0.00
<b>छत्तीसगढ़</b>	<b>226</b>	<b>143.02</b>	<b>61.17</b>	<b>0.06</b>
4.8.3.3 (3)	4	0.00	0.00	0.00
4.8.4	219	143.01	61.17	0.05
4.8.5.2 (क)(1)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.5.2 (ख)(1)	1	0.01	0.00	0.01
<b>दिल्ली</b>	<b>495</b>	<b>1,714.49</b>	<b>1,575.02</b>	<b>0.36</b>
4.8.2.2 (2)	10	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2 (3)	10	0.07	0.01	0.00
4.8.3.1 (2)	10	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (3)	1	0.10	0.00	0.00
4.8.3.3 (3)	10	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	10	0.00	0.00	0.00
4.8.4	425	1,708.30	1,569.49	0.29
4.8.5.2 (क)(1)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.5.2 (ख)(1)	8	5.87	5.52	0.00
4.8.5.2 (ख)(2)	1	0.07	0.00	0.07
4.8.5.2 (ख)(3)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	3	0.06	0.00	0.00
4.8.5.2 (ग)(5)	4	0.02	0.00	0.00
<b>गोवा</b>	<b>18</b>	<b>4.31</b>	<b>3.04</b>	<b>0.00</b>
4.8.3.2 (2)	1	0.41	0.41	0.00
4.8.3.3 (1)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	14	3.87	2.63	0.00
4.8.5.2 (क)(1)	1	0.03	0.00	0.00
<b>गुजरात</b>	<b>253</b>	<b>1,210.95</b>	<b>865.40</b>	<b>1.64</b>
4.8.3.1 (2)	8	0.00	0.00	0.00

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/पैरा संख्या	संख्या	शामिल राज्य माल एवं सेवा कर राशि	स्वीकृत राज्य माल एवं सेवा कर राशि	वसूल की गई राज्य माल एवं सेवा कर राशि
4.8.4	201	990.67	646.18	1.09
4.8.5.2 (क)(1)	17	0.25	0.00	0.07
4.8.5.2 (ख)(1)	6	201.16	200.60	0.45
4.8.5.2 (ख)(3)	5	0.05	0.02	0.02
4.8.5.2 (ग)(2)	12	13.85	13.63	0.01
4.8.5.2 (ग)(4)	1	0.01	0.01	0.00
4.8.5.2 (ग)(5)	3	4.96	4.96	0.00
<b>हरियाणा</b>	<b>192</b>	<b>1,433.53</b>	<b>1,292.22</b>	<b>1.72</b>
4.8.2.2 (3)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (2)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (3)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	160	1,432.53	1,292.22	1.65
4.8.5.2 (क)(1)	12	0.03	0.00	0.03
4.8.5.2 (ख)(1)	6	0.01	0.00	0.01
4.8.5.2 (ख)(3)	2	0.94	0.00	0.01
4.8.5.2 (ग)(2)	2	0.02	0.00	0.02
4.8.5.2 (ग)(4)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.5.2 (ग)(5)	3	0.00	0.00	0.00
<b>हिमाचल प्रदेश</b>	<b>32</b>	<b>175.66</b>	<b>24.50</b>	<b>0.67</b>
4.8.3.1 (4)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	23	175.65	24.50	0.65
4.8.5.2 (क)(1)	2	0.01	0.00	0.02
4.8.5.2 (ख)(1)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.5.2 (ख)(2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.5.2 (ख)(3)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	1	0.00	0.00	0.00
<b>जम्मू एवं कश्मीर</b>	<b>12</b>	<b>1.84</b>	<b>1.76</b>	<b>0.00</b>
4.8.4	12	1.84	1.76	0.00
<b>झारखंड</b>	<b>192</b>	<b>286.06</b>	<b>45.95</b>	<b>0.25</b>
4.8.4	174	285.30	45.95	0.25

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/पैरा संख्या	संख्या	शामिल राज्य माल एवं सेवा कर राशि	स्वीकृत राज्य माल एवं सेवा कर राशि	वसूल की गई राज्य माल एवं सेवा कर राशि
4.8.5.2 (क)(1)	18	0.76	0.00	0.00
<b>कर्नाटक</b>	<b>485</b>	<b>1,519.37</b>	<b>542.11</b>	<b>0.53</b>
4.8.2.2 (2)	4	0.29	0.29	0.00
4.8.2.2 (3)	3	0.43	0.40	0.00
4.8.2.2 (5)	2	0.03	0.03	0.00
4.8.3.1 (2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (3)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (4)	1	0.19	0.19	0.00
4.8.3.2 (1)	8	0.00	0.00	0.00
4.8.3.2 (2)	3	0.06	0.00	0.00
4.8.3.3 (1)	3	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	7	0.00	0.00	0.00
4.8.4	377	1,022.32	516.78	0.44
4.8.5.2 (क)(1)	20	1.20	1.01	0.03
4.8.5.2 (ख)(1)	30	287.84	6.03	0.01
4.8.5.2 (ख)(2)	6	0.97	0.45	0.05
4.8.5.2 (ग)(2)	7	6.64	1.31	0.00
4.8.5.2 (ग)(3)	4	24.90	3.90	0.00
4.8.5.2 (ग)(4)	5	0.00	0.00	0.00
4.8.5.2 (ग)(5)	3	174.50	11.72	0.00
<b>केरल</b>	<b>237</b>	<b>341.12</b>	<b>184.39</b>	<b>3.40</b>
4.8.2.2 (3)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2 (4)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (3)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.2 (1)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.2 (2)	5	0.50	0.50	0.00
4.8.3.3 (1)	7	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (3)	4	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	10	0.00	0.00	0.00
4.8.4	127	308.07	151.67	1.50
4.8.5.2 (क)(1)	25	3.57	3.48	0.08
4.8.5.2 (ख)(1)	9	21.25	21.25	0.00

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/पैरा संख्या	संख्या	शामिल राज्य माल एवं सेवा कर राशि	स्वीकृत राज्य माल एवं सेवा कर राशि	वसूल की गई राज्य माल एवं सेवा कर राशि
4.8.5.2 (ख)(2)	15	5.28	5.20	1.29
4.8.5.2 (ख)(3)	1	0.11	0.11	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	7	0.27	0.23	0.01
4.8.5.2 (ग)(3)	2	0.67	0.67	0.00
4.8.5.2 (ग)(4)	2	0.06	0.06	0.00
4.8.5.2 (ग)(5)	19	1.34	1.22	0.52
<b>मध्य प्रदेश</b>	<b>364</b>	<b>236.44</b>	<b>200.40</b>	<b>1.49</b>
4.8.3.1 (2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	336	232.71	196.87	1.30
4.8.5.2 (क)(1)	5	0.02	0.00	0.02
4.8.5.2 (ख)(1)	7	1.95	1.95	0.00
4.8.5.2 (ख)(2)	1	0.02	0.02	0.00
4.8.5.2 (ख)(3)	2	0.03	0.02	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	5	1.34	1.34	0.00
4.8.5.2 (ग)(4)	6	0.37	0.20	0.17
4.8.5.2 (ग)(5)	1	0.00	0.00	0.00
<b>महाराष्ट्र</b>	<b>395</b>	<b>2,695.11</b>	<b>936.58</b>	<b>9.07</b>
4.8.2.2 (2)	3	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2 (3)	2	0.43	0.43	0.00
4.8.3.1 (3)	4	0.30	0.30	0.00
4.8.3.3 (2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (3)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	5	0.00	0.00	0.00
4.8.4	345	2,649.17	891.60	8.75
4.8.5.2 (क)(1)	13	2.04	1.20	0.20
4.8.5.2 (ख)(1)	11	5.48	5.45	0.03
4.8.5.2 (ख)(2)	3	37.60	37.60	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	3	0.07	0.00	0.07
4.8.5.2 (ग)(5)	3	0.02	0.00	0.02
<b>मेघालय</b>	<b>15</b>	<b>4.08</b>	<b>3.36</b>	<b>0.07</b>
4.8.3.1 (2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (3)	1	0.07	0.00	0.07

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/पैरा संख्या	संख्या	शामिल राज्य माल एवं सेवा कर राशि	स्वीकृत राज्य माल एवं सेवा कर राशि	वसूल की गई राज्य माल एवं सेवा कर राशि
4.8.3.3 (5)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	11	4.00	3.35	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	1	0.01	0.01	0.00
<b>मिजोरम</b>	<b>15</b>	<b>21.82</b>	<b>21.82</b>	<b>0.00</b>
4.8.3.1 (3)	1	0.01	0.01	0.00
4.8.3.3 (5)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	9	20.86	20.86	0.00
4.8.5.2 (क)(1)	1	0.36	0.36	0.00
4.8.5.2 (ख)(1)	3	0.59	0.59	0.00
<b>नागालैंड</b>	<b>11</b>	<b>2.90</b>	<b>2.90</b>	<b>0.00</b>
4.8.3.1 (2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (3)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.2 (3)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	7	2.90	2.90	0.00
<b>ओडिशा</b>	<b>290</b>	<b>451.05</b>	<b>373.46</b>	<b>0.35</b>
4.8.2.2 (3)	5	1.32	0.90	0.00
4.8.3.2 (3)	1	0.27	0.27	0.00
4.8.3.3 (3)	5	0.00	0.00	0.00
4.8.4	212	339.17	271.21	0.10
4.8.5.2 (क)(1)	33	0.39	0.03	0.25
4.8.5.2 (ख)(1)	12	25.04	25.04	0.00
4.8.5.2 (ख)(2)	2	63.04	60.91	0.00
4.8.5.2 (ख)(3)	1	0.45	0.45	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	10	5.03	0.51	0.00
4.8.5.2 (ग)(3)	5	5.26	3.06	0.00
4.8.5.2 (ग)(5)	4	11.08	11.08	0.00
<b>पुदुचेरी</b>	<b>3</b>	<b>9.19</b>	<b>0.11</b>	<b>0.00</b>
4.8.4	2	9.08	0.00	0.00
4.8.5.2 (ख)(1)	1	0.11	0.11	0.00
<b>पंजाब</b>	<b>135</b>	<b>1,164.57</b>	<b>150.76</b>	<b>0.00</b>
4.8.4	135	1,164.57	150.76	0.00

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/पैरा संख्या	संख्या	शामिल राज्य माल एवं सेवा कर राशि	स्वीकृत राज्य माल एवं सेवा कर राशि	वसूल की गई राज्य माल एवं सेवा कर राशि
<b>राजस्थान</b>	<b>106</b>	<b>189.33</b>	<b>32.50</b>	<b>0.13</b>
4.8.2.2 (2)	1	0.25	0.25	0.00
4.8.2.2 (4)	2	9.93	9.93	0.00
4.8.2.2 (5)	1	0.76	0.76	0.00
4.8.3.1 (2)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (3)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.4	87	178.23	21.54	0.11
4.8.5.2 (क)(1)	9	0.04	0.02	0.01
4.8.5.2 (ख)(1)	1	0.12	0.00	0.01
<b>सिक्किम</b>	<b>5</b>	<b>2.53</b>	<b>2.49</b>	<b>0.00</b>
4.8.4	3	2.47	2.47	0.00
4.8.5.2 (क)(1)	1	0.04	0.00	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	1	0.01	0.01	0.00
<b>तमिलनाडु</b>	<b>485</b>	<b>992.32</b>	<b>546.14</b>	<b>2.83</b>
4.8.2.2 (2)	2	0.02	0.02	0.00
4.8.3.2 (3)	1	0.15	0.15	0.00
4.8.3.3 (3)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	5	0.00	0.00	0.00
4.8.4	382	970.00	527.44	2.68
4.8.5.2 (क)(1)	44	11.22	9.67	0.02
4.8.5.2 (ख)(1)	25	3.54	3.44	0.07
4.8.5.2 (ख)(2)	2	0.05	0.05	0.00
4.8.5.2 (ख)(3)	5	3.08	3.08	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	8	0.78	0.78	0.00
4.8.5.2 (ग)(4)	7	3.48	1.51	0.06
4.8.5.2 (ग)(5)	2	0.00	0.00	0.00
<b>तेलंगाना</b>	<b>191</b>	<b>505.73</b>	<b>392.27</b>	<b>10.72</b>
4.8.3.1 (3)	1	0.10	0.00	0.10
4.8.3.3 (3)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	155	478.49	365.90	9.86

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/पैरा संख्या	संख्या	शामिल राज्य माल एवं सेवा कर राशि	स्वीकृत राज्य माल एवं सेवा कर राशि	वसूल की गई राज्य माल एवं सेवा कर राशि
4.8.5.2 (क)(1)	16	0.78	0.04	0.73
4.8.5.2 (ख)(1)	4	24.36	24.36	0.00
4.8.5.2 (ख)(2)	4	0.13	0.10	0.03
4.8.5.2 (ख)(3)	1	0.01	0.01	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	2	0.02	0.02	0.00
4.8.5.2 (ग)(4)	4	0.66	0.66	0.00
4.8.5.2 (ग)(5)	2	1.18	1.18	0.00
<b>त्रिपुरा</b>	<b>10</b>	<b>13.86</b>	<b>3.34</b>	<b>0.01</b>
4.8.3.1 (3)	1	0.02	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.4	6	13.74	3.34	0.01
4.8.5.2 (क)(1)	2	0.10	0.00	0.00
<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>401</b>	<b>520.38</b>	<b>370.80</b>	<b>13.43</b>
4.8.2.2 (2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (2)	4	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (3)	5	0.00	0.00	0.00
4.8.4	341	515.63	369.73	11.85
4.8.5.2 (क)(1)	17	0.73	0.57	0.07
4.8.5.2 (ख)(1)	23	3.90	0.45	1.47
4.8.5.2 (ख)(2)	2	0.03	0.00	0.00
4.8.5.2 (ख)(3)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.5.2 (ग)(4)	2	0.05	0.05	0.00
4.8.5.2 (ग)(5)	4	0.04	0.00	0.04
<b>उत्तराखंड</b>	<b>114</b>	<b>26.97</b>	<b>7.38</b>	<b>0.08</b>
4.8.2.2 (2)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.2.2 (3)	2	0.02	0.00	0.00
4.8.3.2 (2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.2 (3)	2	0.03	0.00	0.00
4.8.3.3 (1)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (3)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	2	0.00	0.00	0.00

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/पैरा संख्या	संख्या	शामिल राज्य माल एवं सेवा कर राशि	स्वीकृत राज्य माल एवं सेवा कर राशि	वसूल की गई राज्य माल एवं सेवा कर राशि
4.8.4	94	26.80	7.37	0.00
4.8.5.2 (ख)(1)	2	0.08	0.00	0.08
4.8.5.2 (ख)(2)	4	0.01	0.00	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	1	0.01	0.00	0.00
4.8.5.2 (ग)(5)	1	0.01	0.01	0.00
<b>पश्चिम बंगाल</b>	<b>413</b>	<b>2,083.24</b>	<b>1,112.65</b>	<b>3.87</b>
4.8.2.2 (2)	4	0.42	0.29	0.00
4.8.3.1 (2)	4	0.00	0.00	0.00
4.8.3.1 (3)	6	1.06	1.06	0.00
4.8.3.1 (4)	2	1.54	1.54	0.00
4.8.3.2 (2)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (2)	1	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (3)	2	0.00	0.00	0.00
4.8.3.3 (5)	8	0.00	0.00	0.00
4.8.4	329	2,065.73	1,095.45	3.75
4.8.5.2 (क)(1)	34	0.28	0.12	0.12
4.8.5.2 (ख)(1)	15	13.59	13.58	0.00
4.8.5.2 (ख)(3)	2	0.01	0.00	0.00
4.8.5.2 (ग)(2)	2	0.60	0.60	0.00
4.8.5.2 (ग)(5)	2	0.01	0.01	0.00
<b>कुल योग</b>	<b>5,701</b>	<b>16,582.51</b>	<b>9,218.72</b>	<b>51.95</b>

## शब्दावली

एसीईएस	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का स्वचालन
एडीवीएआईटी	अप्रत्यक्ष कराधान में उन्नत विश्लेषण
एआईओ	ऑल-इन-वन प्रणाली
एआरएसएम	स्वचालित रिटर्न जांच मॉड्यूल
बीआई	बिजनेस इंटेलिजेंस
बीआईएफए	बिजनेस इंटेलिजेंस एवं धोखाधड़ी विश्लेषण
बीआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीओ	बैंक कार्यालय/ सहायक कार्यालय
बीओओटी	निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं हस्तांतरण वाला सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक प्रकार
सीएजी	भारत के नियंत्रक कवं महालेखापरीक्षक
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीईएनवीएटी	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर
सीईएसटीएटी	सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलिय न्यायाधिकरण
सीजीएसटी	केंद्रीय माल एवं सेवा कर
सीएलएस	संयोजन लेवी योजना
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीवीडी	प्रतिपूरक शुल्क
डीडीएम	डाटा प्रबंधन निदेशालय
डीडीओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी

डीजीएआरएम	विश्लेषिकी एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय
डीजीसीईआई	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशक
डीजीजीआई	माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरआई	राजस्व आसूचना निदेशालय
ईसीएल	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
जीएसटीएएम	माल एवं सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली
जीएसटीआईएन	माल एवं सेवा कर पहचान संख्या
जीएसटीएन	माल एवं सेवा कर नेटवर्क
जीएसटीआर	माल एवं सेवा कर रिटर्न
एचएसएन	नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईएफएफ	चालान प्रस्तुत करने की सुविधा
आईजीएसटी	एकीकृत माल एवं सेवा कर
आईएसडी	इनपुट सेवा वितरक
आईटी	सूचान प्रौद्योगिकी
आईटीसी	इनपुट टैक्स क्रेडिट
आईटीआर	आयकर विवरणी
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओएफ	वित्त मंत्रालय

एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपीआर	मासिक निष्पादन प्रतिवेदन
एनएसीईएन	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नारकोटिक्स अकादमी
एनएसीआईएन	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी
ओआईए	अपील आदेश
ओआईओ	मूल आदेश
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीएफएम	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीआईबी	प्रेस सूचना ब्यूरो
पीएलए	व्यक्तिगत खाता बही
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
क्यूआरएमपी	मासिक भुगतान के साथ त्रैमासिक रिटर्न
आरसीएम	प्रति प्रभार व्यवस्था
आरएमएस	जोखिम प्रबंधन प्रणाली
एसएसी	सेवा लेखांकन कोड
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसजीएसटी	राज्य माल एवं सेवा कर
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसएससीए	विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
केन्द्र शासित	केंद्र शासित प्रदेश

प्रदेशों	
यूटीजीएसटी	केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर
वाहन	सड़क परिवहन क्वं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का मोटर वाहन पंजीकरण डाटाबेस

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)